1st

लोक-सभा

वाद-विवाद

शनिवार,
२४ सितम्बर, १९५५

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ८, १९५५

(२२ सितम्बर से १ अक्तूबर, १९५५)

सत्यमेव जयते

दशम सत्र, १९५५

Preservation Unit
11.11.83
Fumigated
On 18.1.80
Parliament Library

(खंड ८ में अंक ४६ से अंक ५४ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ८, अंक ४६ से ५४—२२ सितम्बर से १ अक्टूबर, १९५५)

स्तम्भ

अंक ४६—गुरुवार, २२ सितम्बर, १९५५

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ४५२५–२६

कार्य मंत्रणा समिति—

छब्बीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ४५२६–२७

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक और लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—असमाप्त . . . ४५२७—४६३०

अंक ४७—शुक्रवार, २३ सितम्बर, १९५५

देश में बाढ़ की स्थिति . . . . . ४६३१—३३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

देश में बाढ़ की नवीनतम स्थिति के बारे में विवरण . . . ४६३३

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जहाज़ों के दिये जाने में विलम्ब के बारे में विवरण ४६३३–३४

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—प्राप्त याचिका . . ४६३३–३४

आश्वासनों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में सदस्यों को सूचना . . ४६३३—३५

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—प्रवर समिति को सौंप देने के प्रस्ताव—असमाप्त . . ४६३५—७५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—अड़तीसवां प्रतिवेदन–स्वीकृत ४६७५–७६

भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—संशोधित रूप में स्वीकृत . . . ४६७६—४७२०

रेलवे के पुनर्वर्गीकरण के बारे में संकल्प—असमाप्त . ४७२१—२६

अंक ४८—शनिवार, २४ सितम्बर, १९५५

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक और लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत . ४७२७—८३

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . ४७८३—४८७२

खंड २ से ६ और १ . . . . . ४८५९—७०

पारित करने का प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत . ४८७०—७२

स्तम्भ

अंक ४६—सोमवार, २६ सितम्बर, १६५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

केन्द्र से वित्त-पोषित बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं की प्रगति का विवरण . ४८७३

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें . . ४८७३—७४

चलचित्र (विवाचन) नियमों में संशोधन . . .

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . ४८७३—७४

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ४८७४

समितियों के लिये निर्वाचन—

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड— . . ४८७५

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् . . ४८७५

विद्युत सम्भरण (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित ४८७६

सभा का कार्य . . . . . ४८७६—७७

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . . ४८७७—४६५३

खंड २ से २० और १ तथा प्रस्तावना . . . . ४६१७—५३

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . ४६५३

अनुपूरक अनुदानों की मांगें—असमाप्त . ४६५३—७६

अंक ५०—मंगलवार, २७ सितम्बर, १६५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

१६५३-५४ के लिये संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन और उस के सम्बन्ध में सरकार का ज्ञापन ४६७७

अनुदानों की मांगें (रेलवे), १६५५-५६ के बारे में सदस्यों के ज्ञापनों के उत्तर . . . ४६७७—७८

प्राक्कलन समिति—

पन्द्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ४६७८

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

ग्यारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . ४६७८

भारतीय रेड क्रास सोसाइटी (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित ४६७८

सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन (भारत)—

निधियों का स्थानान्तरण विधेयक—पुरःस्थापित . . ४६७९—८०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें . ४६७६—५०४६

	स्तम्भ
विनियोग (संख्या ३) विधेयक—	
पुरःस्थापित—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	५०४६—५०
खंड १ से ३ और अनुसूची	५०५२
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . .	५०५२
परक्राम्य संलेख (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	५०५२—७४
खंड १ से ३	५०७३
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	५०७३—७४
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा किये गये संशोधन पर विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	५०७४—७६
अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद्	५०७६—८८
अंक ५१—बुधवार, २८ सितम्बर, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र—	
औद्योगिक वित्त निगम का सातवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखाओं का विवरण	५०८९—९०
मद्यसारिक उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक	
राज्य-सभा द्वारा किया गया संशोधन—स्वीकृत . . .	५०९०—५१०३
नया खंड १२—क	५१०२
द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के बारे में प्रस्ताव— असमाप्त	५१०३—५०
रेलवे परिवहन की स्थिति के बारे में चर्चा—समाप्त . . .	५१५०—९६
अंक ५२—गुरुवार, २९ सितम्बर, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र—	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की बैठकों की कार्यवाही के विवरण	५१९७
विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियम, संसद् द्वारा परिवर्तित रूप में	५१९७—९८
कतिपय रक्षा सामग्री के विदेशों में क्रय के बारे में लोक लेखा समिति को सरकार का टिप्पण . .	५१९९—५२०१
प्राक्कलन समिति—	
सोलहवां प्रतिवेदन उपस्थापित . .	५१९८
अनुपस्थिति की अनुमति	५१९८—९९
तारांकित प्रश्नों के उत्तर में शुद्धि . .	५२०२
सभा का कार्य .	

स्तम्भ

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के बारे में
प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत . . . ५२०३—०५—५८
अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक—
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव–स्वीकृत . . . ५२९९—५३०७
नदी बोर्ड विधेयक—
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . . ५३०७—३४

अंक ५३—शुक्रवार, ३० सितम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र—
सोडियम थियोसल्फेट, सोडियम सल्फाइट और सोडियम बाई-सल्फाइट उद्योगों के लिये संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और उस के सम्बन्ध में सरकारी संकल्प आदि . ५३३५
सरकार द्वारा आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही का विवरण . ५३३६–३७
राज्य–सभा से सन्देश . . . . ५३३७—५४५४
समवाय विधेयक, १९५५—
राज्य-सभा द्वारा संशोधित रूप में सभा पटल पर रखा गया . ५३३८
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—
सम्मत्तियां सभा पटल पर रखी गयीं . . . ५३३८
याचिका समिति—
छठा प्रतिवेदन—उपस्थापित ५३३८
अखिलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना भारतीय सैनिकों द्वारा उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के विद्रोही आदिम जातीय लोगों का हताहत किया जाना . . . . . ५३३८—४०
सभा का कार्य ५३४०
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित ५३४०–४१
नदी बोर्ड विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत . ५३४१—६३
आर्थिक नीति के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . ५३६३—५४१४
अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक—
परिचालित करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . ५४१४—२४
भारतीय अन्य धर्मग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . . ५४२४—५४

स्तम्भ

अंक ५४—शनिवार, १ अक्तूबर, १९५५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
जलहल्ली स्थित हिन्दुस्तान मशीनी औजार निर्माण कारखाने के बारे में
श्री स्केफ का प्रतिवेदन . . . . . ५४५५—५९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र— . . . . .
नारियल जटा बोर्ड का ३१-३-५५ को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए
अर्धवार्षिक प्रतिवेदन . . . . . ५४५९—६०
उन संस्थाओं की सूची जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम की धारा ५६-क
के अन्तर्गत विमुक्ति दी गई है . . . ५४६०
राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल विधेयक—पुरःस्थापित . . ५४६०
भारतीय मुद्रांक संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित . . ५४६०—६१
गोआ के बारे में वक्तव्य . . . . ५४६१—६२
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ५५०३
आर्थिक नीति के बारे में प्रस्ताव—संशोधित रूप में स्वीकृत . ५४६३—५५०३,
५५०३—५६४२
राज्य-सभा से सन्देश ५६४२
अनुक्रमणिका . . . पृष्ठ १—३९

लोक-सभा

शनिवार २४ सितम्बर १९५५

लोक-सभा ग्यारह बज कर दो मिनट पर समवेत हुई :

[**अध्यक्ष महोदय** (पीठासीन हुए)]

प्रश्नोत्तर

(प्रश्न नहीं पूछे गये—भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक और लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : आज प्रश्नों का घण्टा नहीं है । सभा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) और लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयकों को प्रवर समितियों को सौंपने और तत्सम्बन्धी श्री एन० सी० चटर्जी के संशोधनों पर चर्चा करेगी । चर्चा सवा दो बजे समाप्त होगी । तदुपरान्त सभा औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) निर्णय विधेयक पर विचार करेगी । सभा आज छः बजे तक बैठेगी ।

विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर): श्री एन० सी० चटर्जी और पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को मैं अस्पष्ट समझता हूं । इसलिये मैं ने उन्हें इन का स्पष्टीकरण करने को कहा है जिन्हें वे प्रवर समिति में लाना चाहते हैं । मैं ने उन्हें विषय और धारायें बताने को कहा है । उन्हों ने मुझे एक सूची दी है । और मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि इन मामलों पर प्रवर समिति में चर्चा की जाती है :

दूसरे संशोधन के बारे में, मैं पहले उन दोनों अधिनियमों को एक बनाना चाहता था । कल ही मैंने इस पर सोचा कि इस पर संभवतः अधिक बारीकी से विचार करने की आवश्यकता होगी क्योंकि बहुत सी धारायें स्वभावतः एक दूसरे पर छा जायेंगी । इसलिये इस समय हम इसे इसी तरह रहने देंगे ।

वास्तव में प्रवर समिति इन में से बहुत से विषयों पर विचार कर सकती है, कुछ एक पर नहीं । परन्तु इन सब मामलों पर प्रवर समिति में विचार न किये जाने के लिये मैं तैयार हूं ।

श्री राघवाचारी : (पेनुकोंडा) : क्या कोई भी सदस्य संशोधन पर संशोधन प्रस्तुत कर सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : हां, कोई भी सदस्य ऐसा कर सकता है और मैं इस की अनुमति दूंगा ।

श्री बी० के० रे० (कटक) : पिछले साधारण चुनावों से प्राप्त अनुभव सम्बन्धी

[श्री बी० के० रे]

चुनाव आयुक्त के प्रतिवेदन में आगामी चुनावों में एक एकरूपी निर्वाचन संहिता के अपनाने का समर्थन किया गया है। परन्तु इस समय हमारे सामने जो प्रस्थापना है, उस का क्षेत्राधिकार बहुत सीमित है। अतएव मैं सदन के अन्य सदस्यों से सहमत हूं कि प्रवर समिति सारे मामले की जांच करने के बाद निर्वाचन विधि में उपयुक्त सिफारिशें करे।

अब मैं निर्वाचन सम्बन्धी आवेदन-पत्रों तथा अधिकरणों सम्बन्धी प्रस्तावित संशोधन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे संविधान के निर्माताओं ने अन्य प्रजातन्त्रवादी देशों के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। सब से पहला काम उन्हों ने यह किया कि सरकार से स्वतन्त्र एक निर्वाचन आयोग की स्थापना की। किसी पर दोषारोपण न करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इस आयोग को तटस्थ व्यक्तियों की एक निकाय होना चाहिये था। परन्तु प्रस्तावित संशोधन से मालूम होता है कि निर्वाचन आयुक्त को कुछ न्यायिक अधिकार दिये जायें। जिस से वह निर्वाचनों सम्बन्धी आवेदन पत्रों को एक अधिकरण से हटा कर दूसरे अधिकरण में स्थानान्तरित कर सकें। अब इन संशोधनों से यह प्रस्ताव किया जा रहा है कि नामीकरण पत्रों के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। अब विधिक उपबन्धों का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने की अर्हता-प्राप्त है तथा दूसरों के विश्वास का पात्र है। यह एक आधारभूत बात है कि सम्पर्क के बिना कोई प्रस्थापना मान्य नहीं होती है : यह एक बहुत जरूरी बात है। यदि कोई व्यक्ति सचमुच योग्य अभ्यर्थी है तो उसे समर्थक प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये।

इस से भी अधिक गम्भीर बात यह है कि अब गणक (रिटर्निंग) अधिकारी केवल यह देखा करेगा कि अभ्यर्थी उचित अर्हता का मालिक है या नहीं। इस का एक परिणाम यह होगा कि सरकार तथा भिन्न पक्षों द्वारा बहुत कुछ व्यय होने के बाद कोई व्यक्ति अनर्ह करार दिया जा सकता है।

इस समय निर्वाचनों सम्बन्धी आवदन-पत्रों के बारे में एक नियम यह है कि उन निर्वाचन अपराधों तथा कदाचारों की एक सूची संलग्न की जाये जिस से चुनावों पर बुरा प्रभाव पड़ने का आरोप लगाया गया है। इस के बिना आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जाता। इस में भ्रष्टाचार, स्थान आदि सम्बन्धी सभी ब्यौरा देना पड़ता है। समय को बचाने तथा प्रक्रिया को सादा बनाने की बजाय उलटा स जलिट और अधिक लम्बा घसीटने वाली बनायेगी क्योंकि उत्तरवा ी प्रत्येक बार ब्यौरा मांगेगा।

अन्तिम बात यह है कि अब 'तीन व्यक्तियों' के स्थान पर 'दो व्यक्तियों' का अधिकरण हुआ करेगा जो जिला न्यायाधीश आ करेंगे। इस बात में कोई सचाई नहीं है कि अधिकरण में जितने अधिक व्यक्ति होंगे, उतना समय भी अधिक ल गा। तीन न्यायाधीश भी उतना ही समय लें जितना कि दो न्यायाधीश। तीन न्यायाधीशों के होने से बहुमत से निर्णय हो सकेंगे जब कि दो न्यायाधीशों के होने से ऐसा करना सम्भव नहीं है। मामले की मत भेद की अवस्था में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को निर्दिष्ट करने की व्यवस्था को गई है। क्या इस से समय बचेगा ?

अब तक अधिकरणों का सभापति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता था तथा एक सदस्य जिला न्यायाधीश और दूसरा सदस्य एक अधिवक्ता होता था जो सेवा-निवृत-व्यक्ति हो सकता था। प्रत्येक राज्य में ऐसे सेवानिवृत्त अधिवक्ता मिल सकते

हैं । अब उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के निर्णयों से मालूम होता है कि इन अधिकरणों के फैसलों में अब हस्तक्षेप किया जा रहा है । इस का अर्थ यह है कि अब अधिकरण अन्तिम रूप से कोई फैसला नहीं कर सकता । इस प्रकार से उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय को वह क्षेत्राधिकार प्राप्त हो गया है जिस का संविधान में विचार नहीं किया गया था । यदि संविधान में ऐसे उपबन्ध हैं तो आप संविधान में संशोधन करें । मेरे विचार से इन अधिकरणों की शक्तियां और फैसलों में किसी को हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं दी जानी चाहिये ।

विलम्ब के मामले में कहते हुए मेरा विचार यह है कि इस का मुख्य कारण वकील द्वारा प्रारम्भिक बातों पर लड़ने के लिये नुक्तों का निकालना है । मुझे एक मामले के बारे में विदित है जब एक भूतपूर्व मंत्री ने निर्वाचन अधिकरण के सामने यह बात उठाई थी कि आयोग के कार्यालय में आवेदन-पत्र सामान्य डाक से तो पहुंचा था, परन्तु रजिस्टर्ड डाक द्वारा नहीं । निर्णय निश्चय ही उन के विरुद्ध हुआ । बाद में उन्हों ने कटक उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा पंजाब उच्च न्यायालय के दरवाज़े भी खटखटाये थे । अब ऐसे मामलों में द्वि-सदस्य अधिकरण कैसे फैसला कर सकता है ? क्या उच्चतम न्यायालय को ऐसे मामलों का उत्तरदायित्व नहीं सौंपा जा सकता ।

श्री पाटस्कर : जब तक आप अनुच्छेद २२६ में संशोधन न करें, ऐसा करना संभव नहीं ।

श्री बी० के० रे० : मेरी समझ से यह इतना आवश्यक नहीं है ।

उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालयों के नियम स्वयं उन न्यायालयों द्वारा बनाये जाते हैं तथा उन की मंजूरी राज्य का राज्यपाल तथा राष्ट्रपति देते हैं । फिर भी ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि चुनावों सम्बन्धी मामलों का यथाशीघ्र फैसला हो सके । दो सदस्यों के अधिकरण बनाने से विलम्ब को टाला नहीं जा सकता ।

व्यय के सम्बन्ध में हमें शिकायत नहीं होनी चाहिये । आप इन मामलों को उच्च न्यायालय के डिवीज़न बैंच को, जिसे पदेन निर्वाचन अधिक बनाया जाय, सौंप दें ।

वुडरो विल्सन का कहना था "स्वातंत्र्य का इतिहास सरकार की शक्तियों पर सीमायें लगाने का इतिहास ही है ।" ये सीमायें न्यायिक रोकथाम के रूप में ही हो सकती हैं । उस रोकथाम में ढील नहीं होनी चाहिये ।

श्री पाटस्कर : इन विधेयकों पर इस सभा में पिछले चार से अधिक दिनों से चर्चा हो रही है । चर्चा में लगभग ५० सदस्यों ने भाग लिया है । वे न केवल इस संसद के सब दलों के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपितु बहुत से उन लोगों का भी जिन के इस गम्भीर (दिलचस्प) प्रश्न पर भिन्न-भिन्न विचार हैं । मैंने माननीय सदस्यों के सब भाषणों को और उन की बातों को ध्यानपूर्वक सुना है । प्रत्येक बात का उत्तर देना मेरे लिये संभव नहीं होगा । विशेषतया इस कारण कि प्रस्ताव केवल विधेयकों को एक प्रवर समिति को सौंपने का है और प्रवर समिति के सदस्य इन सब विभिन्न बातों पर विचार करेंगे ।

मैं ने पहले से इन संशोधी विधेयकों में प्रस्तावित उपबन्धों के विभिन्न परिणामों का अपने ढंग से स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न किया है । जो कुछ मैं पहले कह चुका हूं । मैं उन बातों को अब नहीं दोहराऊंगा । जैसा कि मैं ने पहले अपने भाषणों में कहा, भारत में निर्वाचित विधायिनी निकायों का

[श्री पाटस्कर]

विकास हाल में अधिक हुआ है । संसार के अन्य किसी देश में हमारे समान वयस्क मताधिकार के आधार पर इतने बड़े स्तर पर संसदीय ढंग के प्रजातंत्र का प्रयोग नहीं किया गया है । यह केवल मतदाताओं की संख्या को अधिक होने का ही प्रश्न नहीं है, अपितु विशाल क्षेत्रों का भी प्रश्न है जहां वे लोग अर्थात् मत देने के अधिकारी लोग फैले हुए हैं, और मतदाताओं को इस कारण जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा कई पहलुओं से विभिन्न प्रकार के लोग हैं जो इस देश की भारी जनता है । जैसा मैं ने आरम्भ में कहा, धीरे धीरे, विश्व के पर्यवेक्षकों ने, जिन्हों ने हमारे प्रयोग को देखा है, कुछ सहानुभूति से, कुछ द्वेष से, कुछ सन्देह से, कुछ ईर्ष्या से, इस प्रयास की सफलता को स्वीकार किया है, उन्हें यह मानना पड़ा है, प्रत्येक अवस्था में, कि हमारे निर्वाचन संसार के अन्य देशों के निर्वाचनों की अपेक्षा पक्षपातरहित और स्वतंत्र होने की दृष्टि से किसी प्रकार कम नहीं थे ।

निर्वाचन, स्वभावतः ही दिलचस्प विषय है । इस में कोई आश्चर्य नहीं है कि इस मामले के सब पहलुओं पर बहुत जोरदार चर्चा हुई है । जहां तक निर्वाचनों की पद्धति का प्रश्न है, कुछ लोगों ने तो यहां तक राय दी है कि वर्तमान पद्धति अच्छी नहीं थी और सब मतदाताओं को किसी स्थान पर इकट्ठा कर के और उन्हें अपनी ध्वनि या हाथ उठाने के लिये कह कर उन की इच्छाओं को जान कर इस समस्त चीज़ को बहुत सरल बनाया जा सकता है । मैं उन के नाम नहीं बताना चाहता । मैं नहीं समझता कि आया यह छोटे गाओं के बारे में भी संभव हो सकता है । किन्तु, यदि यह हो भी जाय, तो देश भर के शहरों और नगरों तथा मध्यम दर्जे के गांवों में रहने वाले लोगों के बारे में यह कैसे संभव हो सकता है ? दूसरी ओर, कुछ सदस्य कहते हैं कि निर्वाचन की वर्तमान व्यवस्था अब की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक होनी चाहिये । मतदाताओं की नामावलियां तैयार करने के प्रश्न पर बहुत मतभेद था । कुछ सदस्यों की शिकायत थी कि मतदाताओं की वर्तमान सूची बिल्कुल गलत है, और हम इन सूचियों के बिना भी काम कर सकते हैं और हमें मत देने वाले साधारण व्यक्तियों की ईमानदारी और स्पष्ट वादिता पर भरोसा रखते हुए उन्हें जा कर अपना मत देने की अनुमति देनी चाहिये । इस प्रकार का निर्वाचन स्वतंत्र या ठीक रहेगा, इस का अनुमान लगाना कठिन काम है । क्या इस से बड़े पैमाने पर छद्मवेषिता नहीं होगी ? क्या इस से दोहरे मत नहीं पड़ेंगे और बहुत सी दूसरी बुराइयां उत्पन्न नहीं होंगी, जिन का मुझे विस्तारपूर्वक वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है ?

पंडित के० सी० शर्मा (जिला मेरठ--दक्षिण) : उन के अंग पर न मिटने वाल स्याही का निशान होगा ।

श्री पाटस्कर : मत देने वालों की संख्या के बारे में कुछ सदस्यों की शिकायत है कि मत देने के अधिकारियों में से ५० प्रतिशत लोग भी गत निर्वाचनों में मत देने के लिए नहीं गये और यह सुझाव दिया गया था कि लोगों को अपना मत देने के लिये बाध्य किया जाय । उन में पंडित के० सी० शर्मा एक हैं । मैं समझता हूं कि हम यह प्रसिद्ध लोकोक्ति भूल जाते हैं कि आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं परन्तु उसे पानी पीने को बाध्य नहीं कर सकते ।

पंडित के० सी० शर्मा : मैंने यह सुझाव नहीं दिया ।

श्री पाटस्कर : इस प्रकार की अनिवार्यता से मत देने के अधिकार के प्रयोग के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न हो जाने की संभावना है । जिन देशों में पिछले कई शताब्दियों से इस मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है, वहां भी वास्तव में मत देने वालों का प्रतिशत बहुत अधिक नहीं होती । जैसा मैं ने पहले अपने भाषण में कहा, मैं समझता हूं कि हमारे देश के लोगों ने निर्वाचनों के इस मामले में बड़ी दिलचस्पी दिखाई है ।

मतदाताओं की ठीक नामावलियां रखने के बारे में कुछ शिकायतें आई हैं कि सूचियों में कुछ नाम नहीं पाये जाते हैं और कुछ नाम गलत दिये गये हैं । कुछ सीमा तक यह बातें अवश्यंभावी होती हैं, जब हम इतने अधिक लोगों की नामावलियां तैयार करने लगते हैं । इस सम्बन्ध में, मैं कहूंगा कि गत सामान्य निर्वाचनों के समय निर्वाचक नामावलियों की तैयारी के लिये निम्न संख्या में निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किये गये थे : संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिये ३२४, विधान सभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के लिये १२७५, और परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिये ५३ । कुल १६५२ पदाधिकारी थे । प्रारूप निर्वाचक नामावलियों सम्बन्धी दावों और आपत्तियों के निर्णयों के १५२९ संशोधनकर्ता अधिकारी नियुक्त किये गये थे । सारांश यह है कि निर्वाचक-नामावलियां तैयार करने का काम सन्तोषजनक पाया गया है ।

इस बारे में भी बहुत कुछ कहा गया था कि विशेष कर महिलाओं के विवरण में उन के पति के नाम के बजाय उन के पिता अथवा भाई का नाम दिखलाया गया था । कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा हुआ होगा । मुझे ज्ञात हुआ है कि प्रगणकों की अनेक कठिनाइयां हैं । जिस समय निर्वाचन-नामावलियां तैयार की जाती हैं, उस समय निर्वाचनों के बारे में और भावी उम्मीदवारों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती और नाम पंजीकृत कराने के विषय में कोई दिलचस्पी नहीं रहती । केवल इतना ही नहीं, बल्कि जब प्रगणक कुछ घरों में जाते हैं तो लोग ठीक-ठीक जानकारी भी नहीं देते और कभी कभी ऐसी जानकारी देते हैं जो गुमराह करे । बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा नहीं हुआ है, किन्तु मेरे विचार से इस समस्या का एकमात्र हल यही है कि सर्वसाधारण लोगों में प्रचार या अन्य साधनों के द्वारा इस मूलभूत अधिकार का उपयोग करने की भावना उत्पन्न की जाये । मेरे सामने ऐसे अनेक उदाहरण आये हैं जहां शहरों और नगरों की व्यापारिक फर्मों में काम करने वाले शिक्षित व्यक्तियों ने गलतियां की हैं । उदाहरण के लिये, प्रगणक द्वारा नाम पूछे जाने पर "रामकिशन पन्नालाल" नाम बताया गया । संभव है कि "पन्नालाल" उस के किसी सम्बन्धी का नाम हो जिस का उल्लेख किसी विशेष व्यापार के लिये किया गया हो । उस से नाम पूछने पर वह अपना नाम "रामकिशन पन्नालाल" बताता है । निर्वाचन के समय जब उस के पिता का नाम पूछा जाता है तो वह "पन्नालाल" से कुछ भिन्न नाम बताता है । तब उसे यह मालूम होता है कि वहां उस के पिता का नाम ही नहीं है । कुछ मामलों में पिता का नाम व्यक्ति के नाम के पहले रखा जाता है जैसा कि प्रचलित है । फिर उस के कारण भी कुछ गलतियां होती हैं । ऐसी गलतियां हुई हैं, यद्यपि वे बहुत थोड़ी हैं । किन्तु ज्यों ही साधारण व्यक्ति की मताधिकार के प्रति अधिक रुचि बढ़ेगी और वह मतदान के महत्व को समझने लगेगा, ऐसी गलतियां कुछ समय में अपने आप दूर हो जायेंगी मुझ विश्वास है कि नामावलियां तैयार करने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति इस बीच

[श्री पाटस्कर]

किसी प्रकार की भी गलतियों को दूर करने का यथासम्भव प्रयत्न करेंगे ।

मुझे ज्ञात हुआ है कि अनेक माननीय सदस्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों या सर्व-साधारण महिलाओं के मतों की प्रगणना के बारे में शिकायत प्राप्त हुई है । मैं इस ओर ध्यान दूंगा कि निर्वाचन आयोग को खास हिदायतें दी जायें कि उस कर्तव्य पर नियत व्यक्ति ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करने का यथासंभव प्रयत्न करे और उस के लिये आवश्यक कार्यवाही करें । किन्तु यह अधिक अच्छा होता कि विभिन्न दलों के सदस्य उचित नामावलियां तैयार करने और निर्वाचन के वास्तविक समय के पूर्व भी उन्हें उचित रूप में रखने के प्रयत्नों में सहायता करते ।

वर्तमान अधिनियम के अधीन नियमों में ऐसे पर्याप्त उपबन्ध हैं जिन के अनुसार लोग अपने नाम पंजीकृत करा सकते हैं । इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया बहुत सरल है और मैं नहीं समझता कि उस विषय में कोई कठिनाई हुई है ।

वाद-विवाद में एक अतिशयोक्ति का उल्लेख किया गया था जबकि यह बताया गया कि संसद्-सदस्य की श्रेणी का एक व्यक्ति जब पंजीयन पदाधिकारी के पास गया तो उस से पूछा गया कि क्या वह मैट्रिक पास है और उस के हां कहने पर उस से प्रमाणपत्र मांगा गया । मैं मानता हूं कि यह कोई बिलकुल असंभव घटना नहीं है किन्तु यह विधान बनाते समय ऐसी साधारण घटना का ध्यान रखना बहुत ही कठिन है ।

निर्धारित किये गये निर्वाचन-क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी कुछ शिकायतें की गई थीं । यह भी सुझाव थे कि जब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थान सुरक्षित रखा गया हो तब भी दो सदस्यों वाला कोई निर्वाचन-क्षेत्र होना चाहिये अथवा नहीं । मैं जानता हूं कि दो सदस्यों वाले निर्वाचन-क्षेत्रों के सम्बन्ध में उम्मीदवारों की बहुत बड़ी कठिनाइयां हैं । मेरे विचार से ये सभी विषय इन दो विधेयकों और दो अधिनियमों के क्षेत्र से बाहर हैं ।

सदस्यों को स्मरण होगा कि इस सभा ने परिसीमन आयोग अधिनियम पारित किया है और आयोग का काम निर्वाचन-क्षेत्रों का निर्धारण और परिसीमन सम्बन्धी विषय का विवेचन करना है । मुझे खेद है कि इस सम्बन्ध में विद्यमान शिकायतों के प्रति मेरी सहानुभूति होते हुए भी, सभा के समक्ष विद्यमान विधेयकों पर विचार करते समय इन पर ध्यान देना संभव न होगा ।

एक शिकायत यह भी थी कि मत-दाताओं की सूचियां सरलता से नहीं मिलतीं, और वे निःशुल्क दी जानी चाहियें । मैं नहीं समझता कि निर्वाचन-नामावलियों की प्रतियां उन सभी को निःशुल्क देना जो उन्हें चाहते हैं, ठीक होगा । उस से सरकार को अनावश्यक बहुत अधिक खर्च करना होगा ।

इस के विपरीत जो उम्मीदवार राज्य विधान-सभा अथवा संसद् के लिये खड़ा होना चाहता है, उन प्रतियों के लिये आसानी से खर्च कर सकता है जो बहुत साधारण मूल्य पर उसे मिल सकती हैं ।

तत्पश्चात्, निर्वाचन के लिये खड़े होने वाले उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में भी एक प्रश्न उठाया गया था । वास्तव में ऐसा कोई नियम रखना जनता के प्रतिनिधित्व के अधिकार को देश की बहुत थोड़ी जनसंख्या के लिये सीमित करने

के बराबर होगा। संभव है कि ऐसी योग्यता न रखने वाली बहुत बड़ी जनसंख्या इस का विरोध करे। न तो अर्हता की यह कसौटी इस बात की कोई प्रत्याभूति देगी कि ऐसे निर्वाचित व्यक्ति उन लोगों की अपेक्षा जो परिस्थितिवश आवश्यक शैक्षणिक योग्यतायें न प्राप्त कर सके, अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व अधिक अच्छी तरह कर सकेंगे।

आगे कुछ लोगों ने यह सुझाव दिया था कि उम्मीदवारों के नामनिर्देशन का वर्तमान ढंग रद्द कर दिया जाना चाहिये। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि इस के बजाय कि कोई व्यक्ति स्वतः अपना नाम उम्मीदवार के लिये प्रस्तावित करे, यह जनता के निर्णय पर छोड़ दिया जाना चाहिये कि कौन उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हो या नहीं खड़ा हो। अनेक चीजों की केवल कल्पना बहुत अच्छी होती है ; किन्तु मैं यह नहीं समझ पाता कि जनता का निर्णय जानने का जो यह ढंग है जो न केवल हमारे देश में वरन् संसार में और जगहों में भी अपनाया जा रहा है, उस के अतिरिक्त और कौन सा हो सकता है। फिर यदि वह व्यक्ति जिसे जनता अपने प्रतिनिधि के रूप में चाहती है, उम्मीदवार के तौर पर खड़ा ही न हो और उस का प्रतिनिधित्व करने के लिये तैयार ही न हो, तो क्या होगा ?

दलों के उम्मीदवार जिस प्रकार व्यक्तिगत अथवा दल के गुणों की प्रशंसा करते फिरते हैं, उस सम्बन्ध में बहुत आलोचना की गई थी। मेरी समझ में वह किसी हद तक निर्वाचनों का एक अनिवार्य अंग है। केवल इतनी ही बात की रुकावट की जानी चाहिये कि किसी उम्मीदवार के समर्थन में अथवा विरोध में झूठा प्रचार न किया जाये क्योंकि उस से मतदाताओं पर गलत प्रभाव पड़ने की संभावना है। मैं उन लोगों से पूर्णतया सहमत हूं जो यह कहते हैं कि निर्वाचन के समय आपस में कीचड़ उछालना या दोषारोपण करना रोका जाना चाहिये। इस समय अधिनियम और उस के अधीन बनाये गये नियमों में इस सम्बन्ध में पर्याप्त उपबन्ध हैं और उस से अधिक कुछ करना बहुत कठिन होगा।

दलों, समूहों और व्यक्तियों द्वारा गाली गलौच और दोषारोपण के विषय के सम्बन्ध में, अनेक मामलों में सभी दलों का यह अनुभव रहा है कि गाली गलौच या दोषारोपण करने वालों के पक्ष में मतदाताओं पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। यह भी कोई अनोखा अनुभव नहीं है कि उस से मतदाताओं पर ठीक विपरीत प्रतिक्रिया हुई है। मेरे विचार से सब से अच्छी बात यह है कि साधारण मतदाता की सद्भावना और उस की भलमनसाहत पर निर्भर रहा जाय।

जहां तक दलों द्वारा प्रचार का सम्बन्ध है, संसदीय लोकतंत्र के लिये दलों का अस्तित्व अनिवार्य है। किसी प्रकार की दलगत आलोचना रोकी नहीं जा सकती और दलगत विचारों का प्रभाव दलों के हित में काम करने वालों पर अवश्य ही पड़ेगा। मैं जानता हूं कि कांग्रेस दल की कुछ आलोचना की गई है, जिस ने पिछले मतदान के समय संसद् में और बहुत सी विधान सभाओं में बहुमत प्राप्त किया था। मैं समझ सकता हूं कि जो व्यक्ति अधिक संख्या में चुनाव में सफल नहीं हो सके, चाहे वे व्यक्ति विशेष हैं या किसी दल से सम्बन्धित हैं, वे संभवतः इस मामले को ऐसे दृष्टिकोण से देखेंगे जो बहुमत दल के लिये प्रतिकूल हो।

श्री कामत (होशंगाबाद) : ऐसा नहीं है।

श्री पाटस्कर : यह मानते हुए भी हमें इस बारे में अवश्य ही कोई सीमा निर्धारित

[श्री पाटस्कर]

करनी चाहिये कि आलोचना किस हद तक हो । बहुमत दल के विरुद्ध कुछ आलोचनाओं को सुन कर, जो पूर्णतः अनावश्यक हैं, मुझे दुख हुआ है। एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा था कि दल में केवल एक ही अच्छा व्यक्ति है, किन्तु वह भी बुरी संगत में है। और एक दूसरे माननीय सदस्य ने उस एक व्यक्ति में भी त्रुटियां निकालने की कोशिश की । यह न केवल बहुमत दल के सदस्यों की निन्दा है बल्कि मैं विनीत भाव से यह कहूंगा कि इस का अर्थ देश की उस जनता की निन्दा है जो बहुमत दल के सदस्यों के निर्वाचन के लिये ज़िम्मेदार है । मैं उन से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार की आलोचना करना अनुचित है, मैं यह बात दल के दृष्टिकोण के कारण नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जो इस प्रकार की आलोचना करते हैं उस से उन का कोई भला नहीं होता और इस से समूचे राष्ट्र के हितों को हानि पहुंचने का भय है ।

श्री कामत : बहुमत दलों के ।

श्री **पाटस्कर** : निःसन्देह, स्वाभाविक है । दल का वाद-विवाद और प्रचार जिस प्रकार हो उस का उचित ढंग तो होना ही चाहिये । मतदान के सम्बन्ध में परोक्ष रूप में पूंजीवाद के प्रभाव पर काफ़ी आलोचना की गई थी । निःसन्देह, निर्वाचन में व्यय तो होता ही है और इसे कम करने के लिये सभी प्रयत्न किये जाने चाहियें । कुछ एक मामलों में हो सकता है कि शायद रुपये पैसे के बल पर ही लोग चुने गये हों लेकिन हमारे इस सदन और राज्य विधान सभाओं की रचना से यह पता चलेगा कि यह आलोचना अनुचित है । यदि तुलना की जाय तो आप को इस सदन में या देश की किसी भी निर्वाचित विधान सभा में पूंजीपतियों की बहुत ही कम संख्या मिलेगी ।

श्री सी० डी० पांडे (जिला नैनीताल व जिला अलमोड़ा—दक्षिण-पश्चिम व जिला बरेली—उत्तर) : वह केवल आप के विरोधी पक्ष में हैं ।

श्री पाटस्कर : मैं नामनिर्देशन ढंग के प्रश्न पर आता हूं । इस विधेयक में उसे जितना सरल बनाना संभव है, बनाने की एक कोशिश की गई है, और यदि प्रवर समिति उसे और भी सरल बना सकती है तो उसे ऐसा करने का अधिकार होगा, पहले लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में संशोधन करने के लिये इस सदन में एक विधेयक रखा गया था । उस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा गया था और उस प्रवर समिति ने एक सुझाव भी दिया था कि नामनिर्देशन-पत्र की पड़ताल एक न्यायिक अधिकारी द्वारा की जानी चाहिये और पड़ताल अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील किये जाने की भी व्यवस्था उस में थी । इन विधेयकों के पुरःस्थापन के समय यह योजना त्याग दी गई थी। लेकिन बहुत से माननीय सदस्यों ने, जिन में भूतपूर्व प्रवर समिति के कुछ सदस्य भी थे, इन उपबन्धों को फिर से रखने का अनुरोध किया है ।

यह सत्य है कि ३३८ निर्वाचन याचिकाओं में से ११६ इस बिना पर थीं कि नामनिर्देशन-पत्रों को अनुचित ढंग से स्वीकार किया गया या रद्द किया गया था । इस बात को ध्यान में रखते हुए, अब यह कोशिश की जा रही है कि पड़ताल के समय किसी भी व्यक्ति के लिये यह लगभग कठिन हो .....

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : जो याचिकायें, नामनिर्देशन-पत्रों को ग़ैर-कानूनी ढंग से स्वीकार किये जाने की बिना पर दायर की गई थीं, क्या उन के आंकड़े आप के पास हैं ? इन याचिकाओं पर क्या खर्च आया था क्या उस के आंकड़े आप बता सकते हैं ?

श्री पाटस्कर : शायद माननीय सदस्य ध्यान से सुन नहीं रहे थे । मैंने अभी अभी आंकड़े बताये हैं। ३३८ निर्वाचन याचिकाओं में से ११६ इस बिना पर दायर की गई थीं कि नामनिर्देशन पत्रों को अनुचित रूप से स्वीकार किया गया है या रद्द किया गया है ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं यह जानना चाहता था कि जहां तक इन बातों का सम्बन्ध है याचिकाओं पर सरकार का और संभवत: दोनों पक्षों का खर्चा क्या था। क्या आप हमें इस बारे में कुछ बता सकते हैं ?

श्री पाटस्कर : जहां तक पक्षों के खर्च का सवाल है, मेरे लिये वह बताना सम्भव न होगा । सरकार को जो खर्च उठाना पड़ा उसके बारे में जानकारी मैं प्रवर समिति के सामने रख सकूंगा । मैं आज नहीं बता सकता ।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब यह प्रयत्न किया जा रहा है कि पड़ताल के समय नामनिर्देशन-पत्र को रद्द करना किसी के लिये भी कठिन हो। जिन उपबन्धों का सुझाव दिया जा रहा है उन में इसी बात पर चलने की हम ने कोशिश की है ।

बात केवल इतनी है कि यदि आपत्ति अनर्हता के आधार पर की जाये तो क्या उसकी पड़ताल इसी अवसर पर की जानी चाहिये या यदि आवश्यक हो तो निर्वाचन याचिका के दिये जाने पर चुनाव समाप्त होने के बाद तक के लिये छोड़ दी जाय । जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है इस प्रश्न का निर्णय करना बहुत ही कठिन है कि क्या सम्बन्धित सदस्य धारा ७ में बताई गई विभिन्न उपधाराओं के आधार पर चुनाव में खड़ा होने के लिये अनर्ह हैं। प्राय: यह आशा की जाती है कि जो व्यक्ति वास्तव में इतना अनर्ह है, वही इस बात को सब से अधिक जानता भी है और उसे इन सभी खर्चों को उठाने और चुनाव में खड़ा होने का कष्ट नहीं करना चाहिये। और मुझे विश्वास है कि पिछला तजुर्बा ऐसे बहुत से व्यक्तियों को प्रयत्न न करने के लिये बाध्य करेगा। यदि ऐसा व्यक्ति चुनाव के लिये खड़ा भी होता है तो उसे बाद में अनर्ह ठहराये जाने के लिये और विधान सभा या संसद में जैसी भी दशा हो, बैठने की इजाज़त न मिलने का ख़तरा उठाने के लिये अवश्य ही तैयार होना चाहिये ।

लेकिन इस के अतिरिक्त इस मामले में एक और गम्भीर और अधिक कठिनाई की बात यह है कि यदि हम पड़ताल के समय इस बात का निर्णय करने के लिये एक न्यायिक प्राधिकारी की नियुक्ति करदें और हम उस प्राधिकारी के निर्णय पर अपील की सुनवाई के लिये एक और प्राधिकारी भी नियुक्त करें तब भी संविधान के अनुच्छेद २२६ में बताये गये उपबन्धों के प्रयोग के कारण इस बात की बहुत ही लम्बे समय तक खिच जाने की संभावना है। बहुत से मामलों में चुनाव होने से रोकने के लिये आदेश प्राप्त करना कठिन न होगा और एक बार आदेश जारी होने पर इस मामले पर निश्चय ही बहुत समय तक विचार नहीं हो सकेगा ।

मुझ से पहले जो माननीय सदस्य बोले हैं उन्होंने बताया है कि राष्ट्रपति और राज्यों

[श्री पाटस्कर]

के राज्यपालों को यह अधिकार होना चाहिये कि वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा अपन कार्यसंचालन के लिए बनाये गये नियमों को स्वीकार करें; अर्थात उच्च न्यायालयों को राज्यपालों की स्वीकृति लेनी पड़े और उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति की। मैं नहीं समझता कि इस सुझाव को मानना कहां तक ठीक होगा। इन नियमों के स्वरूप के संबंध में अबाध चर्चायें होंगी। यद्यपि मुझे सफलता का पूर्ण विश्वास नहीं है पर मैं इस मामले के इस पहलू पर भी विचार करने का प्रयत्न करूंगा।

पर हमारा वर्तमान अनुभव है कि बहुत से मामलों में अन्तर्नियम २२६ के अन्तर्गत उच्च न्यायालय को किसी प्राधिकारी या अन्य किसी को कोई लेख जारी करने का जो अधिकार होता है उसे प्रायः इन मामलों को बढ़ाने के लिये कार्य में लाया जाता है। इस सम्बन्ध में मैं किसी पर दोष नहीं लगाना चाहता। जब यह लेख-याचिका पेश किये जाते हैं तो अधिकता ८ या ९ महीनों में उन्हें रद्द कर दिया जाता है। पर इस मामले को काफी समय तक रोके रखा जाता है। यदि हम नाम-निर्देशनपत्रों की छानबीन के समय इस ममले का निश्चय करने के लिये एक न्यायिक प्राधिकारी नियुक्त करते हैं तो भी ऐसा ही होगा। लेख-याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिये जाने के बाद भी परिणाम यह होगा कि कुछ समय बाद उस मामले को संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय में उठाया जा सकेगा। इस प्रकार हम ने अनुभव किया है कि यदि लोग चाहें तो देश के एक भाग में कुछ समय के लिये निर्वाचन रोकवा सकते हैं। इस से निर्वाचन प्राधिकारियों द्वारा निर्वाचन के लिये किया गया सारा प्रबन्ध गड़बड़ हो जायेगा। इस से विभिन्न विधान-सभाओं के ठीक समय पर संगठित होने में भी बाधा पहुंचेगी। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं कारणों से इन उपबन्धों को इस विधेयक में नहीं रखा गया है। मैं समझता हूं कि वर्तमान प्रवर समिति पूर्व प्रवर समिति द्वारा किये गये उपबन्धों पर विचार करते समय इन बातों पर भी ध्यान रखेगी जो हम ने बताई हैं।

चुनाव कार्यक्रमों को कम करने के सम्बन्ध में कुछ लोग इस के पक्ष में हैं और कुछ विरोध में। मैं विश्वास करता हूं कि प्रवर समिति इन बातों को ध्यान में रखेगी।

निर्वाचन का दूसरा पहलू निर्वाचन-व्यय का ब्योरा पेश करने का प्रश्न है। सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने मत इस सम्बन्ध में प्रकट किये हैं। वर्तमान अधिनियम के अनुसार यह आवश्यक है कि उम्मेदवार अपने खर्चे का हिसाब रखें और उस का पूरा ब्योरा पेश करें। अतः उसे दो काम करने पड़ते हैं : एक तो हिसाब रखना, दूसरे उस का ब्योरा इकट्ठा करना देखा गया है कि निर्वाचन व्यय के ब्योरें का स्वरूप इतना जटिल होता है कि उस के खर्चों को प्रपत्र की मदों में अलग अलग रखना कठिन है। गत विधेयक की चर्चा करते समय लगभग सभी लोग एकमत थे कि निर्वाचन-व्यय के ब्योरे का प्रपत्र बहुत खराब है। अतः इस विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया है कि इस प्रकार के जटिल प्रपत्र में निर्वाचन-व्यय का ब्योरा देने के उपबन्ध को हटा दिया जाय और उम्मेदवार खर्के का जो हिसाब रखता है उस की एक प्रति

निर्वाचन पदाधिकारी के पास जमा कर दिया करे । इस से खर्चे को विभिन्न श्रेणियों में बांटने की कठिनाई नहीं रह जायेगी ।

बहुत से सदस्यों ने शिकायत की है कि सही हिसाब कोई नहीं दिखाता । पर, यदि ऐसा है तो इस का इलाज यह नहीं हो सकता कि खर्चे का हिसाब ही न रखा जाय । इस बात में कोई तर्क नहीं है कि चूंकि सही हिसाब नहीं रखा जाता, इसलिये हिसाब पेश ही न किया जाय । इस उपबन्ध की भी शिकायत की गई है कि निर्वाचन व्यय की प्रत्येक मद के लिये एक रसीद का होना आवश्यक है । पर इस विधेयक में ऐसी किसी रसीद का कोई ज़िक्र नहीं है ।

इस बात के सम्बन्ध में भी काफी चर्चा हुई थी कि एक उम्मेदवार को निर्वाचन के लिये अधिक-से-अधिक कितना धन व्यय करने की अनुमति दी जानी चाहिये । कुछ लोगों ने कहा कि इस के लिये कोई सीमा नहीं होनी चाहिये पर कुछ लोगों न कहा कि बहुत थोड़े धन के व्यय किये जाने की अनुमति दी जानी चाहिये । इस सम्बन्ध में कोई भी राशि निश्चित करने के लिये बहुत सो बातों पर ध्यान रखना होगा और इस की अधिकतम राशि में समय-समय पर अन्तर भी होता रहेगा । अतः यह निश्चित किया गया है कि इस बात का निश्चय नियमों द्वारा कर दिया जायेगा ।

मैं अपने पहले के भाषण में सविस्तार बता चुका हूं कि किसी भी मान्य दल के संगठन को इस बात के सम्बन्ध में चिन्तित नहीं होना चाहिये कि किसी उम्मेदवार ने अधिकतम राशि से अधिक व्यय किया है या नहीं । हो सकता है कि ऐसी अवस्था में ऐसे उम्मेदवारों को जो किसी भी दल के नहीं हैं कोई कठिनाई हो । धीरे धीरे ऐसे उम्मेदवारों के लिये चुनाव लड़ना कठिन हो जायेगा जो किसी भी दल के सदस्य नहीं हैं । इस के अतिरिक्त संसदात्मक प्रजातंत्र में किसी-न-किसी दल की सरकार होती है । इस प्रकार दल संगठनों का विकास होना आवश्यक है और व्यक्तिगत लोगों का महत्व बहुत कम हो जायेगा । सभी प्रजातंत्रात्मक देशों में ऐसा ही अनुभव किया गया है । इस सम्बन्ध में जो तर्क दिय गये थे वे बड़े महत्वपूर्ण थे । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि अमुक दल को चुनाव लड़ने के लिये पूंजीपतियों से धन मिलता है, अमुक दल को बाहरी देशों से धन मिलता है और अमुक दल असामाजिक अपराध कर के धन पैदा करता है । इन बातों में कहां तक तथ्य है, यह बताना कठिन है । ऐसी बात की अवहेलना करना ही अच्छा है । हमें तो सामान्य जनता द्वारा ईमानदारी और स्वतंत्रता से मतदान करने की योग्यता पर विश्वास रखना चाहिये ।

हमारे संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुच्छेद ८३ में एक उपबन्ध है जो कहता है कि लोकसभा यदि समय से पूर्व भंग नहीं की गई, तो अपनी प्रथम बैठक से ५ वर्ष तक चालू रहेगी । अतः स्पष्ट है कि यदि सभा समय से पूर्व भंग नहीं की गई तो मई १९५७ तक कार्य करेगी । और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, विभिन्न राज्यों की कालावधि विभिन्न समयों पर समाप्त होगी और सभी राज्यों में एक ही समय पर चुनाव करने के लिये हमें चाहिये कि हम इन विधान-सभाओं को समय के कुछ पूर्व ही भंग कर दें । पर इसे कैसे किया जाय, इस बात पर हमें विचार करना है । जहां तक लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १५ के उपबन्ध का प्रश्न है, इस प्रकार एक समय पर निर्वाचन करना संभव नहीं होगा । साथ ही किसी की भी यह इच्छा नहीं है कि कुछ समय तक राज्यों में मंत्रिमंडल का शासन रहे और विधान-सभायें न रहें ।

[श्री पाटस्कर]

यह सुझाव तो उम्मेदवार जनता तथा चुनाव प्राधिकारियों की सुविधा को ध्यान में रख कर पेश किया गया है । मैं जानता हूं कि ब्रिटेन में भी ऐसी ही प्रथा है जहां १९११ के पार्लियामेंट ऐक्ट के अनुसार कालावधि ५ वर्ष निश्चित की गई है । वहां भी समय से कुछ पूर्व ही संसद् को भंग कर दिया जाता है और निर्वाचन का प्रबन्ध किया जाता है । मैं जानता हूं कि इस मामले पर सभा में बहुत मतभेद है पर यदि कोई भी सदस्य कोई अन्य साधन बतायेंगे जिस से हमारा प्रयोजन पूरा हो जाये और हमारी सभा मई, १९५७ तक रहे, तो उसे स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं होगी । चूंकि निर्वाचन आयोग ने ऐसा एक सुझाव दिया है इसलिये हम ने यह उपबन्ध रखा है, ऐसी बात नहीं है बल्कि हम ने यह उपबन्ध केवल सुविधा की दृष्टि से रखा है और मैं आशा करता हूं कि प्रवर-समिति इस प्रश्न पर विचार करेगी ।

अब मैं निर्वाचन न्यायाधिकरण की बात लेता हूं । मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारे निर्वाचनों का एक बुरा लक्षण यह है कि बहुत सी निर्वाचन याचिकायें पेश की जाती हैं । प्रत्येक व्यक्ति तथा दल के लिये इसे निरुत्साहित करना उचित है । मैं निर्वाचन विवादों के स्वरूपों के बारे में बता चुका हूं और यह भी बता चुका हूं कि इन विवादों को व्यवहार विवाद की भांति न समझा जाय बल्कि किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लोगों को अपनी पसन्द का प्रतिनिधि भेजने का प्रश्न समझा जाये । इस सम्बन्ध में भी मैं माननीय सदस्यों को बहुत बातें बताना चाहता हूं जो इंगलैण्ड में प्रचलित हैं । जैसे, पहले वहां पर पार्लियामेंट ही इन मामलों को निबटाती थी । कई शताब्दी बाद बहुत से दलों के बन जाने के बाद यह निश्चय किया गया कि किसी बाहरी प्राधिकारी द्वारा उन का निश्चय किया जाना अधिक उचित होगा । इसीलिये उन्हों ने निश्चय किया कि ऐसे मामलों का निर्णय खण्ड-न्यायालय के न्यायाधीश या किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिये । पर वहां पर इन मामलों को दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाता है । मैं माननीय सदस्यों को पुनः स्मरण दिलाना चाहूंगा कि इंगलैंड में बहुत थोड़ी याचिकायें पेश होती हैं । गत सामान्य चुनाव के बाद वहां अभी तक केवल एक याचिका पेश की गई है । संयुक्त राज्य अमरीका में भी एक उपबन्ध है जिस का जिक्र मैं कर चुका हूं और मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य ध्यान रखें कि वहां यह सब मामले दोनों हाउसों (सभाओं) द्वारा तय किये जाते हैं और चूंकि हम इस के साथ ही विलम्ब के प्रश्न को भी ले कर चल रहे हैं अतः हमें चाहिये कि हम इन मामलों को दो व्यक्तियों के बीच के साधारण सम्पत्ति सम्बन्धी झगड़े से भिन्न समझें । कई माननीय सदस्यों ने इसे ठीक दृष्टिकोण से नहीं समझा है । मैं पहले भी स्पष्ट कर रहा था और मैं फिर भी दोहरा रहा हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इन मामलों को सामान्य प्रकार के न्यायिक हस्तक्षेप से पृथक रखा है । इसीलिये उन्हों ने अनुच्छेद ३२९ में स्पष्ट रूप से व्यवस्था कर दी है कि निर्वाचन विवाद के सम्बन्ध में संसद् द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार ही याचिका दी जा सकती है । इसी कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में स्पष्ट तथा विस्तृत उपबन्ध किया गया था कि निर्वाचन याचिकाओं के परीक्षण तथा प्रतिनिधित्व के लिये विशेष प्रकार के न्यायाधिकरण होंगे । इस के पीछे यह विचार था कि निर्वाचन विवादों का शीघ्रता से और अन्तिम रूप से निर्णय किया जा सके ।

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत हैं कि इस का तत्काल तथा अन्तिम रूप से निश्चय हो जाय । अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि इन न्यायाधिकरणों के कार्यों तथा विभिन्न उच्च-न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी किये गये आदेशों से विवादों के निपटारे में विलम्ब हो सकता है ।

मेरे लिये यह उचित होगा कि मैं माननीय सदस्यों को इन निर्वाचन न्यायाधिकरणों के कार्य तथा विवाद के निपटारे की जानकारी दूं । पिछले साधारण निर्वाचनों के पश्चात् १९५२ के प्रारम्भ में ३३८ चुनाव याचिकायें भेजी गईं, जिन में से १२९ को अनुमति दी गई । तीन मामलों में न्यायाधिकरणों के निर्णय के पश्चात् भी, उच्च-न्यायालयों में उन के रोके जाने के आदेश के कारण परिणाम अभी प्रकाशित नहीं किया गया है । १५७ याचिकायें अस्वीकृत कर दी गईं । २३ निर्वाचन याचिकायें या तो वापस ले ली गईं अथवा रोक दी गईं, अथवा अनियमित करार दी गईं । लगभग साढ़े तीन वर्ष के पश्चात् भी निर्वाचन न्यायाधिकरण के सम्मुख ५ याचिकायें अनिर्णीत पड़ी हैं । उक्त पांच मामलों में से एक का निपटारा हो चुका है, यद्यपि उस का परिणाम प्रकाशित नहीं हुआ है । मैं नहीं जानता कि यह उच्च न्यायालय के किसी लेख अथवा उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति पर किया गया है । अवशेष चार मामले दिल्ली, लखनऊ, बिहार राज्य तथा मध्य प्रदेश से सम्बद्ध हैं । मेरे विचार से सभी माननीय सदस्य इस बात पर सहमत होंगे कि ऐसी प्रणाली, जिस के अधीन किसी चुनाव के मामले को ५ वर्ष तक लड़ा जा सकता है अथवा रोका जा सकता है, असन्तोषजनक है । विलम्ब कुछ तो न्यायाधिकरणों के कारण तथा कुछ उच्च-न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किये गये विभिन्न आदेशों के कारण हुआ है । मैं न्यायपालिका की योग्यता तथा कार्यक्षमता की प्रतिष्ठा करता हूं । इसीलिये मैं ने पिछले अवसर पर कहा था कि हमारे न्यायाधीश जनता की न्याय भावना से परिचित हैं तथा जहां तक सम्भव होता है वे इस शक्ति से प्रभावित हो कर रियायत करते हैं, और यह शक्ति है जनता की न्याय भावना । किन्तु ऐसा ज्ञात होता है कि उन्हें ढील नहीं मिली फलतः उन्हें ऐसे आदेश पारित करने पड़े जिन का उक्त परिणाम हुआ । मेरे विचार से संसद् का यह कर्तव्य है कि वह इस सम्बन्ध में उपयुक्त उपचार करे तथा प्रवर समिति को यह अधिकार होगा कि वह जो भी सुझाव ठीक समझे दे ।

तीन के स्थान पर दो सदस्यों वाले न्यायाधिकरण की भी आलोचना हुई थी । विधेयक में दो न्यायाधीश वाले न्यायाधिकरण का सुझाव रखा गया है । तीन सदस्यों वाले न्यायाधिकरण में दो न्यायाधीश तथा एक वकील होगा जो या तो निवृत्ति-प्राप्त होंगे या पदारूढ़ । कई मामलों में प्रशासन की सुविधा के लिये एक ही पदारूढ़ न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, दूसरा न्यायाधीश निवृत्ति प्राप्त होता है अथवा पदारूढ़ और तीसरा एक अधिवक्ता होता है । अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि जो व्यक्ति पदारूढ़ नहीं होता है वह मामले को तेजी से निपटाने में रुचि नहीं लेता है । इसी दृष्टिकोण से दो पदारूढ़ न्यायाधीशों वाला न्यायाधिकरण बनाने का प्रस्ताव किया गया है । कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रस्ताव रखा था कि न्यायाधिकरण में एक ही पदारूढ़ न्यायाधीश होना चाहिये तथा उच्च न्यायालय में एक अपील की अनुमति होनी चाहिये । मेरे विचार से प्रवर-समिति को इस प्रस्ताव पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिये क्योंकि इस से

[श्री पाटस्कर]

बहुत सी लेख तथा अपीलें उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकेंगी । इस से कई मामलों में उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में जाने का मार्ग भी अवरुद्ध हो जायेगा । जहां तक न्यायाधिकरण के अधिवक्ताओं की नियुक्तियों का प्रश्न है, ज्येष्ठ अधिवक्ताओं को ६० रुपये प्रति दिन का पारिश्रमिक पर्याप्त नहीं ज्ञात होता । पदारूढ़ न्यायाधीशों के लिये अतिरिक्त पारिश्रमिक का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । मैं ने पिछले अवसर पर कहा था कि सरकार को इन न्यायाधिकरणों पर १६,००० रुपये के लगभग व्यय करना पड़ा । मुझे विश्वास है कि प्रवर-समिति को इस समस्या का हल ढूंढना पड़ेगा तथा वह इस सम्बन्ध में विभिन्न सदस्यों के विभिन्न दृष्टिकोणों पर तथा निर्वाचन आयोग के दृष्टिकोणों पर भी विचार करेगी ।

दिल्ली के एक सदस्य ने दिल्ली की राज्य विधान सभा में अनुसूचित जातियों के अनुचित प्रतिनिधित्व के बारे में कहा था । यद्यपि मुझे किसी भी उचित मांग के प्रति सहानुभूति है तथापि मेरे विचार से इन दो विधेयकों से इस का कोई उपचार नहीं होगा ।

एक माननीय सदस्य ने, जोकि इस समय यहां नहीं दिखाई देते, यह सुझाव दिया था कि वयस्कता की आयु को २१ वर्ष से घटा कर १८ वर्ष कर दिया जाय । मेरे विचार में इस सुझाव का कोई कारण मालूम नहीं हुआ ।

माननीय डा० कृष्णस्वामी ने लोकसभा तथा विधान-सभाओं को, उन की अवधि के पूर्व ही समाप्त करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कहा कि ऐसा करना संविधान के सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा । मेरे विचार से इस सम्बन्ध में कोई संविधान सम्बन्धी उलझन नहीं है । इस बात के औचित्य पर प्रवर समिति विचार करेगी । प्रवर समिति मामले के इस पहलू पर भी विचार करेगी ।

मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों तथा चुनाव की पहिली स्थिति से अन्तिम स्थिति तक के सभी प्रश्नों को लिया है । कुछ छोटे प्रश्न हो सकते हैं जिन का मैंने ज़िक्र न किया हो । किन्तु इस लम्बी तथा विस्तृत चर्चा की प्रतिलिपियां प्रवर समिति के सदस्यों को भेजी जायेंगी तथा वे सभा में प्रगट किये गये प्रत्येक दृष्टिकोण पर विचार करेंगे । प्रवर समिति में इन सभी बातों पर उचित रीति से विचार किया जायेगा ।

मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि मेरे प्रस्तावों को स्वीकार कर ले ।

अध्यक्ष महोदय : क्या पंडित ठाकुर दास भार्गव अपने संशोधनों को प्रस्तुत करेंगे ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि पहिले प्रस्ताव में, "the mover" ["प्रस्तावक"] के पश्चात् यह अंश रखा जाय :—

"With instructions that matters other than those dealt with in the Bill, but relating to election in general and matters dealt with in the Representation of the People Acts, 1950 and 1951 (XLIII of 1950 and 1951), *e. g.*,—

(*i*) duties of Retuning Officer, Presiding Officer and Polling Officer. (Sections 24, 27 and 28);

(*ii*) appeals from decision of Returning Officers on scrutiny of nomination;

(*iii*) Election accounts—(section 44)

(*iv*) functions of Polling Agents

and Counting Agents—(section 49);

(*v*) ballot boxes and method of voting—(sections 59 and 63) —ballot boxes and method of counting;

(*vi*) Return of statement of Election expenses—

(a) whether it should be dispensed with?

(b) whether its filing should be before or after filing of election petition?

(*c*) whether it should be open to inspection before presentation of election expenses?

(d) whether there should be a ceiling?

(*vii*) definition of candidate[section 79(b) specially having regard to the judgment of Supreme Court in Katpadi Election case];

(*viii*) procedure before Election Tribunal and Powers of Tribunal—(sections 88, 90 and 92)—and composition of Tribunal;

(*ix*) Incriminating Questions—should there be certificate of indemnity—(section 95);

(*x*) claim for Recrimination—(section 97);

(*xi*) when petitioner in election case can claim the seat—(section 101);

(*xii*) withdrawal and abatement of election petition—(sections 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115 and 116);

(*xiii*) corrupt practices—(sections 123 and 124);

(*xiv*) Illegal practices—(section 125);

(*xv*) electoral offences —(section 129 should be made applicable to all Government servants as recommended by Election Commission);

(*xvi*) disqualifications arising out of illegal practices—(section 142);

(*xvii*) Removal of Disqualifications—hon for condonations should be made retrospective—which authority should be vested with the power to condone and in which circumstances;

(*xviii*) Symbols and Power of Election Commission in connection therewith

(*xix*) Disqualifications (section 7) apart from consequences of not lodging Election Return;

be considered and amendments allowed to be moved and made and also."

["ऐसे अनुदेश हों कि विधेयक में उल्लिखित किन्तु सामान्य रूप में चुनाव से सम्बन्ध रखने वाली बातों के अलावा तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० और १९५१ (४३ का १९५० और १९५१), में उल्लिखित बातों यथा,

(१) चुनाव पदाधिकारी, निर्वाचन पदाधिकारी तथा मतदान-स्थान पदाधिकारी के कर्त्तव्य (धारा २४, २७ और २८);

(२) नामनिर्देशन की जांच पर चुनाव पदाधिकारी का निर्णय;

(३) निर्वाचन लेखा (धारा ४४);

(४) चुनाव अभिकर्ता तथा गणन-अभिकर्ता—(धारा ४९);

(५) शलाका पेटियों तथा मतदान की प्रणाली—(धारा ५९ और ६३) —शलाका पेटियां तथा गिनने की प्रणाली;

(६) निर्वाचन व्यय का लेखा अथवा विवरण—

(क) क्या इसे हटा दिया जाय ?

(ख) इसे निर्वाचन याचिका प्रस्तुत

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

करने के पूर्व दिया जाय अथवा पश्चात् ?

(ग) क्या निर्वाचन व्यय को प्रस्तुत करने के पूर्व उस का निरीक्षण किया जा सकेगा ?

(घ) क्या इसकी कोई अधिकतम सीमा होगी ?

(७) उम्मीदवार की परिभाषा [धारा ७९ (ख)--कटपदी चुनाव मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए] ;

(८) निर्वाचन न्यायाधिकरण के सम्मुख प्रक्रिया तथा निर्वाचन न्यायाधिकरण का अधिकार—(धारा ८८, ९० तथा ९२) और न्यायाधिकरण की रचना;

(९) दोषारोपण करने वाले प्रश्न—क्या तारण का प्रमाण-पत्र होना चाहिये —(धारा ९५) ?

(१०) प्रत्यारोप लगाने का दावा—(धारा ९७) ;

(११) याचिका देने वाला चुनाव के मामले में स्थान का दावा कब कर सकता है—(धारा १०१);

(१२) निर्वाचन याचिका को वापस लेना अथवा रोक देना—(धारा १०८, १०९, ११०, ११२, ११३, ११४, ११५ और ११६) ;

(१३) भ्रष्ट व्यवहार—(धारायें १२३ और १२४) ;

(१४) अवैध व्यवहार—(धारा १२५);

(१५) निर्वाचन सम्बन्धी अपराध —(धारा १२९, जैसा कि निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की थी, सभी सरकारी कर्मचारियों पर प्रयुक्त हो);

(१६) अवैध व्यवहार करने से उत्पन्न हुई अनर्हतायें (धारा १४२);

(१७) अनर्हता निवारण—क्षमा कब तक के लिये भूतलक्षी हो—किन पदाधिकारियों को किन किन दशाओं में यह अधिकार प्रदान किया जाय ;

(१८) इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग के प्रतीक व शक्तियां ;

(१९) अनर्हतायें—(धारा ७)—निर्वाचन लेखा न भेजने के परिणामों के अलावा ;

पर विचार किया जाय तथा संशोधन प्रस्तुत करने और देने की अनुमति भी दी जाय और यह भी कि।"]

यह लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५५ के सम्बन्ध में है। अब मैं लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९५५ पर अपना अन्य संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

कि दूसरे प्रस्ताव में "the mover" ['प्रस्तावक'] के पश्चात् यह अंश रखा जाय :—

"With instructions that matter, other than those dealt with in the Bills but relating to election in general and matters dealt with in the Representation of the People Acts, 1950 and 19 (XLIII of 1950 and 1951), *e. g.*,—

(i) duties of Returning Officer, Presiding Officer and Polling Officer. (Sections 24, 27 and 28);

(ii) appeals from decision of Returning Officers on scrutiny of nomination;

(iii) Election accounts—section 44);

(*iv*) functions of Polling Agents and Counting Agents—(section 49);

(*v*) ballot boxes and method of voting—(sections 59 and 63) —ballot boxes and method of counting;

(*vi*) Return of statement of Election expenses—

(a) whether it should be dispensed with?

(b) whether its filing should be before or after filing of election petition?

(c) whether it should be open to inspection before presentation of election expenses?

(d) whether there should be a ceiling?

(*vii*) definition of candidate [section 79 (b)—specially having regard to the judgment of Supreme Court in Katpadi Election case];

(*viii*) Procedure before Election Tribunal and Powers of Tribunal—(sections 88, 90 and 92)—and composition of Tribunal;

(*ix*) Incriminating Questions—should there be certificate of indemnity—(section 95)?

(*x*) claim for Recrimination—(section 97);

(*xi*) when petitioner in election case can claim the seat—(section 101);

(*xii*) withdrawal and abatement of election petition— (sections 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115 and 116);

(*xiii*) corrupt practices—(sections 123 and 124);

(*xiv*) Illegal practices—(section 125);

(*xv*) electoral offences—(section 129 should be made applicable to all Government servants as recommended by Election Commission);

(*xvi*) disqualifications arising out of illegal practices — (section 142);

(*xvii*) Removal of Disqualifications—how far condonations should be made retrospective —which authority should be vested with the power to con done and in which circumstances;

(*xviii*) Symbols and Power of Election Commission in connection therewith;

(*xix*) Disqualifications (section 7)—apart from consequences of not lodging Election Return;

be considered and amendments allowed to be moved and made and also"

["ऐसे अनुदेश हों कि विधेयक में उल्लिखित किन्तु सामान्य रूप में चुनाव से सम्बन्ध रखने वाली बातों के अलावा तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० और १९५१ (४३ का १९५० और १९५१), में उल्लिखित बातें यथा,

(१) चुनाव पदाधिकारी, निर्वाचन पदाधिकारी तथा मतदान-स्थान पदाधिकारी के कर्त्तव्य (धारा २४, २७ और २८) ;

(२) नाम निर्देशन की जांच पर चुनाव पदाधिकारी का निर्णय ;

(३) निर्वाचन लेखा (धारा ४४) ;

(४) चुनाव अभिकर्ता तथा गणन अभिकर्ता (धारा ४९) ;

(५) शलाका पेटियां तथा मतदान की प्रणाली (धारा ५९ और ६३)—शलाका पेटियां तथा गिनने की प्रणाली ;

(६) निर्वाचन व्यय का लेखा अथवा विवरण—

(क) क्या इसे हटा दिया जाय ?

(ख) इसे निर्वाचन याचिका प्रस्तुत

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

करने के पूर्व दिया जाय अथवा पश्चात् ?

(ग) क्या निर्वाचन व्यय को प्रस्तुत करने के पूर्व उस का निरीक्षण किया जा सकेगा ?

(घ) क्या इस की कोई अधिकतम सीमा निश्चित होगी ?

(७) उम्मीदवार की परिभाषा [धारा ७९(ख)—कटपदी चुनाव मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए] ;

(८) निर्वाचन न्यायाधिकरण के सम्मुख प्रक्रिया तथा निर्वाचन न्यायाधिकरण का अधिकार—(धारा ८८, ९० तथा ९२)—और न्यायाधिकरण की रचना ;

(९) दोषारोपण करने वाले प्रश्न—क्या तारण का प्रमाण-पत्र होना चाहिये —(धारा ९५) ?

(१०) प्रत्यारोप लगाने का दावा —(धारा ९७) ;

(११) याचिका देने वाला चुनाव के मामले में स्थान का दावा कब कर सकता है—(धारा १०१) ;

(१२) निर्वाचन याचिका को वापस लेना अथवा रोक देना (धारा १०८, १०९, ११०, ११२, ११३, ११४, ११५ और ११६) ;

(१३) भ्रष्ट व्यवहार (धारा १२३ और १२४) ;

(१४) अवैध व्यवहार — (धारा १२५) ;

(१५) निर्वाचन सम्बन्धी अपराध —(धारा १२९, जैसा कि निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की थी, सभी सरकारी कर्मचारियों पर प्रयुक्त हो) ;

(१६) अवैध व्यवहार करने से उत्पन्न हुई अनर्हतायें (धारा १४२) ;

(१७) अनर्हता निवारण—क्षमा कब तक के लिये भूतलक्षी हो—किन पदाधिकारियों को किन किन दशाओं में यह अधिकार प्रदान किया जाय ;

(१८) इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग के प्रतीक और शक्तियां ;

(१९) अनर्हतायें (धारा ७) निर्वाचन लेखा न भेजने के परिणामों के अलावा ;

पर विचार किया जाय तथा संशोधन प्रस्तुत करने और देने की अनुमति दी जाय और यह भी कि ।"]

अध्यक्ष महोदय : दोनों संशोधन सभा के समक्ष हैं ।

श्री सी० डी० पांडे : उक्त विवरण पूर्ण नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : स्थिति यह है कि पहिला संशोधन अस्पष्ट और बहुत व्यापक था लेकिन यह संशोधन यद्यपि उसी प्रकार का है तथापि इस में कुछ विशेष धाराओं तथा बातों का उल्लेख कर दिया गया है । जिन पर प्रवर समिति विचार कर सकती है, केवल इतना ही अन्तर है ।

श्री पाटस्कर : मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं । मुझे उन विषयों से कोई आपत्ति नहीं, जोकि सूची में दिये गये हैं । मैं चाहता हूं कि "विधेयकों में दिये गये विषयों के अतिरिक्त निर्वाचन सम्बन्धी विषयों तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमों के विषयों" शब्दों के स्थान पर "सूची में दिये गये विषय" शब्द आदिष्ट किये जायें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जब मैंने प्रथम संशोधन प्रस्तुत किया तो उस के साथ

कोई सूची सम्बद्ध नहीं थी । उस के बाद एक सूची तैयार की गई किन्तु वह संपूर्ण नहीं थी । हम तो यह चाहते हैं कि निर्वाचन विधि, जहां तक सम्भव हो सके, सम्पूर्ण रूप में तैयार की जाय । मुझे आशा है कि मेरा संशोधन जिस रूप में है उसी रूप में माननीय मंत्री उसे स्वीकार कर लेंगे । यह सूची तो श्री एन० सी० चटर्जी ने यह कह कर दी थी कि वे इन बातों को सम्मिलित करना चाहते हैं । माननीय मंत्री को इस संशोधन से सहमत कराने के लिये ही यह काम किया गया था ।

श्री पाटस्कर : मुझे इस भ्रम को फिर दूर करना पड़ेगा । मैं ने पहले ही कहा है कि अधिकांश सुझाव इन दो विधेयकों के संशोधनों के अन्तर्गत आ गये हैं ।

एक सुझाव यह दिया गया था कि इन संशोधनों से सम्बन्धित ऐसे अनेक विषय हो सकते हैं जिन की ओर प्रवर समिति का ध्यान न जाने पाये । अतः उचित यही समझा गया कि एक ऐसी सूची बना ली जाय जिस से वे विषय समिति के सम्मुख रहें । इन में से अधिकतर बातों पर तो पहले ही चर्चा हो चुकी है । यह कहने के बजाय कि इन पर चर्चा हो चुकी है । मैं इन विषयों की सारी सूची को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं । मैं सिद्धान्त के रूप में किसी बात को अस्वीकार करने के पक्ष में नहीं हूं किन्तु यह कहना बहुत ही अस्पष्ट है कि निर्वाचन सम्बन्धी साधारण विषयों पर विचार किया जाय । हमें विशेष रूप में यह बताना होगा कि वे विषय क्या हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए । अतः इस सूची की सहायता द्वारा इस विषय पर विचार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी । यह तो मैं मानता हूं कि इन दोनों विधेयकों पर विचार करते समय निर्वाचन सम्बन्धी अन्य सब बातों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये । यदि माननीय मंत्री मेरे आशय को भली भांति नहीं समझ सके तो इस का मुझे बड़ा खेद है । मुझे यह कहने में भी खेद है कि यह संशोधन जिस रूप में है उसी रूप में मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : तब मैं यह सुझाव देता हूं कि "सामान्य रूप में निर्वाचन" शब्द हटा दिये जायें ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) : मैं यह सुझाव देता हूं कि या तो इस सूची को पूर्णरूपेण स्वीकार किया जाय या फिर इस के लिये कुछ और समय दिया जाये ताकि इसे सदस्यों में परिचालित किया जा सके और इस पर कुछ और सुझाव दिये जा सकें ।

श्री पाटस्कर : मैं ने तो यह बात पहले दिन ही कही थी । मैं ने कहा था कि माननीय सदस्य अपने अपने सुझाव प्रस्तुत करें किन्तु इस बात पर शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया ।

श्री कामत : यह सूची केवल प्रवर समिति के लिये ही रहेगी या बाद में सभा से भी कहा जायगा कि केवल इन्हीं बातों पर विचार प्रकट किये जायें ?

श्री सी० डी० पांडे : यदि और विचार भी विधेयकों से सुसंगत हैं तो वे प्रकट किये जा सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है, माननीय मंत्री का यह कथन ठीक जान पड़ता है कि 'सामान्य रूप से निर्वाचन' विषय कहने से तो विधेयकों का क्षेत्र बहुत ही बड़ा हो जायेगा । हमें तो केवल मूल अधिनियमों तक सीमित रहना है । अतः ये शब्द निकाल दिये जाने चाहियें ।

श्री पाटस्कर : तब तो सूची की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी ।

अध्यक्ष महोदय : सूची रहने दीजिये । वह भी सहायक सिद्ध होगी ।

श्री राघवाचारी : मैं चाहता हूं कि "अधिनियम" के स्थान पर "अधिनियमों" शब्द रखा जाय ।

अध्यक्ष महोदय : दोनों विधेयक एक साथ नहीं बल्कि पृथक-पृथक् रूप में प्रस्तुत किये गये हैं । अब क्रमशः दोनों संशोधन सभा के सम्मुख मतदान के लिये रखूंगा । पहले मैं लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक से सम्बद्ध संशोधन रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

कि पहले प्रस्ताव में "the mover" ['प्रस्तावक'] के पश्चात् यह अंश रखा जाय–

"With instructions that matters other than those dealt with in the Bill, but relating to election in general and matters dealt with in the Representation of the People Acts, 1950 and 1951 (XLIII of 1950 and 1951), *e.g.*,—

(*i*) duties of Returning Officer, Presiding Officer and Polling Officer. (Sections 24, 27 and 28);

(*ii*) appeals fron decision of Returning Officers on scrutiny of nomination;

(*iii*) Election accounts—(section 44);

(*iv*) functions of Polling Agents and Counting Agents—section 49);

(*v*) ballot boxes and method of voting—(sections 59 and 63)--ballot boxes and method of counting;

(*vi*) Return of statement of Election expenses—

(a) whether it should be dispensed with?

(b) whether its filing should be before or after filing of election petition ?

(c) whether it should be open to inspection before presentation of election expenses?

(d) whether there should be a ceiling?

(*vii*) definition of candidate [section 79 (b)— specially having regard to the judgment of Supreme Court in Katpadi Election case];

(*viii*) procedure before Election Tribunal and Powers of Tribunal—(sections 88, 90 and 92)—and composition of Tribunal;

(*ix*) Incriminating Questions—should there be certificate of indemnity—(section 95)?

(*x*) claim for Recrimination—(section 97);

(*xi*) when petitioner in election case can claim the seat—(section 101);

(*xii*) withdrawal and abatement of election petition—(sections 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115 and 116);

(*xiii*) corrupt practices—(section 123 and 124);

(*xiv*) Illegal practices— (section 125);

(*xv*) electoral offences—(section 129 should be made applicable to all Government servants as recommended by Election Commission);

(*xvi*) disqualifications arising out of illegal practices—(section 142);

(*xvii*) Removal of Disqualifications --how far condonations should be made retrospective—which authority should be vested with the power to condone and in which circumstances;

(*xviii*) Symbols and Power of Election Commission in connection therewith;

(*xix*) Disqualifications (section 7)—apart from consequences of not lodging Election Return;

be considered and amendments allowed to be moved and made and also."

["ऐसे अनुदेश हों कि विधेयक में उल्लिखित किन्तु सामान्य रूप में निर्वाचन से सम्बन्ध रखने वाली बातों के अलावा तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० और १९५१ (४३ का १९५० और १९५१), में उल्लिखित बातों यथा :

(१) चुनाव पदाधिकारी, निर्वाचन पदाधिकारी तथा मतदान स्थान पदाधिकारी के कर्त्तव्य (धारा २४, २७ और २८) ;

(२) नाम निर्देशन की जांच पर चुनाव पदाधिकारी का निर्णय;

(३) निर्वाचन लेखा (धारा ४४) ;

(४) चुनाव अभिकर्ता तथा गणन अभिकर्ता (धारा ४९) ;

(५) शलाका पेटियां तथा मतदान की प्रणाली (धारा ५९ और ६३)—शलाका पेटियां तथा गिनने की प्रणाली ;

(६) निर्वाचन व्यय का लेखा अथवा विवरण—

(क) क्या इसे हटा दिया जाय ?

(ख) इसे निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने के पूर्व दिया जाये अथवा पश्चात् ?

(ग) क्या निर्वाचन व्यय को प्रस्तुत करने के पूर्व उस का निरीक्षण किया जा सकेगा ?

(घ) क्या इस की कोई अधिकतम सीमा निश्चित होगी ?

(७) उम्मीदवार की परिभाषा [धारा ७९(ख) कटपदी चुनाव मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए] ;

(८) निर्वाचन न्यायाधिकरण के सुझाव प्रक्रिया तथा निर्वाचन न्यायाधिकरण का अधिकार—(धारा ८८, ९० तथा ९२)—और न्यायाधिकरण की रचना ;

(९) दोषारोपण करने वाले प्रश्न—क्या तारण का प्रमाण-पत्र होना चाहिये—(धारा ९५) ?

(१०) प्रत्यारोप लगाने का दावा—(धारा ९७) ;

(११) याचिका देने वाला निर्वाचन के मामले में स्थान का दावा कब कर सकता है —(धारा १०१)?

(१२) निर्वाचन याचिका को वापस लेना अथवा रोक देना (धारा १०८, १०९, ११०, ११२, ११३, ११४, ११५ और ११६) ;

(१३) भ्रष्ट व्यवहार—(धारा १२३ और १२४) ;

(१४) अवैध व्यवहार—(धारा १२५) ;

(१५) निर्वाचन सम्बन्धी अपराध—(धारा १२९, जैसा कि निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की थी, सभी सरकारी कर्मचारियों पर प्रयुक्त हो) ;

(१६) अवैध व्यवहार करने से उत्पन्न हुई अनर्हतायें – (धारा १४२) ;

(१७) अनर्हता निवारण—क्षमा कब तक के लिये भूतलक्षी हो तथा किन पदाधिकारियों को किन किन दशाओं में यह अधिकार प्रदान किया जाये ;

(१८) इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग के प्रतीक और शक्तियां ;

[अध्यक्ष महोदय]

(१९) अनर्हतायें — (धारा ७) निर्वाचन लेखा न भेजने के परिणामों के अलावा ;

पर विचार किया जाय तथा संशोधन प्रस्तुत करने और देने की अनुमति दी जाये और यह भी कि ।'"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं द्वितीय संशोधन सभा के समक्ष मतदान के लिये रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

कि दूसरे प्रस्ताव में 'the mover' ['प्रस्तावक'] के पश्चात् यह अंश रखा जाय :

"With instructions that matters other than those dealt with in the Bill, but relating to election in general and matters dealt with in the Representation of the People Acts, 1950 and 1951 (XLIII of 1950 and 1951), *e.g.*,—

(*i*) duties of Returning Officer, Presiding Officer and Polling Officer. (sections 24, 27 and 28);

(*ii*) appeals from decision of Returning Officers on scrutiny of nomination;

(*iii*) Election accounts—(section 44);

(*iv*) functions of Polling Agents and Counting Agents—(section 49);

(*v*) ballot boxes and method of voting—(sections 59 and 63)—ballot boxes and method of counting;

(*vi*) Return of statement of Election expenses—

(*a*) whether it should be dispensed with?

(*b*) whether its filing should be before of after filing of election petition?

(*c*) whether it should be open to inspection before presentation of election expenses?

(*d*) whether there should be a ceiling?

(*vii*) definition of candidate [section 79 (*b*)—specially having regard to the judgment of Supreme Court in Katpadi Election case];

(*viii*) procedure before Election Tribunal and powers of Tribunal—(sections 88, 90 and 92)—and composition of Tribunal;

(*ix*) Incriminating Questions—should there be certificate of indemnity 95—(section) ?

(*x*) claim for Recrimination—(section 97);

(*xi*) when petitioner in election case can claim the seat—(section 101);

(*xii*) withdrawal and abatement of election petition—(sections 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115 and 116);

(*xiii*) corrupt practices—(sections 123 and 124);

(*xiv*) Illegal practices—(section 125);

(*xv*) electoral offences—(section 129 should be made applicable to all Government servants recommended by Election Commission);

(*xvi*) disqualifications arising out of illegal practices—(section 142);

(*xvii*) Removal of Disqualifications—how far condonations should be made retrospective—which authority should be vested with the power to condone and in which circumstances;

(*xviii*) Symbols and Power of Election Commission in connection therewith;

(*xix*) Disqualifications (section 7)—apart from consequences of not lodging Election Return;

be considered and amendments allowed to be moved and made and also."

["ऐसे अनुदेश हों कि विधेयक में उल्लिखित किन्तु सामान्य रूप में निर्वाचन से सम्बन्ध रखने वाली बातों के अलावा

तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० और १९५१ (१९५० और १९५१ का ४३), में उल्लिखित बातों यथा :

(१) चुनाव पदाधिकारी, निर्वाचन पदाधिकारी तथा मतदान स्थान पदाधिकारी के कर्त्तव्य (धारा २४, २७ और २८) ;

(२) नाम निर्देशन की जांच पर चुनाव पदाधिकारी का निर्णय ;

(३) निर्वाचन लेखा (धारा ४४) ;

(४) चुनाव अभिकर्ता तथा गणन अभिकर्ता (धारा ४९) ;

(५) शलाका पेटियां तथा मतदान की प्रणाली (धारा ५९ और ६३)—शलाका पेटियां तथा गिनने की प्रणाली;

(६) लेखा अथवा निर्वाचन व्यय का लेखा अथवा विवरण—

(क) क्या इसे हटा दिया जाये ?

(ख) इसे निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने के पूर्व दिया जाये अथवा पश्चात् ;

(ग) क्या निर्वाचन व्यय को प्रस्तुत करने के पूर्व उस का निरीक्षण किया जा सकेगा ?

(घ) क्या इस की कोई अधिकतम सीमा निश्चित होगी ?

(७) उम्मीदवार की परिभाषा [धारा ७९ (ख) कटपदी चुनाव मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए] ;

(८) निर्वाचन न्यायाधिकरण के सम्मुख प्रक्रिया तथा निर्वाचन न्यायाधिकरण का अधिकार—(धारा ८८, ९० तथा ९२)—और न्यायाधिकरण की रचना ;

(९) दोषारोपण करने वाले प्रश्न—क्या तारण का प्रमाण-पत्र होना चाहिये—(धारा ९५) ?

(१०) प्रत्यारोप लगाने का दावा—(धारा ९७) ;

(११) याचिका देने वाला निर्वाचन के मामले म स्थान का दावा कब कर सकता है —(धारा १०१) ;

(१२) निर्वाचन याचिका को वापस लेना अथवा रोक देना—(धारा १०८, १०९, ११०, ११२, ११३, ११४, ११५ और ११६) ;

(१३) भ्रष्ट व्यवहार—(धारा १२३ और १२४) ;

(१४) अवध व्यवहार—(धारा १२५) ;

(१५) निर्वाचन सम्बन्धी अपराध—(धारा १२९, जैसा कि निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की थी, सभी सरकारी कर्मचारियों पर प्रयुक्त हो) ;

(१६) अवैध व्यवहार करने से उत्पन्न हुई अनर्हतायें (धारा १४२) ;

(१७) अनर्हता निवारण—क्षमा कब तक के लिये भूतलक्षी हो तथा किन पदाधिकारियों को किन किन दशाओं में यह अधिकार प्रदान किया जाये ;

(१८) इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग के प्रतीक और शक्तियां ;

(१९) अनर्हतायें—(धारा ७) निर्वाचन लेखा न भेजने के परिणामों के अलावा ;

पर विचार किया जाय तथा संशोधन प्रस्तुत करने और देने की अनुमति दी जाये और यह भी कि ।' "]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : पंडित ठाकुर दास भार्गव के इन संशोधनों में, जो अभी स्वीकृत हुए हैं, श्री एन० सी० चटर्जी के संशोधन समा जाते हैं । अतः उन्हें यहां रखे जाने की आवश्यकता नहीं । अब मैं लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में प्रस्ताव को, संशोधित रूप में, सभा के समक्ष रखूंगा ।

प्रश्न यह है :—

"That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950, and to make certain consequential amendments in the Government of Part C States Act, 1951 be referred to a Select Committee consisting of Pandit Thakur Das Bhargava, Shri T.N. Viswanatha Reddy, Shri Venkatesh Narayan Tivary, Shri S.C.Deb, Shri Durga Charan Banerjee, Shri Ganesh Sadashiv Altekar, Shri Balvantray Gopaljee Mehta, Shri Gopalrao Bajirao Khedkar, Shri H.C. Heda, Shri Radha Charan Sharma, Shri B.B. Varma, Shri C.D. Pande, Pandit Balkrishan Sharma, Shri Rameshwar Sahu, Shri Nemi Chandra Kasliwal,Shri Awadheswar Prasad Sinha, Shri Feroze Gandhi, Pandit Algu Rai Shastri, Shrimati Subhadra zoshi, Shri H. Siddanajappa, Shri A.M. Thomas, Shri C. Ramasamy Mudaliar, Shri M.L. Dwivedi, Shri Mukund Lal Agrwal, Shri Bahadurbhai Kunthabhai Patel, Shri Shivram Rango Rane, Shri Nettur P. Damodaran, Shri Shriman Narayan, Shri U. Srinivasa Malliah, Shri Shree Narayan Das, Shri N.C. Chatterjee, Shri P.T. Punnoose, Shri Hirendra Nath Mukerjee, Shri M.S. Garupaadaswamy, Shri Sivamurthi Swami Shri Amjad Ali, Sardar Hukam Singh, Shri Shankar Shantaram More, Shri Anand Chand and the mover, with instructions that matters other than those dealt with in the Bill, but relating to election in general and matters dealt with in the Representation of the People Acts, 1950 and 1951 (XLIII of 1950 and 1951), *e.g.*,—

(*i*) duties of Returning Officer, Presiding Officer and Polling Officer. (Sections 24, 27 and 28);

(*ii*) appeals from decision of Returning Officers on scrutiny of nomination;

(*iii*) Election accounts—(section 44);

(*iv*) functions of Polling Agents and Counting Agents-(section 49);

(*v*) ballot boxes and method of voting—(sections 59 and 63) —ballot boxes and method of counting;

(*vi*) Return of statement of Election expenses—

(*a*) whether it should be dispensed with ?

(*b*) whether its filing should be before or after filing of election petition?

(*c*) whether it should be open to inspection before presentation of election expenses?

(*d*) whether there should be a ceiling?

(*vii*) definition of candidate (section 79 (*b*) specially having regard to the judgment of Supreme Court in Katpadi Election case);

(*viii*) Procedure before Election Tribunal and Powers of Tribunal—(Sections 88, 90 and 92)—and composition of Tribunal;

(*ix*) Incriminating Questions—should there be certificate of indemnity—(Section 95);

(*x*) claim for Recrimination—(section 97);

(*xi*) when petitioner in election case can claim the seat—(section 101);

(*xii*) Withdrawal and abatement of election petition—(sections 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115 and 116);

(*xiii*) corrupt practices—(sections 123 and 124);

(*xiv*) Illegal practices —(section 125;)

(*xv*) electoral offences—(section 129 should be made applicable to all Government servants as recommended by Election Commission);

(*xvi*) disqualifications arising out of illegal practices (section 142);

(*xvii*) Removal of Disqualifications —how far condonations should be made retrospective—which authority should be vested with the power to condone and in which circumstances;

(*xviii*) Symbols and Powers of Election Commission in connection therewith;

(*xix*) Disqualifications (section 7) —apart from conseqeunces of not lodging Election Reurn;

be considered and amendments allowed to be moved and made and also with instructions to report by the 30th November, 1955."

["कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० का अग्रतर संशोधन करने वाले, और भाग 'ग' राज्य शासन अधिनियम, १९५१ में कतिपय आनुषंगिक संशोधन करने वाले विधेयक को पंडित ठाकुर दास भार्गव, श्री टी० एन० विश्वनाथ रेड्डी, श्री वेङ्कटेश नारायण तिवारी, श्री एस० सी० देव, श्री दुर्गा चरण बनर्जी, श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर, श्री बलवन्त राय गोपालजी मेहता, श्री गोपालराव बाजीराव खेडकर, श्री एच० सी० हेडा, श्री राधा चरण शर्मा, श्री बी० बी० वर्मा, श्री सी० डी० पांडे, पंडित बालकृष्ण शर्मा, श्री रामेश्वर साहू, श्री नेमिचन्द्र कासलीवाल, श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा, श्री फीरोज गांधी, पंडित अलगू राय शास्त्री, श्रीमती सुभद्रा जोशी, श्री एच० सिद्धनंजप्पा, श्री ए० एम० थामस, श्री सी० रामस्वामी मुदालियर, श्री एम० एल० द्विवेदी, श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल, श्री बहादुरभाई कुण्ठा भाई पटेल, श्री शिवराम रांगो राने, श्री नेत्तूर पी० दामोदरन, श्री श्रीमन्नारायण, श्री यू० श्रीनिवास मल्लया, श्री श्रीनारायण दास, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री पी० टी० पुन्नूस, श्री हिरेन्द्रनाथ मुकर्जी, श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी, श्री शिवमूर्तिस्वामी, श्री अमजद अली, सरदार हुक्म सिंह, श्री शंकर शान्ताराम मोरे, श्री आनन्द चन्द और प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय जिसे ऐसे अनुदेश हों कि विधेयक में उल्लिखित किन्तु सामान्य रूप में चुनाव से सम्बन्ध रखने वाली बातों के अलावा तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० और १९५१ (१९५० और १९५१ का ४३), में उल्लिखित बातों यथा :

(१) चुनाव पदाधिकारी, निर्वाचन पदाधिकारी तथा मतदान स्थान पदाधिकारी के कर्तव्य (धारा २४, २७ और २८) ;

(२) नाम निर्देशन की जांच पर चुनाव पदाधिकारी का निर्णय ;

(३) निर्वाचन लेखा (धारा ४४) ;

(४) चुनाव अभिकर्ता तथा गणन अभिकर्ता (धारा ४९) ;

(५) शलाका पेटियां तथा मतदान की प्रणाली (धारा ५९ और ६३)— शलाका पेटियां तथा गिनने की प्रणाली ;

(६) लेखा अथवा निर्वाचन व्यय का लेखा अथवा विवरण—

(क) क्या इसे हटा दिया जाये ?

(ख) इसे निर्वाचन याचिका प्रस्तुत

[अध्यक्ष महोदय]

करने के पूर्व दिया जाये अथवा पश्चात् ;

(ग) क्या निर्वाचन व्यय को प्रस्तुत करने के पूर्व उस का निरीक्षण किया जा सकेगा ?

(घ) क्या इस की कोई अधिकतम सीमा निश्चित होगी ?

(७) उम्मीदवार की परिभाषा [धारा ७९ (ख) कटपदी चुनाव मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए] ;

(८) निर्वाचन न्यायाधिकरण के सम्मुख प्रक्रिया तथा निर्वाचन न्यायाधिकरण का अधिकार--(धारा ८८, ९० तथा ९२)--और न्यायाधिकरण की रचना ;

(९) दोषारोपण करने वाले प्रश्न--क्या तारण का प्रमाण-पत्र होना चाहिये--(धारा ९५) ?

(१०) प्रत्यारोप लगाने का दावा--(धारा ९७) ;

(११) याचिका देने वाला चुनाव के मामले में स्थान का दावा कब कर सकता है (धारा १०१) ?

(१२) निर्वाचन याचिका को वापस लेना अथवा रोक देना (धारा १०८, १०९, ११०, ११२, ११३, ११४, ११५ और ११६) ;

(१३) भ्रष्ट व्यवहार--(धारा १२३ और १२४) ;

(१४) अवैध व्यवहार – (धारा १२५) ;

(१५) निर्वाचन सम्बन्धी अपराध--(धारा १२९, जैसा कि निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की थी, सभी सरकारी कर्मचारियों पर प्रयुक्त हो) ;

(१६) अवैध व्यवहार करने से उत्पन्न हुई अनहतायें--(धारा १४२) ;

(१७) अनर्हता निवारण--क्षमा कब तक के लिये भूतलक्षी हो तथा किन पदाधिकारियों को किन-किन दशाओं में यह अधिकार प्रदान किया जाये ;

(१८) इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग के प्रतीक और शक्तियां ;

(१९) अनर्हतायें--(धारा ७) निर्वाचन लेखा न भेजने के परिणामों के अलावा ;

पर विचार किया जाये तथा संशोधन प्रस्तुत करने और देने की अनुमति दी जाये और उन्हें यह अनुदेश भी दिया जाये कि वे ३० नवम्बर, १९५५ तक प्रतिवेदन दें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक के सम्बन्ध में प्रस्ताव ो, संशोधित रुप में सभा के समक्ष रखूंगा ।

प्रश्न यह है :--

"That the Bill further to amend the Representation of the People Act 1951, and to marke certain consequential amendments in the Government of Part C States Act, 1951, be referred to a Select Committee consisting of Pandit Thakur Das Bhargava, Shri T.N. Viswanatha Reddy, Shri Venkatesh Narayan Tivary, Shri S.C. Deb, Shri Durga Charan Banerjee, Shri Ganesh Sadashiv Altekar, Shri Balvantray Gopaljee Mehta,Shri Gopalrao Bajirao Khedkar, Shri H.C. Heda, Shri Radha Charan Sharma, Shri B.B. Varma,Shri C.D. Pande, Pandit Balkrishna Sharma, Shri Rameshwar Sahu Shri Nemi Chandra Kasliwal, Shri Awadheshwar Prasad Sinha, Shri Feroze Gandhi, Pandit Algu Rai Shastri, Shrimati Subhadra Joshi, Shri H. Siddanan-

jappa, Shri A.M. Thomas, Shri C. Ramaswamy Mudaliar, Shri M.L., Dwivedi, Shri Mukund Lal Agrawal, Shri Bahadurbhai Kunthabhai Patel, Shri Shivaram Rango Rane, Shri Nettur P. Damodaran, Shri Shriman Narayan, Shri U. Srinivasa Malliah, Shri Shree Narayan Das, Shri N.C. Chatterjee, Shri P.T. Punnoose, Shri Hirendra Nath Mukerjee, Shri M.S. Gurupadaswamy, Shri Sivamurthi Swami, Shri Amjad Ali, Sardar Hukam Singh, Shri Shanker Shantaram More, Shri Anand Chand and the mover, with instructions that matters other than those dealt with in the Bill, but relating to election in general and matters dealt with in the Representation of the People Acts,1950 and 1951 (XLIII of 1950 and 1951), *e. g.*,—

(*i*) duties of Returning Officer, Presiding Officer and Polling Officer—(sections 24, 27 and 28);

(*ii*) appeals from decision of Returning Officers on scrutiny of nomination;

(*iii*) Election accounts — section 44);

(*iv*) functions of Polling Agents and Counting Agents—(section 49);

(*v*) ballot boxes and method of voting—(sections 59 and 63)—ballot boxes and method of counting;

(*vi*) Return of statement of Election expenses—

(*a*) whether it should be dispensed with?

(*b*) whether its filing should be before or after filing of election petition?

(*c*) whether it should be open to inspection before presentation of election expenses?

(*d*) whether there should be a ceiling?

(*vii*) definition of candidate [section 79 (*b*)] specially having regard to the judgment of Supreme Court in Katpadi Election case;

(*viii*) procedure before Election Tribunal and Powers of Tribunal—(sections 88, 90 and 92)—and composition of Tribunal;

(*ix*) Incriminating Questions--should there be certifficate of indemnity—(section 95)?

(*x*) claim for Recrimination—(section 97);

(*xi*) when petitioner in election case can claim the seat—(section 101);

(*xii*) withdrawal and abatement of election petition—(sections 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, and 116);

(*xiii*) corrupt practices—(sections 123 and 124);

(*xiv*) Illegal practices—(section 125);

(*xv*) electoral offences—(section 129 should be made applicable to all Government servants as recommended by Election Commission);

(*xvi*) disqualifications arising out of illegal practices—(section 142);

(*xvii*) Removal of Disqualifications —how far condonations should be made retrospective—which authority should be vested, with the power to condone and in which circumstances;

(*xviii*) Symbols and Power of Election Commission in connection therewith;

(*xix*) Disqualifications (section 7) —apart from consequences of not lodging Election Return;

be considered and amendments allowed to be moved and made and also with instructions to report by the 30th November, 1955."

["कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ का अग्रतर संशोधन करने वाले, और भाग 'ग' राज्य शासन अधिनियम,

[अध्यक्ष महोदय]

१९५१ में कतिपय आनुषंगिक संशोधन करने वाले विधेयक को पंडित ठाकुर दास भार्गव, श्री टी० एन० विश्वनाथ रेड्डी, श्री वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री एस० सी० देब, श्री दुर्गा चरण बनर्जी, श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर, श्री बलवंतराय गोपालजी मेहता, श्री गोपालराव बाजीराव खेडकर, श्री एच० सी० हेडा, श्री राधा चरण शर्मा, श्री बी० बी० वर्मा, श्री सी० डी० पांडे, पंडित बालकृष्ण शर्मा, श्री रामेश्वर साहू श्री नेमिचन्द्र कासलीवाल, श्री अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा, श्री फीरोज़ गांधी, पंडित अलगू राय शास्त्री, श्रीमती सुभद्रा जोशी, श्री एच० सिद्धनंजप्पा, श्री ए० एम० थामस, श्री सी० रामस्वामो मुदालियर, श्री एम० एल० द्विवेदी, श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल श्री बहादुरभाई कुण्ठाभाई पटेल, श्री शिवराम रांगो राने, श्री नेत्तूर पी० दामोदरन, श्री श्री मनारायण, श्री यू० श्रीनिवास मल्लय्या, श्री श्रीनारायण दास, श्री एन० सी० चटर्जी, श्री पी० टी० पुन्नूस, श्री हिरेन्द्रनाथ मुकर्जी, श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी, श्री शिवमूर्ति स्वामी, श्री अमजद अली, सरदार हुक्म सिंह, श्री शकर शान्ताराम मोरे, श्री आनन्द चन्द और प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिसे ऐसे अनुदेश हों कि विधेयक में उल्लिखित किन्तु सामान्य रूप में निर्वाचन से सम्बन्ध रखने वाली बातों के अलावा तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० और १९५१ (४३ का १९५० और १९५१) में उल्लिखित बातों यथा :

(१) चुनाव पदाधिकारी, निर्वाचन पदाधिकारी तथा मतदान स्थान पदाधिकारी के कर्तव्य (धारा २४, २७ और २८) ;

(२) नाम निर्देशन की जांच प चुनाव पदाधिकारी का निर्णय ;

(३) निर्वाचन लेखा (धारा ४४);

(४) चुनाव अभिकर्ता तथा गणन अभिकर्ता (धारा ४९) ;

(५) शलाका पेटियां तथा मतदान की प्रणाली (धारा ५९ और ६३) ––शलाका पेटियां तथा गिनने की प्रणाली ;

(६) निर्वाचन व्यय का लेखा अथवा विवरण––

(क) क्या इसे हटा दिया जाये ?

(ख) इसे निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने के पूर्व दिया जाये अथवा पश्चात् ?

(ग) क्या निर्वाचन व्यय को प्रस्तुत करने के पूर्व उसका निरीक्षण किया जा सकेगा ?

(घ) क्या इसकी कोई अधिकतम सीमा निश्चित होगी ?

(७) उम्मीदवार की परिभाषा [धारा ७९(ख)] कटपदी चुनाव मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान म रखते हुए ;

(८) निर्वाचन न्यायाधिकरण के सम्मुख प्रक्रिया तथा निर्वाचन न्यायाधिकरण का अधिकार––(धारा ८८, ९० तथा ९२)––और न्यायाधिकरण की रचना ;

(९) दोषारोपण करने वाले प्रश्न ––क्या तारण का प्रमाणपत्र होना चाहिये––(धारा ९५);

(१०) प्रत्यारोप लगाने का दावा ––(धारा ९७) ;

(११) याचिका देने वाला निर्वाचन के मामले में स्थान का दावा कब कर सकता है (धारा १०१) ;

(१२) निर्वाचन याचिका को वापस लेना अथवा रोक देना (धारा १०८, १०९, ११०, ११२, ११३, ११४, ११५ और ११६) ;

(१३) भ्रष्ट व्यवहार (धारा १२३ और १२४) ;

(१४) अवैध व्यवहार – (धारा १२५) ;

(१५) निर्वाचन सम्बन्धी अपराध (धारा १२९, जैसा कि निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की थी, सभी सरकारी कर्मचारियों पर प्रयुक्त हो) ;

(१६) अवैध व्यवहार करने से उत्पन्न हुई अनर्हतायें (धारा १४२) ;

(१७) अनर्हता निवारण—क्षमा कब तक के लिये भूतलक्षी हो—किन पदाधिकारियों को किन किन दशाओं में यह अधिकार प्रदान किया जाये ;

(१८) इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग के प्रतीक और शक्तियां ;

(१९) अनर्हतायें (धारा ७) निर्वाचन लेखा न भेजने के परिणामों के अलावा ;

पर विचार किया जाये तथा संशोधन प्रस्तुत करने और देने की अनुमति दी जाये और उन्हें यह अनुदेश भी दिया जाये कि वे ३० नवम्बर, १९५५ तक प्रतिवेदन दें ।

प्रताव स्वीकृत हुआ ।

औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक

श्रम मंत्री (श्री खण्डूभाई देसाई) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि बैंक पंचाट आयोग की सिफारिशों के अनुसार और उस पंचाट को तदनुसार क्रियान्वित करने के लिये श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के २८ अप्रैल, १९५४ के विनिश्चय में सुधार की व्यवस्था करने वाले विधयक पर विचार किया जाये ।"

माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैं ने २२ अगस्त, १९५५ को इसी सभा में कहा था कि सरकार बैंक पंचाट की शर्तों के बारे में बैंक पंचाट आयोग की सिफारिशों से पूर्णतया सहमत है ।

उस समय मैं ने सभा को यह आश्वासन दिया था कि इन सिफारिशों के लिये शीघ्र ही एक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा । फलत: यह औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक सभा के सम्मुख उपस्थित है ।

सभा को यह बात भली भांति विदित है कि बैंक विवाद का एक लम्बा इतिहास है । म अधिक विस्तार में न जा कर केवल यह बता दूं कि बैंक मालिकों और कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर बैंक विवाद को सरकार ने एक केन्द्रीय विषय बना दिया था । इस से पहले अनेक राज्यों के न्यायाधिकरण विभिन्न पंचाट निश्चित कर चुके थे और उस से बड़ी गड़बड़ हो गई । इस के बाद एक केन्द्रीय न्यायाधिकरण नियुक्त करने के लिये कहा गया और 'सेन' न्यायाधिकरण की नियुक्ति की गई । दुर्भाग्य से उस के द्वारा निश्चित पंचाट को उच्चतम न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया । तब सरकार ने १९५१ में एक विधेयक पारित किया और जनवरी १९५२ में एक दूसरे न्यायाधिकरण की नियुक्ति की गई जिसे 'शास्त्री' न्यायाधिकरण कहा जाता है। इस न्यायाधिकरण ने अप्रैल, १९५३ में पंचाट का विनिश्चय किया। इस पंचाट के बारे में फिर

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

एक अपीलीय न्यायाधिकरण म अपील की गई जिस का फसला अप्रल, १९५४ में किया गया । बाद में सरकार

[श्री खण्डूभाई देसाई]

ने सोचा कि यदि उस फैसले को पूर्ण-रूपेण क्रियान्वित किया गया तो देश के बैंकों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा अतः सरकार ने उस पंचाट में कुछ परिवर्तन किये किन्तु यह भी तय किया गया कि इस प्रश्न पर भली भांत विचार करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिये ।

इस के पश्चात् १९५४ में एक तथ्य जांच आयोग की नियुक्ति की गई । आयोग से कहा गया कि बैंकों के जितने तथ्यों का पता चल सकें उन्हें एकत्र किया जाये और उनके कर्मचारियों की आवश्यकताओं का भी पता लगाया जाये। बैंकों की श्रेणीवद्ध रूप में और व्यक्तिगत रूप में जांच की जाये और उसके बाद आयोग अपनी सिफारिशें दे । न्यायाधीश राजाध्यक्ष इस काम के लिये नियुक्त किये गये और मैं इस समय उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने अस्वस्थ होते हुए भी अपने ऊपर उस भारी काम का दायित्व लिया जो उन्हें सौंपा गया था । उन्होंने सभी प्रारम्भिक व्यवस्था की, प्रश्नावली जारी की और त्रावनकोर-कोचीन क्षेत्र में, जो एक उलझा क्षेत्र था, मौके पर जा कर पूछ-ताछ की। दुर्भाग्यवश, उन का देहान्त हुआ और पूछताछ का अधूरा काम न्यायाधीश गजेन्द्रगाडकर ने फिर से आरम्भ किया। न्यायाधीश गजेन्द्रगाडकर ने इस सारे मामले का अध्ययन बहुत सावधानी और परिश्रम से और, यों कहना चाहिये, समय नष्ट किये बिना किया है और मुझे यह कहने में प्रसन्नता भी हो रही है कि आयोग को सेवानियोजकों और कर्मचारियों का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है । रक्षित बैंक ने आयोग के समक्ष सभी उपलब्ध तथ्य भी रखे । बैंकों ने भी पूरा सहयोग प्रदान किया और दोनों ओर के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में तथ्यों की छानबीन की गई और आयोग कुछ एक निष्कर्षों पर पहुंचा। इस पंचाट का जो प्रभाव प्रत्येक बैंकिंग समवाय पर पड़ा उस की जांच करना संभव नहीं था किन्तु यह मामला आयोग के निर्णय के लिये ही उस पर छोड़ दिया गया। उक्त आयोग का यह मुख्य काम था कि उन तथ्यों को, जिन के सम्बन्ध में उसे निश्चय हुआ था, और वेतन देने की सामर्थ्य के अनुकूल सभी बैंक कर्मचारियों के साथ एक-सा बर्ताव करने की आवश्यकता को भी ध्यान में रख कर वह अनेक वर्गों के बैंकिंग समवायों या अलग-अलग एककों के लिये वेतन क्रमों की सिफारिश करे । इस आयोग ने लगभग १२० बैंकों को एक व्योरेवार ज्ञापन भेजा और लगभग ६७ बैंकों ने आयोग को तथ्य और आंकड़े पेश किये । आयोग ने अपनी सिफारिशें करने से पहले स्थानीय निकायों के विचारों पर भी ध्यान दिया । आयोग ने न केवल कर्मचारियों और प्रबन्ध-व्यवस्था के परामर्श से अलग-अलग बैंकों की वित्तीय स्थिति को जांचा अपितु इस ने इन बैंकों की श्रेणीवार स्थिति पर भी विचार किया । इस ने इन दोनों पक्षों अर्थात् कर्मचारियों और प्रबन्ध-व्यवस्था को भी मिला दिया है और यथा-संभव इन दोनों की सहमति प्राप्त करने का प्रयत्न किया है । इस आयोग के प्रतिवेदनों से माननीय सदस्यों को यह पता चलेगा कि कुछ थोड़े से बैंकों के लिये यह वे सिफारिशें कर सका है जिन पर दोनों पक्षों ने सहमति प्रदान की ।

गजेन्द्रगाडकर आयोग का प्रतिवेदन, जिस में उस के निष्कर्ष और की गई सिफारिशें हैं, मंत्रालय को पिछले महीने प्राप्त हुआ । आयोग के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं कि वर्ग 'क' और वर्ग 'ख' के सभी बैंकों पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के निश्चय का प्रभाव पड़ेगा । यह आयोग सरकार के इस निश्चय से सहमत है कि ग्रामीण महाजनों के हितों में एक क्षेत्र ४ बनाया जायेगा और उस ने इस बात की भी पुष्टि

की है कि यह क्षेत्र रहेगा, और इस क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों पर महंगाई भत्ते सहित ये वेतन-क्रम लागू होंगे । सरकार ने भाग 'ख' राज्यों और कुछ भाग 'ग' राज्यों के ऐसे नगरों को इस पंचाट से विमुक्त कर दिया जिन की जनसंख्या ३०,००० या उस से कम है और जिन पर यह पंचाट अन्य क्षेत्रों के विपरीत सब से पहले लागू होना था । आयोग ने इस विमुक्ति को त्रावनकोर-कोचीन के बैंकों (त्रावनकोर बैंक को छोड़ कर) तक ही दो वर्ष के लिये सीमित रखा है । आयोग सरकार की इस राय से सहमत है कि 'ग' श्रेणी के बहुत से बैंकों को अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय से मुक्त करना चाहिये और यह संशोधित निर्णय इस श्रेणी के बैंकों पर लागू होना चाहिये। इस का अर्थ यह हुआ कि 'ग' श्रेणी के क्षेत्र में लगभग आठ बैंकों को आयोग ने ऐसे बैंक माना है जिन में अपीलीय न्यायाधिकरण की सिफारिशों के अनुसार धन देने की क्षमता है । अन्य बैंकों पर वह निर्णय लागू होगा जिस में सरकार ने रूपभेद किया है।

जैसाकि सभा को मालूम है ये सब सिफारिशें पंचाट के अध्याय ११ में हैं । मैं केवल अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों की ही चर्चा करूंगा । अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्णय, कुछ रूपभेदों के साथ, १-४-१९५४ से श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' के सभी बैंकों पर--बैंक आफ बिकानेर और यूनाइटिड बैंक आफ इंडिया को छोड़ कर --लागू होगा । जहां तक बैंक आफ बिकानेर का सम्बन्ध है उसके प्रबन्धकों और कर्मचारियों में समझौता हो गया है जैसाकि मैं पहले ही कह चुका हुं न्यायाधिकरण का निर्णय श्रेणी 'ग' के क्षेत्र में आठ बैंकों पर लागू होगा और आयोग ने यह समझा है कि ये आठ बैंक इस बोझ को सहन कर सकते हैं । अपीलीय न्यायाधिकरण न एक वर्ष में दी जाने वाली अधिकतम राशि की तीन गुनी डाक्टरी सहायता, जो ली नहीं गई, के इकट्ठा होने के सम्बन्ध में जो परिवर्तन किया था, उसे हटा दिया गया है और ऐसा बैंकों को अनुतोष देने के लिये किया गया है । परन्तु जो भी राशि डाक्टरी सहायता के रूप में खर्च हुई है वह वैसे ही रहेगी और यह राशि जमा नहीं होगी । सरकार के संशोधित निर्णय के अनुसार एक अतिरिक्त क्षेत्र (क्षेत्र ४) के निर्माण के उपबन्ध और साथ ही सरकार द्वारा किये गये रूपभेद के अन्तर्गत नये क्षेत्र के लिये विहित वेतन तथा महंगाई भत्ते की पुष्टि कर दी गई है । निर्णय में सरकार द्वारा किये गये रूपभेद के अनुसार भाग 'ख' और भाग 'ग' राज्यों के सभी ऐसे नगरों को इस पंचाट से विमुक्त किया जाना है जिन की जनसंख्या ३०,००० या इस से कम है । यह बात आयोग को स्वीकार नहीं है । आयोग का विचार यह है कि ऐसी विमुक्ति त्रावनकोर-कोचीन के ऐसे क्षेत्रों को ही दी जानी चाहिये । त्रावनकोर-कोचीन के बैंकों को जो विमुक्ति देने की सिफारिश की गयी है वह दो वर्ष तक के लिए होनी चाहिए । आयोग ने सिफारिश की है कि इस बीच सरकार को यथाशीघ्र एक आयोग नियुक्त करना चाहिए जो त्रावणकोर-कोचीन के क्षेत्र में सारी बैंक प्रणाली का पुनरीक्षण करे ।

अपीलीय न्यायाधिकरण ने क्लर्कों और अधीनस्थ कर्मचारियों के लिये मंहगाई भत्ते के जो स्तर निर्धारित किये हैं वे शास्त्री पंचाट के अधीन किये गये स्तरों से अधिक अच्छे हैं । यह महसूस किया गया है कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने जिन मंहगाई भत्तों और दूसरे भत्तों की सिफारिश की है, वे स्वीकार कर लिये जाने चाहिए । श्रेणी ४ क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं के सम्बन्ध में--अर्थात वे दो बैंक जिनका मैंने पहले उल्लेख किया है-वह निर्णय लागू रहेगा जिस में हाल ही में सरकार ने रूपभेद किया है ।

[श्री खण्डूभाई देसाई]

जिन बैंकों का उल्लेख किया जा चुका है, उन्हें छोड़कर और कुछ उन बैंकों, जिन्होंने अपने कर्मचारियों से समझौते कर लिये हैं, विस्थापित बैंकों और त्रावनकोर- कोचीन के बैंकों (सिवाय त्रावनकोर बैंक के) को छोड़कर श्रेणी 'ग' और श्रेणी 'घ' के सभी बैंकों पर सरकार द्वारा विहित दरें लागू रहेंगी।

जीवन–व्यय देशनांक में परिवर्तनों के अनुसार मंहगाई भत्ते के फैलाने के सम्बन्ध में आयोग ने एक नये सूत्र की सिफ़ारिश की है, वह यह है जीवन-व्यय के देशनांक में १० प्वाइंट की कमी बेशी पर मंहगाई भत्ते में परिवर्तन इस आधार पर होना चाहिए कि मंहगाई भत्ता देशनांक के १४४ होने की दशा में मिलने वाले मंहगाई भत्ते की निश्चित प्रतिशतता के अनुसार दिया जाये। अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्णय यह था कि मंहगाई भत्ता मूल वेतन और मकान किराया भत्ते की कुल राशि की कुछ प्रतिशतता के आधार पर निर्धारित किया जाये। आयोग की राय है कि इस तरीके से कुछ विषमताएं उत्पन्न हो जातीं और इसलिए आयोग ने सीधे साधे से सूत्र की सिफ़ारिश की है जो कि बैंकों और उनके कर्मचारियों दोनों को स्वीकार्य है। यह रिपोर्ट में ही स्पष्ट कर दिया गया है और इससे पता चल जायेगा कि बैंकों या उन के कर्मचारियों पर मामूली सा बोझ पड़ेगा।

यूनाइटैड बैंक ऑफ इंडिया को, ख श्रेणी का बैंक होने के नाते, कुछ शर्तों के अधीन रहते हुये शास्त्री पंचाट को १ अगस्त १९५५ से लागू करना है। एक अधिकरण द्वारा तीन साल के भीतर इस बैंक की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन होना चाहिए। कुछ बैंकों और उनके कर्मचारियों में समझौता हो गया है और आयोग ने इसकी पुष्टि कर दी है। इन बैंकों के नाम ये हैं:––इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बीकानेर, जोधपुर कमर्शल बैंक, सलेम बैंक, व्यास बैंक, भारत लक्ष्मी बैंक और पाण्डयन बैंक,। इंडियन बैंक के सम्बन्ध में आयोग ने सिफ़ारिश की है कि प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच पहली जनवरी १९५६ से इस बैंक को ख श्रेणी से क श्रेणी का बैंक बनाने के सम्बन्ध में जो समझौता हुआ है उसका अनुसमर्थन होना चाहिए।

आयोग ने वेतनों के ढांचे और मंहगाई भत्ते के बारे में अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय पर विचार करते समय कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया है जिनका प्रतिपादन सरकार द्वारा बनाई गई 'उचित मजूरी समिति' ने किया था। इस समिति का विचार यह है कि उचित मजूरी की निम्म सीमा न्यूनतम मजूरी होनी चाहिए और ऊपरी सीमा का निर्धारण इस आधार पर होगा कि उद्योग कहां तक वेतन दे सकता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस सिद्धांत का उल्लेख किया है और इसके बाद इस मामले के तथ्यों का पता लगाकर इस सिद्धांत के अनुसार बैंकों के क्लर्कों और अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतन स्तर निर्धारित करने का प्रयत्न किया है। इस सिद्धांत को लागू करते समय आयोग इस परिणाम पर पहुंचा कि अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्णय मुख्य रूप से ऐसा है जो बैंक उद्योग पर बोझ डाले बिना आयोग पर लागू किया जा सकता है। इस विचार करते समय आयोग ने इस बात का अवश्य ध्यान रखा होगा कि बैंक उद्योग को साधारण उद्योग नहीं माना जा सकता। यह ऐसा उद्योग है जो अपना काम चालू रखने के लिए विभिन्न आर्थिक कार्यकलाप पर निर्भर है।

इस बात को देखते हुए कि वेतनों का ढांचा क्या हो और बैंक कितना वेतन दे सकते हैं हमें इस बात का भी ध्यान रखना है

और अधिकरणों ने इस बात का ध्यान रखा है कि अधिकतर लोगों के हित को भुलाया न जाये जिन्होंने बैंको में अपना रुपया जमा कर रखा है। आज हमारे बैंकों में लोगों का लगभग १००० करोड़ रुपया जमा है। सरकार या न्यायालय जो भी निर्णय करेगा उससे बैंकों के अंशधारियों पर ही नहीं वरन् उनमें रुपया जमा करने वाले बहुत से लोगों के हितों पर भी अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिन में से सब ही--जैसा कि हम जानते ही हैं– अमीर नहीं है। मध्यम वर्ग के बहुत लोगों ने भी रुपया बचाकर बैंकों में जमा कर रखा है। बैंकों के कर्मचारियों के वेतन स्तर निश्चित करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना है।

आयोग ने बैंकों की श्रेणियों तथा अकेले बैंकों की वेतन देने की क्षमता का निर्णय करते समय बड़ी सावधानी से काम लिया है और इस पूर्वधारणा के आधार पर काम किया है कि बैंकों के काम में आने वाली मन्दी जो १९५४ में रुक गई थी, थोड़ी तेज़ी में परिवर्तित हो गई जैसा कि हमें मालूम है, आयोग के पास ऐसे आंकड़े हैं जो उस समय नहीं मिलते थे जबकि सरकार ने पंचाट में रूपभेद किया था। आयोग के पास १९५४ के बाद केवल मार्च तक के ही आंकड़े नहीं थे बल्कि उसका कहना है कि वह जून, १९५५ तक आंकड़े इकट्ठे कर सका है। इन आंकड़ों से पता चलता है बैंकों में जमा किये जाने वाले रुपये की राशि और बैंकों का कार्यकलाप हाल ही में बढ़ा है। इसका परिणाम यह होगा कि यह स्थिति अगले दो या तीन वर्षों तक जारी रह सकती है।

श्रेणी क और श्रेणी ख के सभी बैंकों और श्रेणी ग के आठ बैंकों के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकरण के निर्णय के बहाल किये जाने के सम्बन्ध में आयोग की जो सिफारिशें हैं उन का फल यह होगा कि ऐसे बैंकों के सभी कर्मचारियों को श्रेणी ४ क्षेत्रों में स्थित शाखाओं के कर्मचारियों को छोड़ कर— लाभ होगा। केवल श्रेणी क और श्रेणी ख के बैंकों में लगभग ४८,००० कर्मचारियों को लाभ होने की आशा है। सम्बद्ध कर्मचारियों को १९५५ में लगभग ५५ लाख रुपये अधिक मिलेंगे। यह राशि अगले दो या तीन वर्षों में बढ़ती ही जायेगी।

आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि वेतन स्तरों का समायोजन पिछली तिथि से जैसा कि मैं सभा में वचन दे चुका हूं, १ अप्रैल, १९५४ से किया जाये। बैंकों द्वारा इस सिफारिश पर एक विशेष कालावधि में फैला कर अमल किया जायेगा जिस से कि भुगतान तीन किस्तों में किये जायें। १९५४-५५ में कर्मचारियों को जो अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाना है, उस का चालीस प्रतिशत ३१-१२-५५ तक दिया दिया जाना चाहिये, ३० प्रतिशत ३०-६-५६ तक और बाकी ३० प्रतिशत ३१-१-५७ तक दिया जाना चाहिये। आयोग सरकार के इस निर्णय से सहमत है कि रूपभेद करने वाले आदेश की कार्यान्विति पर यदि किसी कर्मचारी का पारिश्रमिक मार्च, १९५४ में मिले पारिश्रमिक से कम निकले तो यह कमी फौरन ही न की जाये बल्कि जो राशि उसे अधिक दी जा चुकी हो वह २७-८-५५ से प्रारम्भ हो कर तीन वार्षिक किस्तों में वापिस ली जाये। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि बैंकों को इस बात की अनुमति होनी चाहिये कि वे कर्मचारी को दी जाने वाली तरक्की की राशि को इस कटौती में से कम कर सकें और पहली कटौती १-४-५५ से की जाये। परन्तु यह नहीं होना चाहिये कि कर्मचारियों को सरकार के निर्णय के अनुसार मिली राशि उन्हें

[श्री खण्डूभाई देसाई]

लौटानी पड़े । आयोग का कहना है कि पंचाट बैंकों पर पहली अप्रैल, १९५४ से लागू होना चाहिये ।

यह आशा है कि इतने मुकदमेबाज़ी के बाद किया गया निर्णय कायम रहेगा और कुछ समय तक झगड़ों की आशंका नहीं रहेगी । इस के अनुसार सरकार का विचार है कि विधेयक अगले पांच वर्ष तक प्रभावी रहे । जैसाकि सभा को मालूम है डेढ़ वर्ष का समय तो बीत ही चुका है । यदि हम विधेयक तीन ही वर्ष के लिये बनायें तो केवल डेढ़ वर्ष का समय बचेगा । हम चाहते हैं कि कम से कम कुछ वर्ष तक तो स्थिरता रहे और हम ने निर्णय किया है कि पंचाट अगले पांच वर्ष, अर्थात् १९५९ तक लागू रहे ।

सम्भव है कि इन तीन पंचाटों के निर्वचन के सम्बंध में कुछ शंकायें उत्पन्न हों । जैसा कि आप को मालूम है, पहला पंचाट अपीलीय न्यायाधिकरण का है, दूसरा वह है जिस में सरकार ने मतभेद किया था और तीसरा वह है जिसे आज हम पास कर रहे हैं । इन सभी निर्णयों का परस्पर सम्बन्ध है । इस सम्बन्ध में और कठिनाइयां या झगड़े न हों, इसलिये हम ने निर्णय किया है कि कोई भी मामला इन तीनों पंचाटों के विभिन्न निर्णयों के निर्वचन के लिये सरकार द्वारा अधिसूचित न्यायाधिकरण या न्यायाधीश को सौंपा जा सकता है । आप जानते ही हैं कि यह झगड़ा काफ़ी दिनों तक चलता रहा है । मजदूर कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए मुझे अपने सारे जीवन में और कोई ऐसा विवाद दिखाई नहीं पड़ा जो लगभग एक चौथाई पीढ़ी तक चलता रहा हो । जहां तक इस पंचाट विशेष का सम्बन्ध है, मेरे विचार में दोनों पक्षों को गजेन्द्रगाडकर आयोग के निर्णयों को खुशी और उदारता से स्वीकार कर लेना चाहिये । जब ऐसा कोई आयोग बैंक जैसी नाजुक प्रत्यय संस्थाओं के झगड़ों की जांच पड़ताल करता है तो सम्भव है कि सभी दलों या सारे कर्मचारियों या यह काम करने वाले सभी बैंकों को वह सब कुछ न मिले जो कि वह चाहते हैं । परन्तु यह झगड़ा इस तरह का है कि ऐसे निर्णय प्रभावी होते ही हैं और होने चाहियें । दोनों पक्षों को यह समझ लेना चाहिये कि गजेन्द्रगाडकर आयोग ने यह झगड़ा समाप्त कर दिया है और, जैसा कि मैं ने कहा, उन्हें धैर्य और खुशी से आयोग का निर्णय स्वीकार कर लेना चाहिये ।

श्री कामत (होशंगाबाद) : जैसाकि सरकार ने किया है ?

श्री खन्डू भाई देसाई : निस्सन्देह, हम ने इस आयोग की सिफारिशें पूर्णतया स्वीकार कर ली हैं । मैं यह भी कहूंगा कि पिछले आठ महीनों में, जब इस मामले पर विचार किया जा रहा था, और आयोग के सामने इस के गुणावगुणों को परखा जा रहा था तो दोनों पक्षों ने सच्चे दिल से आयोग के साथ सहयोग किया और आयोग ने किसी निर्णय पर पहुंचने के लिये दोनों पक्षों को एक दूसरे से जिरह करने और सच्ची बातों का पता लगाने का पूरा पूरा अवसर दिया । एक समय श्री गजेन्द्रगाडकर ने यह भी प्रयत्न किया कि दोनों पक्ष इन सभी समस्याओं का ऐसा हल बतायें जो दोनों को स्वीकार्य हो । परन्तु, कुछ बैंकों को छोड़ कर, जिन का मैं ने उल्लेख किया है, दोनों पक्ष वेतन तथा महंगाई भत्ते के किसी विशेष स्तर पर सहमत नहीं हो सके ।

श्री वी० पी० नायर (चिरयिन्कील) : आयोग ने कहा है कि उसे कुछ गोपनीय

बात बताई गई जो कर्मचारियों को नहीं बताई गई । क्या मंत्री महोदय का कहना है कि ये आंकड़े उन्हें दिखाये गये थे ?

श्री खण्डूभाई देसाई : वेतन तथा महंगाई भत्ते के स्तरों के सम्बन्ध में किसी परिणाम पर पहुंचने या निर्णय करने के लिये जो भी आंकड़े संगत या आवश्यक थे, आयोग के सामने थे । बैंकों को कुछ गोपनीय जानकारी देने के लिये भी कहा गया था ; वह जानकारी आयोग के पास है और सरकार को दे दी गई है । रिज़र्व बैंक के पास भी कुछ गोपनीय जानकारी है और जो गोपनीय जानकारी के रूप में ही आयोग को दी गई है । आयोग ने सिफारिशें करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखा है ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन व मावेलिक्करा) : ये दस्तावेज़ सभा को क्यों नहीं दिखाई गईं ?

श्री खंडूभाई देसाई : दोनों रिपोर्टें आप के सामने हैं । पहले खण्ड में सिफारिशें हैं और रिपोर्ट के खण्ड २ में वे सब आंकड़े हैं जो सन्तुलन पत्रों में मिलते हैं और उसमें इकट्ठे किये गये आंकड़े भी हैं । कुछ ऐसी जानकारी भी हो सकती है जोकि बैंक जैसी संस्था में गुप्त रखनी पड़ती है । मेरा विचार है कि सभा मेरी इस बात से सहमत होगी कि बैंक जैसी उधार देने वाली संस्था में किसी व्यक्ति को दिये गये ऋण या ऋणी द्वारा ऋण चुकाने की क्षमता के सम्बन्ध में सभी जानकारी और तथ्य यथासम्भव गुप्त रखने पड़ते हैं क्योंकि यदि वह जानकारी बता दी जाये तो सभी लोग अपना रुपया निकलवाने लगेंगे और बैंक मुसीबत में पड़ जायेगा । इसलिये स्वाभाविक ही है कि ये बातें कर्मचारियों और दूसरे बैंकों के प्रतिनिधियों को भी नहीं बताई गईं क्योंकि जब आयोग के सामने सारे प्रश्न पर विचार किया गया तो बैंकों ने कहा लेकिन प्रतिनिधियों .....

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या ये हमें पढ़ने के लिये प्राप्त हो सकती है ?

श्री खंडूभाई देसाई : मैं ऐसा नहीं समझता । एक पहलू ऐसा था जिस का मैं उल्लेख करना चाहता हूं और जिस को आयोग ने अपने प्रतिवेदन में उचित स्थान दिया है । बैंक कर्मचारियों में यह भावना थी कि बहुत बड़ी राशि में गुप्त रक्षित निधि है जिस को प्रकट नहीं किया गया है ।

श्री वी० पी० नायर : वे इस सम्बन्ध में अधिक जानते हैं ।

श्री खंडूभाई देसाई : नहीं । किन्तु आयोग ब्यौरे को देखने के पश्चात् इस निर्णय पर पहुंचा कि गुप्त रक्षित निधि बहुत कम है, किन्तु वग-वार और बैंक-वार भुगतान की तुलना करते समय बैंकों की वैयक्तिक क्षमता का निर्णय करने में, उन आंकड़ों पर विचार कर लिया गया है । और इन्हीं से आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला कि जहां तक 'क' श्रेणी, 'ख' श्रेणी और 'ग' श्रेणी के क्षेत्रों के ८ बैंकों का सम्बन्ध है, उन का प्रशासन अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा हो सकता है । यह उन्हीं आंकड़ों और अपीलीय न्यायालयों की क्रिया प्रतिक्रिया का, जो उस के सम्मुख थी, परिणाम है कि वे यह समझ सकें कि स्थिति में १९५४ के पश्चात् यहां तक सुधार हो गया है कि यह सिफारिश बिना किसी भय के की जा सकती है कि अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्णय लागू किया जा सकता है । यह जैसाकि मैं कह चुका हूं, लगभग ४८,००० बैंक कर्मचारियों के सम्बन्ध में है, जिन को मोटे तौर से कम से कम ५५ लाख रुपये की अति-

[श्री खण्डूभाई देसाई]

रिक्त राशि उन्हें वेतन के रूप में नहीं मिलेगी ।

आयोग ने अपने प्रतिवेदन में इतना ही कहा है । प्रतिवेदन माननीय सदस्य के सम्मुख है और मैं सभा से इस विधेयक को स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । इस प्रस्ताव पर श्री एन० श्रीकान्तन नायर का एक संशोधन है । प्रत्यक्षतः वह एक विलम्बकारी प्रस्ताव है, परन्तु कुछ भी हो ....

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : यह बड़ा गम्भीर प्रस्ताव है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि यह गम्भीर प्रस्ताव है किन्तु इस का अभिप्राय यह है कि पंचाट पर कुछ समय और अमल न किया जाये ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैं इस के बड़े ठोस कारण बता सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस का निर्णय स्वयं न करके सभा के ऊपर छोड़ता हूं । इस विषय पर बोलने के लिये मैं माननीय सदस्य को अवसर दूंगा । अतः श्री एन० श्रीकान्तन नायर का यह संशोधन भी प्रस्तुत किया समझा जायेगा कि विधेयक पर १५ नवम्बर, १९५५ तक राय जानने के लिये उसे परिचालित कराया जाय । उन के दोनों प्रस्तावों पर बोलने के लिये उन्हें अवसर दिया जायेगा ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : अभी तक यही प्रक्रिया रही है कि संशोधन प्रस्तुत करने वाले को पहले बोलने का अवसर दिया जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया यह है कि जब कई एक संशोधन होते हैं तो हम उन सभी को प्रस्तुत किया गया समझते हैं और फिर एक-एक कर के माननीय सदस्य को बोलने का अवसर देते हैं । ऐसा भी होता है कि कभी-कभी उन सभी सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिल पाता । किन्तु इस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि यह तो परिचालन के लिये केवल एक ही संशोधन है । अतः इस प्रकार का कोई नियम नहीं है कि संशोधन प्रस्तुत करते ही प्रस्तुत करने वाले सदस्य को बोलने का अवसर दिया जाये । मैं उन्हें यथासमय बोलने का अवसर दूंगा । वैसे उनका प्रस्ताव प्रस्तुत हो चुका है ।

श्री कामत : यदि श्री नायर का यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया तो खण्ड-वार चर्चा अवरुद्ध हो जायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : निश्चय ही ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : श्रीमान्, मैं औपचारिक रूप से इसे प्रस्तुत कर देता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि विधेयक पर १५ नवम्बर १९५५ तक राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि विधेयक पर १५ नवम्बर, १९५५ तक राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाये ।"

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : मुझे यह पता लगा है कि हम इस विषय पर ४–४।। घंटे चर्चा करेंगे । क्या यह ठीक है ? खण्डों पर यों भी अधिक चर्चा करने वाली कोई चीज़ नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ संशोधन श्री वी० पी० नायर के हैं और कुछ अन्य सदस्यों के हैं ।

प्रश्न तो यह है कि क्या है ४-४¹/₂ घंटे हम सामान्य चर्चा चलायेंगे क्योंकि खण्डवार विचार भी होगा और तृतीय वाचन में भी समय लगेगा। अतः यदि माननीय सदस्य चाहें तो चार घंटे सामान्य चर्चा के लिये एक घंटा अन्य दो प्रक्रमों के लिये—आधा घंटा खण्डवार चर्चा के लिये और आधा घंटा एक दूसरे को बधाई देने के लिये रखा जा सकता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): हम खण्डों पर भी बोलना चाहते हैं। चार घंटे सामान्य चर्चा और शेष के लिये एक घंटा रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि हम तृतीय वाचन न चाहें तो ४¹/₂ घंटे दिये जा सकते हैं। सामान्य चर्चा के साथ ही खण्डों पर और उनके संशोधनों पर भी बोला जा सकता है। दुबारा बोलने की तब तक आवश्यकता नहीं जब तक कि कोई नई बात न कहनी हो।

श्री अशोक मेहता: ४ घंटे और एक घंटा ठीक रहेगा।

श्री वी० वी० गिरि (पातपटनम): मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बैंक पंचाट के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं सरकार को न्यायाधिपति श्री गजेन्द्रगाडकर के पंचाट को स्वीकार करने के लिये बधाई देता हूं। जहां एक ओर देश एक महान् विधि वेता और पंचनिर्णायक श्री राजध्यक्ष के आकस्मिक निधन पर शोक मनाता है वहीं दूसरी ओर उनके उत्तराधिकारी ने देश के औद्योगिक इतिहास के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण कार्य कर दिखाया है।

विभिन्न बैंकों के कर्मचारी अनुभव करते हैं कि उठाई जाने वाली आशंकाओं के अतिरिक्त पंचाट के उपबन्धों से कुछ अनियमिततायें आ गई हैं। जब तक कि इन कठिनाइयों और अनियमितताओं को समझा न जाये और जब तक सरकार बैंक कर्मचारियों और नियोंजकों को इस बात का अवसर नहीं देती कि वे इस विधेयक में दिखाये गये अपने विचारों को आयोग के सम्मुख रख सकें, तब तक बड़ी निराशा फैल सकती है। कुछ भी हो पंचाट से पूर्व कर्मचारियों को जो विशेषाधिकार मिले हुये थे उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है क्योंकि इससे उनके जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। हमारे देश में उचित मज़दूरी की कौन कहे जब कि अभी तक निर्वाह योग्य मज़दूरी ही नहीं तय हुई है। कभी कभी तो निम्नतम मज़दूरी भी न मिलकर केवल निर्वाह भत्ता ही मिलता है। अतः मुझे विश्वाश है कि सरकार ऐसी परिस्थिति होने के कारण इस विषय पर विचार करेगी।

हमारे देश में एक बड़ी हानिकारक प्रथा यह बन गई है कि किसी भी उद्योग में बचत के नाम पर नियोजक एक दम मज़दूरों की छंटनी और उनके जीवन स्तर में हस्तक्षेप करने लगते हैं जो पहले से ही निम्न कोटि का होता है। अतः यदि जो पहलू मैंने बताया है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता तो देश में समाज का समाजवादी ढांचा न होकर केवल पूंजीवादियों का समाजवादी ढांचा ही होगा। अतः मैं अपने मित्र माननीय श्रम मंत्री से इन पहलुओं पर विचार करने का निवेदन करता हूं।

यह पंचाट भी एक वर्ष तक चलता रहना चाहिये किन्तु किसी प्रकार की कठिनाई होने पर यह काल दो वर्ष तक किया जा सकता है। यद्यपि पिछले दो उदाहरण ऐसे हो चुके हैं जिनमें हमारे वित्तीय पंडितों ने यह कहा था कि यदि यह पंचाट लागू किये गये तो बैंक बन्द हो जायेंगे किन्तु ऐसा नहीं हुआ। यदि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अनुसार करोड़ों रुपये लगाकर औद्योगीकरण किया गया तो बैंक कहीं अधिक सम्पन्न हो जायेंगे। अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि एक वर्ष के बाद कर्मचारियों और नियोजकों का इस विषय पर मत लेकर आगे क़दम बढ़ाया जाये। अतः

[श्री वी० वी० गिरि]

मैं बिना किसी खतरे के यह कह सकता हूं कि सरकार अथवा साहूकारों को कोई भी भय नहीं होगा और बैंक सम्पन्न होते जायेंगे। मुझे इस सम्बन्ध में पूर्ण निश्चय है कि मेरी बात झूठ नहीं निकल सकती।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि बैंक के कर्मचारियों को न केवल अपने आचरण के विषय में ही भली भांति जानना चाहिये वरन् इसका भी उन्हें स्पष्ट ज्ञान होना चाहिये कि बैंक किस प्रकार चलाई जानी चाहिये ? जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक केवल इस सभा के सदस्यों की सहानुभूति से ही काम नहीं चल सकता।

श्री कामत : सरकार तक की सहानुभूति से भी नहीं।

श्री वी० वी० गिरि : उनकी समस्याएं उन्हीं की शक्ति से सुलझ सकती हैं। अतः प्रत्येक उद्योग के कर्मचारियों को अपने संघों का निर्माण एक प्रणाली के अनुसार और वैज्ञानिक ढंग पर करना चाहिये जिससे नियोजकों को उनकी कठिनाइयों और शिकायतों का पता लग सके। उन्हें चाहिये कि वे उद्योग के प्रत्येक स्तर पर एक संयुक्त स्थायी मशीनरी पर ज़ोर दें, न्याय निर्णयन को जिसे में सदैव सबसे बड़ा शत्रु समझता आया हूं, संविधि पुस्तक से निकाल कर फेंक दिया जाये। वह किसी प्रकार भी नहीं रहना चाहिये। ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि कर्मचारियों के संघ सुदृढ़ नहीं होंगे। बैंक के कर्मचारी बुद्धिमान हैं, अतः उन्हें अपने उद्योग में दृढ़ संघ बनाकर उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये। साथ ही उन्हें संगठित प्राधिकार का आदर करना चाहिये। और जितना वेतन उन्हें मिलता है उतना वे काम भी करें। पहले उन्हें अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को देखना चाहिये जिससे वे अपने अधिकार और विशेषाधिकार भी प्राप्त कर सकें।

अतः मैं आशा करता हूं कि सरकार कर्मचारियों के संघों को यह अवसर देगी कि वे उन अनियमितताओं को बता सकें जिनसे उनके जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ा है। दूसरे यह कि पंचाट का सामान्य काल एक वर्ष या आवश्यक समझे जाने पर दो वर्ष से किसी प्रकार अधिक न हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कर्मचारी शीघ्र ही यह सिद्ध कर सकेंगे कि बैंकों की दशा समृद्धिशाली है और इस कारण उनके वेतनों में वृद्धि होनी चाहिए।

उद्योग की भुगतान करने की क्षमता का उल्लेख किया गया है। अब भारत का राज्य बैंक सरकारी बैंक हो गया है। सरकारी क्षेत्र को निजी क्षेत्र के सम्मुख अपना उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये। मुझे बताया गया है कि इम्पीरियल बैंक बिना किसी हानि के पंचाट को लागू कर सकता था। यदि ऐसी बात थी तो इम्पीरियल बैंक को उन बैंकों की सूची में से निकाल देना चाहिये था जिन के लिये पंचाट को कार्यान्वित कर सकना कठिन था। अन्य बैंकों के सम्बन्ध में भी मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह कर्मचारियों को इस बात का अवसर दे कि वे अनियमितताओं और शंकाओं के सम्बन्ध में अपनी पूर्ण स्थिति बता सकें। अतः मुझे विश्वास है कि कुछ सदस्य इस पर और अधिक विचार करेंगे जबकि मैं ने केवल कुछ ही सिद्धान्त बताये हैं।

श्री अशोक मेहता : माननीय श्रम मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक छोटा होते हुए भी बड़ा जटिल है।

उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में यह कहा गया है कि रूपभेद करते समय सरकार को जो सामग्री उपलब्ध थी उसी के आधार पर आगे इस सम्बन्ध में जांच की गई थी किन्तु वस्तुतः ऐसा हुआ नहीं था।

में यह चाहता था कि सरकार पिछले वर्ष श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय को स्वीकार कर लेती या यदि उस में रूपभेद की आवश्यकता थी तो उस का निर्देश एक स्वतंत्र प्राधिकार को करती किन्तु ऐसा नहीं किया । सरकार ने उस में रूपभेद किया और वह इस सम्बन्ध में आगे कुछ भी न करती, किन्तु इस बीच एक ओर तो सारे देश में बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी और दूसरी ओर हमारे अनुभवी श्रम संघ के नेता, श्री गिरि ने इसी कारण त्यागपत्र दे दिया था । उन के त्यागपत्र देने से ही सरकार ने इस मामले का निर्देश एक नये आयोग को किया । यदि सरकार पहले ही अपना यह विचार बना लेती तो श्री गिरि कभी भी त्यागपत्र न देते । यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि हम नहीं चाहते कि ऐसी चीज़ों की पुनरावृत्ति हो ।

सरकार ने श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय में कुछ रूपभेद किया । बैंक पंचाट आयोग ने इसकी जांच की है । यह प्रतिवेदन एक नमूने का और उत्कृष्ट प्रतिवेदन है । पिछले आठ नौ वर्षों से हम इस मामले में किसी प्रकार अपना मार्ग बना कर काम करते रहे । न जाने कितने न्यायाधिकारण, आयोग और समितियां बनाई गई जिन में से कुछ में मैं ने भी अपने माननीय मित्र श्रम मंत्री के साथ कार्य किया । किन्तु जो प्रश्न आगे चल कर उठे और जिन पर प्रकाश डालने की आवश्यकता थी उन पर उचित रूप से विचार कर और तर्क लगा कर न्यायाधिपति गजेन्द्रगाडकर ने जितना कार्य किया उतना किसी ने भी नहीं किया ।

अतः यह प्रतिवेदन मेरे विचार से अत्यधिक महत्व रखता है । इसकी सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने के लिये मैं उसे बधाई देकर यह कहना चाहता हूं कि क्या वह इस आयोग द्वारा दिये गये कारणों को मानने को तैयार है । जिन लोगों ने इस प्रतिवेदन को पढ़ा है वे मुझ से इस बात में सहमत होंगे कि सिफारिशें प्रतिवेदन का मत्वपूर्ण अंग नहीं हैं । देश की श्रम नीति के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है उस के विषय में मैं माननीय श्रम मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस से सहमत हैं और उसे स्वीकार करने को तैयार हैं । अथवा वे केवल सिफारिशों को ही स्वीकार करेंगे और हम पहले की भांति ही फिर उसी दशा में पड़े रहेंगे ।

न्यायाधिपति गाडकर न पथ-प्रदर्शक का कार्य किया है । उन्हों ने बताया कि पंचाट में रूपभेद कर के सरकार ने गलत कार्य किया है । पृष्ठ २१ पर उन्हों ने कहा है कि यदि पंचाट में कोई रूपभेद करना हो तो वह स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकार के द्वारा किया जाना चाहिये वैसे नहीं । क्या श्रम मंत्री इस बात से सहमत हैं कि सरकार पंचाट में रूपभेद करने में अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेगी ? यदि कोई रूपभेद करना अनिवार्य ही जान पड़े तो वह स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकार के द्वारा किया जाना चाहिये ? और न्यायिक निर्णयों में किसी प्रकार का कार्यपालिका प्राधिकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा । यह बात न्यायाधिपति गजेन्द्रगाडकर के प्रतिवेदन के प्रारम्भ में गई है ।

सभा को याद होगा कि गत वर्ष मैं ने इस प्रकार रूपभेद किये जाने का बहुत विरोध किया था । मेरा विचार है कि कार्यपालिका प्राधिकारियों को एसा कोई रूपभद नहीं करना चाहिये था । केवल सक्षम न्यायिक अधिकार के विनिश्चय के अनुसार ही एसा किया जाना चाहिये । श्री गजेन्द्रगाडकर ने न केवल हमारे देश के वरन् संसार के

[श्री अशोक मेहता]

अन्य देशों के प्रासंगिक विधिक प्रमाणों से इसका समर्थन किया है । मैं श्रम मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या होगी ।

इस प्रतिवेदन की तीन मुख्य विशेषतायें हैं । पहली मूल सिद्धान्तों के प्रति विलक्षण ईमानदारी; दूसरी दृष्टिकोण तथा निर्णय की स्वतंत्रता और तीसरा विज्ञ. विश्लेषण तथा फलानमान ।

समाजवादी ढांचे के अनुसार अपनी अर्थ व्यवस्था को संगठित करने के हमारे विनिश्चय का श्री गजेन्द्रगाडकर ने बड़ा गम्भीर अर्थ लगाया है । उन्हों ने पूछा है, "सरकार की श्रम नीति क्या है ? क्या वह समाजवाद की दिशा में अग्रसर हो रही है ?"

प्रतिवेदन के पृष्ठ २३ पर समाजवादी ढांचे का तात्पर्य क्या है यह बताया गया है । इस सम्बन्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं उन की पृष्ठभूमि में वर्तमान विधि की स्थिति क्या है । प्रजातंत्र का अर्थ विधि का शासन है परन्तु विधि का वह प्रशासन नहीं जैसा डायसी ने समझा है और जो यथेच्छाकारिता पर आधारित है । उन का कहना है कि उन्नीसवीं शताब्दी के डायसी को छोड़ कर आज हमें बीसवीं शताब्दी के फ्रीडमैन पर ध्यान देना चाहिये । यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि औद्योगिक विवाद के इस प्रश्न को ले कर अनेक बार विधि सम्बन्धी प्रश्न उठाये जाते हैं तथा विधि की बाल की खाल निकाली जाती है । जब तक हम विधि का वही पुराना निर्वचन करते रहेंगे श्रमिक वर्ग के साथ न्याय नहीं किया जा सकता है ।

विधेयक

इस के बाद प्रश्न यह उठता है कि हमारी मजूरी नीति का आधार क्या होना चाहिये । मजूरी नीति सम्बन्धी प्रश्नों की विवेचना इतनी शीघ्रता के साथ और इतनी व्यापकता के साथ की जा रही है कि जो कुछ चार या पांच वर्ष पहले कहा जाता था वह अब पुराना और अप्रासंगिक हो गया है । गजेन्द्रगाडकर समिति का सुझाव है कि इस सम्बन्ध में हमें श्रीमती बारबेरा वूटन के मजूरी के सामाजिक आधार पर विचार करना चाहिये । श्रीमती वूटन ने बताया है कि हमारी मजूरी नीति उस के सामाजिक प्रसंग तथा सामाजिक आधारों के अनुसार ही होनी चाहिये । आये दिन वेतन आयोग और मजूरी आयोग नियुक्त होते रहते हैं । आज भी श्रम मंत्री ने हमें त्रावनकोर-कोचीन बैंक कर्मचारियों के लिये एक आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में बताया है । परन्तु प्रश्न यह है कि हमारी मजूरी नीति का दृष्टिकोण क्या होना चाहिये ? न्यायाधिपति गजेन्द्रगाडकर ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया कि उचित मजूरी को लाभ पर प्राथमिकता मिलनी चाहिये । आस्ट्रेलिया तथा अन्य बहुत से देशों में इसी सिद्धान्त का पालन किया जाता है । क्या हम यह स्वीकार करते हैं कि समाजवादी ढंग के समाज से यही तात्पर्य है ? इस आयोग की सिफारिशें इसी पर आधारित हैं ।

इस सम्बन्ध में बैंकरों का क्या मत है इसका इस प्रतिवेदन में भली प्रकार विश्लेषण किया गया है । युद्धकाल में लाभ संचय करने की इंगलैण्ड के बैंकरों की नीति का हमारे यहां के बैंकरों ने कभी पालन नहीं किया है । युद्धकाल में लाभ की भारी राशियां वितरित कर दी गईं । लाभांश की दर बढ़ती जा रही है और अब वह कहते हैं कि यदि वे लाभांश की दर को घटायेंगे तो उन की साख को धक्का पहुंचेगा ।

विधेयक

प्रबन्ध व्यय की संरचना के संबंध में प्रतिवेदन में कहा गया है कि प्रबन्ध कार्य करने वालों में उन को, जोकि चोटी पर हैं केवल बड़े बड़े ही नहीं वरन् छोट बैंक भी जो पारिश्रमिक देते हैं वह हमारे आर्थिक संगठन की अन्य शाखाओं के उतनी ही जिम्मेदारी का काम करने वाले व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले वेतनों को देखते हुए अनुपात से कहीं अधिक हैं । और वे इस में कोई कमी नहीं करना चाहते हैं । प्रतिवेदन में कहा गया है कि समाजवादी ढंग के समाज के लक्ष्य को पूरा करने के लिये पूंजी, प्रबन्ध तथा श्रम में किये जा रहे आय वितरण की व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है । परन्तु बैंकर इस के विरुद्ध हैं और आय वितरण के इस ढांचे की रक्षा करने के लिये ही भारत सरकार ने श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूपभेद किया था । परन्तु श्री गिरि के त्याग और बैंक कर्मचारियों के महान विरोध के कारण ऐसा नहीं किया जा सका है ।

हमारी अर्थ व्यवस्था बड़ी ही विचित्र है क्योंकि इस के द्वारा उद्योगों को सस्ता बनाने के लिये केवल एक ही तरीका काम में लाया जाता है और वह तरीका यह है कि उनको भूखों मारा जाये जो इन में श्रम करते हैं । आज यदि भारत का बैंकिंग उद्योग, वस्त्र उद्योग तथा इस्पात उद्योग संसार में सब से सस्ते हैं तो उसका यही कारण है ।

बैंकरों का कहना है कि चूंकि प्रतिभूतियों के मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव हुआ करते हैं इसलिये उन के व्यापार में जोखिम बहुत है जिस के लिये अवक्षयण की बहुत आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन में बताया गया है कि भारत के रिज़र्व बैंक ने १९४८ में अनुसूचित बैंकों को परामर्श दिया था कि वे अपना धन दीर्घकालीन प्रतिभूतियों से निकाल कर अल्पकालीन प्रतिभूतियों में लगायें । अधिकांश बैंकों ने इस परामर्श के अनुसार कार्य किया जिस के परिणामस्वरूप बैंक दर में परिवर्तन होने पर जब प्रतिभूति मूल्यों में अकस्मात गिरावट हुई तो उन को बहुत कम कठिनाई का सामना करना पड़ा । जिन बैंकों ने इस परामर्श को नहीं माना था उन्हीं को भारी क्षति उठानी पड़ी और उन्हीं ने बार बार इस कठिनाई को हमारे सामने रखा है ।

रिज़र्व बैंक ने जो परामर्श १९४८ में दिया था उस को सेन्ट्रल बैंक ने नहीं माना था । जिस बैंक ने राष्ट्रीय नीति के सुझाव को ठुकरा दिया था और स्वार्थ परायणता से काम लिया था वह तो सब से बड़ा अपराधी था । उसी ने पंचाट में रूपभेद करने के लिये सभी पर दबाव डाला था । भारत सरकार को चाहिये था कि ऐसे स्वार्थी तथा अपराधी बैंकों को यह उत्तर देती कि क्योंकि उस ने परामर्श को नहीं माना था इसलिये ऐसे बैंक के हितों की रक्षा करने के लिये बैंक कर्मचारियों के हितों की बलि चढ़ाना उचित नहीं है ।

बैंकरों ने बैंक संचालन सम्बन्धी कुछ आंकड़ों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है । आश्चर्य तो यह है कि जब इस ओर से प्रश्न उठाया गया तो श्रम मंत्री ने इसका समर्थन किया । न्यायाधीश गजेन्द्रगाडकर इस प्रश्न की अच्छी तरह जांच करना चाहते थे परन्तु उन्हें भी विशेषाधिकार के इस प्रश्न के उठाये जाने पर खेद प्रकट कर के रह जाना पड़ा । मैं इस से सहमत नहीं हूं । बैंक के आंकड़ों का जहां तक सम्बन्ध है इस में विशेषाधिकार का कोई प्रश्न ही नहीं है । बैंकरों का यह दावा सरासर निराधार है और मैं आशा करता हूं कि अब भी, आज न सही तो एक सप्ताह में, एक मास में या दो मास में श्रम मंत्री अपने अन्य

[श्री अशोक महता]

सहयोगियों से परामर्श कर के इस सभा के सदस्यों को पूरी स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर देंगे जिस से वे बैंक के सचालन के प्रत्येक अवस्थान की जांच कर सकें । यह विनिश्चय २८ अप्रैल, १९५४ को प्रकाशित किया गया था और सरकार का रूपभेद करने वाला आदेश २४ अगस्त, १९५४ को जारी किया गया था । श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के अनुसार १२,४१८ कर्मचारियों की उपलब्धियों में कटौती होने वाली थी । यदि सरकार का विनिश्चय मान लिया जाता तो इसका प्रभाव और अधिक कर्मचारियों पर पड़ता । इस रूपभेद के द्वारा उपलब्धियों में कटौती करने की कोशिश की गई थी और क्षेत्र ४ और क्षेत्र ५ भी जोड़ दिये गये थे । क्षेत्र ५ यह समझ कर जोड़ा गया था कि भाग 'ख' में के राज्यों में बैंक पर्याप्त संख्या में नहीं हैं । परन्तु बात ऐसी नहीं है । गजेंद्र गाडकर आयोग ने बताया है कि भाग 'क' और भाग 'ख' में के राज्यों की इस सम्बन्ध में दशा एक सी ही है । तर्क यह दिया गया था कि शाखायें बन्द हो जायेंगी, बैंकों के कार्यालय बन्द हो जायेंगे । परन्तु परिणाम क्या हुआ । गत एक वर्ष में बैंकों के कार्यालय २७०५ से बढ़ कर २८०७ हो गये हैं । कहा जाता है कि कुछ आकस्मिक बातें ऐसी हो गई हैं जिन का यह परिणाम हुआ है नहीं तो सरकार ने तो सारी बातों पर विचार कर ही लिया था । मेरा कहना है कि तथ्य इस कथन के सर्वथा विपरीत हैं । या तो सरकार ने अनजाने भूल की है जो क्षमा के योग्य नहीं है या सरकार ने विदित स्वार्थों के पक्षपाती होने के कारण ऐसी भूल की है, ऐसी दशा में यह और भी अक्षम्य है ।

आज के कुल निक्षेप (डिपाज़िट) १००० करोड़ रुपये तक पहुंच गये हैं अर्थात् केवल एक वर्ष में ही १०० करोड़ रुपये की अभिवृद्धि हुई है । कहा जाता है कि बैंकिंग का यह विकास अकस्मात हो गया है इस के पहले से कोई संकेत नहीं थे । रिज़र्व बैंक के ही प्रकाशनों को यदि हम देखें विशेषतः **ट्रेण्ड एन्ड प्रागरेस आफ बैंकिंग इन इंडिया,** १९५४, पृष्ठ ४, और **करेंसी और फाइनेंस** १९५४-५५, पृष्ठ ३७ तो यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि इस के संकेत गत वर्ष अप्रैल में ही प्रकट होने लगे थे ।

पहले तो निक्षेप दायिता का परिमाण १९५४ के पहले आठ मास में एक ही गति से बढ़ता रहा और फ़रवरी १९५४ में १९५२-५३ तथा १९५३-५४ के औसत से कहीं अधिक बढ़ गया ।

दूसरे १९५३ का चेक भुगतान मांग डिपाज़िट का अनुपात १९५२ के अनुपात से अधिक था और १९५४ में १९५१ के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया । इसका अर्थ है कि निक्षिप्त धन के परिचालन की गति १९५३ से बराबर बढ़ रही है जोकि व्यापार के टर्न ओवर की गति की सूचना देती है ।

तीसरे १९५३-५४ के व्यस्त काल में जितना ऋण प्रसार हुआ वह पिछले दो वर्षों के व्यस्त काल के ऋण प्रसार की अपेक्षा कहीं अधिक था ।

और अन्त में, १९५४ के आठ महीनों में विभिन्न बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक में जो धन जमा किया जाता है उस में निरन्तर और पर्याप्त मात्रा में अभिवृद्धि होती रही है ।

कहा जाता है कि रिज़र्व बैंक ने और वित्त मंत्रालय ने सरकार के पास अपने अपने परामर्श भेजे थे । वित्त मंत्रालय ने क्या यह परामर्श दिया था कि बैंकिंग व्यापार पर योजना का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । हमारा नोट परिचालन १९५३ में ११२२

करोड़ रुपये था और १९५५ में १३२२ करोड़ रुपये हो गया । इस में २०० करोड़ रुपये की अभिवृद्धि हुई । सरकार को सोचना चाहिये था कि बैंकिंग पर इस का कितना प्रभाव पड़ेगा । **रिपोर्ट आन करेंसी एण्ड बैंकिंग** के पृष्ठ ३७ पर कहा गया है कि ज़र्व बक इस बढ़ोतरी की आशा करता था । इसलिये या तो परामर्श ठीक तरह से दिया नहीं गया था या उसे सरकार के उच्च अधिकारियों द्वारा ठीक तरह से समझा नहीं गया था ।

इसलिये इसका परिणाम यह हुआ कि समझा गया कि १९५३ में बैंकिंग काम मद्धिम रहेगा और वही ग़लती एक बार फिर श्रम मंत्री करने जा रहे हैं । हम बहुत बडे पैमाने पर घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रबन्ध करने जा रहे हैं इसलिये बैंकिंग का काम फिर एक बार छलांग मार कर आगे उठने वाला है इसलिये ऐसे समय में पांच वर्ष के लिये इस पंचाट को यथावत् चालू रखना उचित नहीं है । इसीलिये मैं श्री कामत से संशोधन का समर्थन करता हूं ।

अन्त में जो बातें श्री गिरि ने कही हैं उन पर विचार करते हुए मैं श्री गुरुपादस्वामी के संशोधन का समर्थन करता हूं ।

जब रिज़र्व बैंक कानपुर को प्रथम क्षेत्र मानता है तो दूसरे बैंकों को कानपुर को द्वितीय क्षेत्र मानने की अनुमति क्यों दी जाती है । ऐसी ही कठिनाई हैदराबाद तथा कुछ स्थानों के सम्बन्ध में है । मैं आशा करता हूं कि श्रम मंत्री कोई ऐसा उपबन्ध बनायेंगे जिस से क्षेत्र सम्बन्धी यह विवाद किसी पक्ष प्राधिकारी के सामने प्रस्तुत किये जायें और इन मामलों को निपटाया जाये ।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं बैंकों और बैंक कर्मचारियों के इस दुखद विवाद में सरकार ने कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया है । सरकार को अपनी पुरानी भूलों से सीख प्राप्त करनी चाहिये ।

श्री पी० सी० बोस (मानभूम उत्तर) : विधेयक के उपबन्धों से बैंक कर्मचारियों को पूरा सन्तोष तो नहीं हुआ है फिर भी अनेक कारणों से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

पहली बात तो यह है कि इस विधेयक के पास हो जाने से आठ वर्ष पुराने विवाद पर एक प्रकार से पर्दा पड़ जायेगा । आज जब झगड़ा निपट चुका है और शान्ति का वातावरण है तो गड़े मुरदों को उखाड़ना उचित नहीं है । सरकार को तथा अन्य व्यक्तियों को इस से यह सीख लेनी चाहिये कि ऐसे महत्वपूर्ण उद्योग में जिस पर कि अन्य सभी उद्योगों का संचालन निर्भर है इतने लम्बे काल तक चलने वाले झगड़े न केवल अवांछनीय हैं वरन् सारे समाज के हित के लिये घातक भी हैं । ऐसे विवादों में सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये ।

इस विधेयक का समर्थन करने का दूसरा कारण यह है कि सरकार ने अपीलीय न्यायाधिकरण पंचाट में रूपभेद करने के अपने पहले विनिश्चय को लागू करने के बजाय वर्तमान आयोग को नियुक्त किया और उस के विनिश्चयों को स्वीकार किया है ।

बैंक कर्मचारियों की अन्य शिकायतों को मैं ठीक समझता हूँ । पंचाट के परिपालन से कुछ बैंकों को विमुक्ति देना और कुछ की आय घटा देना मैं किसी प्रकार उचित नहीं समझता हूं । परन्तु चूंकि वर्तमान आयोग के सम विषय पर अच्छी तरह से विचार किया है इसलिये मैं इनकी ओर

[श्री पी० सी० बोस]

अधिक चर्चा नहीं करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि सरकार जल्दी से जल्दी इन झगड़ों को भी निपटा देगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री एन० श्री कान्तन नायर : मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि मैंने जनता का मत जानने के लिये इस विधेयक को परिचालित करने का सुझाव क्यों रखा है।

यह प्रतिवेदन समाजवादी ढंग के समाज पर आधारित नहीं है और न इस सिद्धान्त पर आधारित है कि मजूरी की दरें मजदूरों के निर्वाप स्तर के अनुसार और उन की आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिये न कि संस्था द्वारा अर्जित लाभ पर। मेरे माननीय मित्र श्री सी० के० नायर को उन सिद्धान्तों से नहीं डरना चाहिये जिनका प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है क्योंकि वे कहीं लागू नहीं किये गय है। इस प्रतिवेदन में हम यह देख सकते हैं कि विद्वान न्यायाधीश ने केवल बैंकिंग समवायों के हितों को ही देखा है और कहा है कि वेतन के सम्बन्ध में निर्णय करते समय वेतन देने के समर्थ्य को दृष्टि में ही रखा जाना चाहिये इस लिये उद्योग की भुगतान सामर्थ्य को प्रथम कारण माना गया है और उसी के अनुरूप वेतनों की दरें रखी गयी हैं। यदि आप ध्यान से इसका विश्लेषण करें तो आप देखेंगे कि प्रत्येक वर्ग को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया गया है।

सबसे पहले श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के बारे में जैसा कि श्री अशोक मेहता ने कहा है कि विद्वान न्यायाधीश ने अपने वर्ग के हितों की रक्षा की है। श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के जो तीन निर्णय स्वीकार किये गये हैं वह यह हैं। (१) क तथा ख तथा निर्धारित ग वर्ग के बैंकों के सम्बन्ध में निर्णय का पुनःस्थापन; (२) श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण को महंगाई भत्ते के लिय आधार बनाया गया है; और (३) उसकी क वर्ग के बैंकों के नये बेतन ढांचे में कर्मचारियों को व्यवस्थित करने की योजना आदि है।

अब जब कि हम शास्त्री पंचाट की ओर ध्यान देते है तो देखते हैं कि उस में से केवल दो सुझाव स्वीकार किये गये हैं। पहला तो यह कि चिकित्सा सहायता श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के पंचाट के आधार पर नहीं अपितु शास्त्री पंचाट के आधार पर दी जाये। दूसरे यह कि शास्त्री योजना के अनुसार अन्य श्रेणियों के बैंकों में नये वेतन ढांचे में कर्मचारियों की व्यवस्था करना। इसका अभिप्राय यह हुआ कि क वर्ग के बैंकों के अतिरिक्त अन्य बैंकों के कर्मचारियों को पहले से कम बेतन दिया जायेगा।

सरकार के निर्णयों को इस गजेन्द्र-गाडकर पंचाट द्वारा स्वीकार किया गया है। वह यह हैं। (१) त्रावनकोर-कोचीन के बैंकों को पंचाट से दो वर्ष के लिये विमुक्ति (२) न्यूनतम मजूरी पर एक चतुर्थ श्रेणी की स्वीकृत। श्री अशोक मेहता यह गलत कह रहे थे कि निर्धारित वेतन वास्तव में पर्याप्त है। पर वेतन बहुत ही अन्यायपूर्ण है। वास्तव में इसी प्रश्न पर तीन न्यायाधिकरणों द्वारा विचार किया गया है। पहला न्यायाधिकरण सेन न्यायाधिकरण था, दूसरा शास्त्री न्यायाधिकरण था और तीसरा न्यायाधिकरण श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण था। हम इन न्यायिक आधार की गयी जांचों को कर्यपालिका की जांच के स्तर पर नहीं रख सकते हैं। इन तीनों न्यायाधिकरणों का निर्णय यह था कि केवल तीन श्रेणियां होनी चाहियें किन्तु हमारी समाज-

वादी सरकार ने चार श्रेणियां बना दी हैं। बैंक तो सभी भाग ख तथा ग में के राज्यों में थे किन्तु विमुक्ति केवल त्रावनकोर-कोचीन को ही दी गई है।

इस प्रतिवदन में सरकार की तीसरी रियायत यह दी गई है कि सरकार ने निर्णय को समस्त ग श्रेणी के बैंकों के लिए संपरिवर्तित किया और केवल आठ निर्धारित बैंकों तथा घ श्रेणी के बैंकों पर यह लागू नहीं किया है। इस के बाद ङ श्रेणी के यदि कोई बैंक रह जाते हैं तो निस्सन्देह वे त्रावनकोर-कोचीन के बैंक हैं।

अब कर्मचारियों को क्या लाभ होगा? प्रतिवेदन में दिया गया है कि पहली कटौती अप्रैल १९५५ में होगी और सारी कटौती तीन किस्तों में की जाएगी। जैसा कि भूत-पूर्व श्रम मंत्री ने कहा है यह एक मान्य अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त है कि कर्मचारियों के विद्यमान विशेषाधिकारों में कमी नहीं की जानी चाहिए। फासिस्ट सरकारों ने भी ऐसी कटौती करने का साहस नहीं किया है।

किन्तु वह सरकार जो स्वयं को समाजवादी कहती है उस ने यह काम किया है। सेन पंचाट को परे फैंक दिया गया है। शास्त्री पंचाट के बाद फिर अपीलीय न्यायाधिकरण ने भी यही कहा किन्तु कुछ नहीं हुआ। इसलिए अपीलीय न्यायाधिकरण के पंचाट के परिणामस्वरूप, जैसाकि श्री अशोक मेहता ने कहा है, लगभग १२,८०० व्यक्तियों को हानि पहुंचेगी। सेन पंचाट से भी इतनी हानि नहीं हुई थी। इस के बाद हमारी सरकार ने हस्तक्षेप किया और यत्र तत्र कटौतियां कीं। इन सब बातों का कारण क्या है? कारण यही है कि वह बैंकों का हित करना चाहते थे। त्रावनकोर-कोचीन के बैंकों को विमुक्ति देने का कारण क्या है--इसका कारण बहुत ही रुचिपूर्ण है। न्यायाधिकरण ने कहा है कि त्रावनकोर कोचीन राज्य के कुल १६० बैंकों में से १७ बैंक विवादों में एक पक्ष हैं। आगे चल कर बताया गया है कि इन १६० बैंकों में कुल निक्षेप लगभग २६ करोड़ रुपये हैं और केवल चार बैंक दो करोड़ रूपये प्रति बैंक के हिसाब से निक्षेप रखते हैं; चार बैंकों में १ करोड़ से २ करोड़ तक के निक्षेप हैं और २५ बैंकों में २५ लाख से १ करोड़ तक के निक्षेप हैं और शेष में १ लाख से २५ लाख तक के निक्षेप हैं।

अब इन १७ बैंकों की सामर्थ्य तथा संसाधन का अनुमान लगाने के बारे में कभी कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस का कारण क्या है! इसका कारण केवल यही यह कि वहां के कर्मचारी वाम पक्षी समझे जाते हैं और वहां के नियोजक बड़े पूंजीपति हैं और वास्तव में वह लोग बड़े-बड़े पदों पर विभूषित हैं।

त्रावनकोर कोचीन के श्रमिकों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। माननीय मंत्री ने कई आश्वासन दिये हैं किन्तु अब मुझे उन आश्वासनों में अधिक श्रद्धा नहीं रही है। अभी हाल ही में मैंने वहां के खनिज श्रमिकों की अवस्था सभा के सामने रखनी चाही थी किन्तु आप ने आज्ञा नहीं दी।

श्री खंडूभाई देसाई : क्या वह प्रश्न स्वयं आप की प्रार्थना के आधार पर ही औद्योगिक न्यायाधिकरण को नहीं सौंपा गया था? आप ने हम से ऐसा करने की प्रार्थना की और हम ने वैसा ही किया है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : वह तो और भी अधिक विस्मयजनक है। हम ने आवेदन औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा १० (२) के अधीन दिया था। आप ने उसे धारा १० (१) (ग) के अधीन निर्दिष्ट किया।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब इस कार्यवाही से असंगत है ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैं केवल यही बताना चाहता था कि मंत्रियों के आश्वासनों पर भरोसा कैसा । १९४६ से १९४८ तक की अवधि की बकाया धनराशि अभी तक दिये जाने को है । माननीय श्रम मंत्री ने अभी तक उस निर्णय को लागू नहीं किया है । जब यह मामला सभा में रखा गया तो भी इसकी आज्ञा नहीं दी गई । सरकार ने त्रावनकोर-कोचीन राज्य के श्रमिकों को सुविधायें नहीं दी हैं और वह केवल इसी कारण से कि वे वामपक्षी दलों से सहानुभूति रखते हैं ।

अब मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार के निर्णय से श्रमिकों को किस प्रकार की हानि हुई है तथा होगी । पहली बात तो यह है कि ३०,००० आबादी से कम के क्षेत्र को एक चौथा भाग बनाया गया है; दूसरे दिल्ली, अजमेर तथा कुर्ग के अतिरिक्त भाग (ख) तथा (ग) में के राज्यों को विमुक्ति दी जानी चाहिये ; और तीसरे यह कि महंगाई भत्ते के बारे में शास्त्री पंचाट को क्रियान्वित किया जाये ; चौथे नये वेतन स्तरों में कर्मचारियों को रखने के लिये शास्त्री पंचाट के स्वीकार किये जाने; पांचवें भारत के युनाइटेड बैंक को विमुक्ति देने के बारे में और छठे वेतनों में कटौती के सम्बन्ध में है । कटौतियों को लागू किया जायेगा । प्रतिवेदन में उच्च सिद्धान्तों के बारे में निर्देश किया गया है किन्तु उनका अनुसरण नहीं किया गया है । निस्सन्देह आयोग भी इस के बारे में दावा नहीं करता है । मैं प्रार्थना करता हूं कि इस विषय पर श्रमिकों के प्रतिनिधियों को कुछ विचार करने का अवसर दिया जाये विशषकर उस समय जब कि श्री के० पी० त्रिपाठी जैसे लोग यहां नहीं हैं । सभा के प्रतिष्ठित सदस्यों ने भी इस के ब्यौरों पर विचार नहीं किया है । यदि इसी योजना का अनुसरण किया जाना है तो निस्सन्देह श्रमिकों के जीवन स्तरों में कमी होगी । यदि इस कटौती को पूरा करने के लिये आगामी वार्षिक वृद्धियों को रोका गया तो फिर भी १९५९ तक उन्हें पुराना वेतन मिलेगा । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि दो महीने का समय कुछ अधिक नहीं है । विधेयक को लोगों की राय जानने के लिये परिचालित किया जाये, यदि ऐसा न हो सके तो कम से कम कटौतियां लागू न की जायें और जो सुझाव मैं ने अपने संशोधन में दिये हैं उन्हें स्वीकार किया जाये ।

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : मैं सामान्यतः इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इस उद्योग के ठीक प्रकार के संचालन के लिये शान्ति की अत्यधिक आवश्यकता है । यह विधेयक बैंक पंचाट आयोग की सिफारिशों पर आधारित है इसलिये मैं इस के गुण तथा दोषों में नहीं जाऊंगा ।

आप जानते हैं कि यह विवाद लगभग पिछले सात वर्ष से चलता आ रहा है । इस से उद्योग को ही नहीं अपितु कर्मचारियों को भी बहुत हानि हुई है । इसलिये यह अच्छा है कि अब उद्योग में शान्ति स्थापित की जाये ।

आयोग ने भी यह बताया है कि किस प्रकार इन विवादों से उद्योग तथा कर्मचारियों को हानि पहुंची है । इसलिये यह आवश्यक है कि अब वहां शान्ति स्थापित हो जानी चाहिये । मुझे आशा है कि इस से अब शान्ति स्थापित हो जायेगी । मैं यह समझता हूं कि यदि इस में परिवर्तन न किये गये होते तो हालात उतने खराब न होते जितने कि आज हैं । किन्तु जैसा श्री

अशोक मेहता ने कहा था, जबकि सरकार ने इस में परिवर्तन किया था, उस समय सरकार को स्थिति का ज्ञान था या नहीं अथवा क्या सरकार ने बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया था । टाटाज क्वार्टरली में भी जिस के बारे में श्री अशोक मेहता ने कहा है, यह लिखा है कि बैंकों के लिये यह एक स्वागत करने योग्य अवसर है । उन्हें यह नहीं भूलना चाहिये कि यदि बैंकों में निक्षेप बढ़े हैं तो वे ऋण भी अधिकाधिक देने लगे हैं । इस समय देश को बैंकिंग सेवाओं की सुविधायें अधिक प्राप्त हैं और इन से अधिक लाभ भी हुआ है । ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये सुविधायें उपलब्ध हैं । इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हो चुका है । इसलिये बढ़ते हुए व्यय के कारण यह संभव नहीं है कि इन समस्त सुविधाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जा सके ।

मैं एक पहलू पर प्रकाश डालना आवश्यक समझता हूं । इस देश के बैंकों ने देश की आर्थिक प्रगति के विकास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पर्याप्त भाग लिया है । इस समय विदेशी विनिमय व्यापार में भी भारतीय बैंक लगभग ३५ या ४० प्रतिशत की सीमा तक भाग ले रहे हैं । पहले यह सारा कार्य विदेशी बैंकों के हाथों में ही था । यह वास्तव में एक बहुत ही महान प्राप्ति है। हम लोग सदैव यह चाहते हैं कि हमारे विदेशी व्यापार में भारतीय नौवहन बैंकिंग तथा बीमा आधिकाधिक भाग ले—तो यहां इस उद्योग ने विदेशी व्यापार में ४० प्रतिशत भाग लिया है । यह कोई साधारण बात नहीं है ।

एक दूसरा पहलू भी है । दूसरे उद्योगों के सम्बन्ध में कहा जाता है कि अमुक उद्योग का प्रबन्ध अमुक प्रबन्ध अभिकर्ता के हाथ में रहा है । किन्तु इस उद्योग ने जो सफलता प्राप्त की है वह उन्हीं संस्थाओं के द्वारा की है जो इस देश के हित में कार्य कर रही हैं ।

गजेन्द्रगडकर आयोग ने उच्च पदाधिकारियों के अधिक वेतनों की ओर निर्देश किया है । इस कार्य का अनुभव रखने के कारण मैं स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं । हमारे भारतीय बैंकों को विदेशी बैंकों से न केवल इसी देश में अपितु विदेशों में भी प्रतियोगिता करनी पड़ती है क्योंकि अब तो विदेशों में भी हमारे बैंकों की बहुत सी शाखायें खुल गई हैं । भारतीयों को उन के प्रबन्ध के लिये भेजा गया है । इसलिये इन अधिकारियों को भी उसी स्तर पर रहना होता है जिस पर कि इन के बराबर के लोग वहां रहते हैं । इस कारण यदि ऐसे उच्च-अधिकारियों को विदेशी पदाधिकारियों जितना वेतन न दिया गया तो यह निश्चित है कि उन की स्थिति ठीक नहीं रहेगी । दूसरा अन्तर यह है कि इस देश के जो अधिकारी हैं वह अधिकतर इन संस्थाओं के प्रधान कार्यकर्ता होते हैं जबकि भारत स्थित विदेशी बैंकों के उच्च अधिकारी केवल शाखाओं के प्रबन्धक होते हैं । फिर भी जितना वेतन विदेशी प्रबन्धक यहां लेते हैं उतना हम अपने लोगों को नहीं देते हैं । इन प्रधान कार्यकर्ताओं के उत्तरदायित्व इतने अधिक होते हैं कि उन के लिये यह वेतन अधिक नहीं है ।

इस उद्योग के बारे में तो स्वयं आयोग ने भी कहा है कि यह उद्योग एक जटिल उद्योग है और यह आवश्यक है कि इस में विवाद तथा झगड़े न हों ।

आप इस ओर ध्यान देंगे कि इस देश के लाखों निक्षेपकों के रुपयों की ओर इन प्रबन्धकों को ध्यान देना होता है । इसलिये जब तक उन्हें सन्तोषजनक वेतन नहीं दिया

[श्री तुलसी दास]

जाता है तब तक वे ठीक ढंग से काम नहीं कर सकते ।

श्री अशोक मेहता ने कतिपय बातों के बारे में कहा है और कहा है कि सरकार इन बातों पर क्यों विचार नहीं करती है । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यदि १९५३ में यदि वह स्वयं किसी बैंकिंग संस्था के प्रभारी होते तो मुझे विश्वास है कि वह भी इसी स्थिति में होना चाहते ।

मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि प्रत्येक कर्मचारी सर्वोच्च पदाधिकारी बनना चाहता है और मैं उदाहरण दे सकता हूं कि कई छोटे-छोटे क्लर्क उच्चतम पदवी पर पहुंचे भी हैं ।

श्री वी० पी० नायर : विशेष अर्हतायें हो सकती हैं ।

श्री तुलसी दास : नहीं वह कोई विशेष व्यक्ति नहीं है । आज से ३५ साल पहले वह केवल ४० रुपया मासिक वेतन पाता था ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने श्री अशोक मेहता को एक बैंक का निदेशक होने का निमंत्रण दिया है ; वह आप को श्रम नेता बनने का निमंत्रण दे सकते हैं ।

श्री तुलसी दास : आप ने ठीक सुझाव दिया है । किन्तु मैं श्रमिकों का नेता नहीं बनना चाहता । आजकल इस देश में श्रमिकों का नेता बनना आसान है किन्तु उन की समस्याओं को समझना कठिन है ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस उद्योग का विस्तार होने से बहुत से लोग इन पदों की आशा कर सकते हैं । ये सब बातें तब तक पूरी नहीं हो सकतीं जब तक कि उद्योग में शान्ति स्थापित न हो ।

इस के बाद मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं । खण्ड ६(१) के अनुसार यदि इस परिवर्तित पंचाट के किसी उपबन्ध के निर्वचन पर कोई सन्देह उत्पन्न हो तो केन्द्रीय सरकार उसे औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम, १९५० के अधीन बनाये गये श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट कर देगी ।

इस सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले सात-आठ वर्षों से श्रमिकों तथा नियोजकों के मध्य झगड़े हो रहे ह—क्या आप फिर चाहते हैं कि यह विवाद सदैव चलते ही रहें । इस से और भी खराबी उत्पन्न होगी । मैं चाहता हूं कि कोई सरल प्रक्रिया रखी जाये । किसी न्यायाधीश या किसी अन्य व्यक्ति को भी नियुक्त किया जा सकता है और दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मामले को निपटा सकते हैं । न्यायाधिकरण के सामने जाना ठीक नहीं होगा क्योंकि इस में वर्षों लग जायेंगे । इस के लिये कोई सीधी सादी प्रक्रिया होनी चाहिये ।

मैं इस सम्बन्ध में एक और बात कहना चाहता हूं कि जो पक्ष महत्वहीन शिकायतें करे और निर्णय उस के विरुद्ध हो जाये तो सारा खर्चा उसे ही सहन करना पड़ेगा । इस से साधारण शिकायतों की समाप्ति हो जायेगी ।

श्री एस० एल० सक्सेना (जिला गोरखपुर—उत्तर) : बैंक तो अपनी आस्तियों में से दे देंगे और श्रमिकों को स्वतः देना पड़ेगा ।

श्री एस० एस० मोरे : आशय यह है कि यदि बैंक हार जाये तो आस्तियों में से खर्चा देगा और यदि श्रमिक हार जायें तो उन्हें अपनी जेबों से खर्चा देना पड़ेगा ।

श्री तुलसी दास : उन के श्री अशोक मेहता जैसे नेता वह खर्चा आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों के कारण अधिक शिकायतें भी होती हैं । यह सुझाव

मैं इस कारण से दे रहा हूं ताकि उद्योग में पर्याप्त समय तक शान्ति रहे और इसे प्रसार का अवसर मिल सके ।

जहां तक निक्षेपों का संबंध है, भारतीय बैंकों में पर्याप्त वृद्धि हुई है । अभी तक विदेशी बैंकों में उतनी वृद्धि नहीं हो सकी है । यदि भारतीय बैंकों ने ठीक ढंग से कार्य न किया होता तो भला इतने निक्षेप कैसे हो जाते ।

श्री सी० के० नायर (बाह्य दिल्ली) : मेरा एक इन्टरप्शन हुआ था उस से कुछ मिस-अन्डरस्टैन्डिंग पैदा हुई है, सबसे पहले मैं उसको दूर करना चाहता हूं ।

वह अन्तर्वाधा केवल यह बताने के लिय थी कि हम केवल लाभ होने की दशा में ही उचित या अधिक मजूरी मांग सकते हैं । मेरा केवल यही आशय था । यदि कोई लाभ होता है तो वह बोनस के रूप में दिया जाना चाहिये ।

मेरी दूसरी बात यह है । अब मैं हिन्दी में बोलूंगा ।

श्री एस० एस० मोरे : अब कुछ ऐसा होने लगा है कि पहले भाषण एक भाषा में शुरू किया जाता है और बीच में से ही दूसरी भाषा का प्रयोग किया जाने लगता है । यह मैं जानता हूं कि सदस्यों को हिन्दी अथवा अंगरेजी किसी में भी भाषण देने का अधिकार है । मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं कि क्या बीच में भाषा बदली जा सकती है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी (ज़िला हमीरपुर): १९६५ से हिन्दी शासकीय भाषा बन जायेगी इसलिये इस बीच सदस्यों को हिन्दी सुनने और समझने का अवसर मिलना चाहिये । इसलिये बीच में से भाषा के बदल दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : संविधान के प्रारम्भ होने से १५ वर्ष की अवधि तक हिन्दी और अंग्रेजी दोनों संघ की शासकीय भाषा में रहेंगी । यदि माननीय सदस्य यह अनुभव करतें हैं कि वह स्वयं को किसी भाषा विशेष में व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो वह दूसरी भाषा का प्राश्रय ले सकते हैं ।

श्री सी० के० नायर : मैं यह कह रहा था कि हमारे सामने तीन एवार्ड आये बैंक एम्पलायीज़ के बारे में । पहला जो एवार्ड आया उसको सेन एवार्ड के नाम से पुकारा जाता है। जो दूसरा एवार्ड आया वह शास्त्री एवार्ड के नाम से मशहूर है और जो तीसरा एवार्ड आया वह गजिंद्र गडकर एवाड के नाम से मशहूर है । जो पहला एवार्ड आया उसको हमारे देश का जो सुप्रीम ट्रिब्यूनल है, सुप्रीम कोर्ट उसने रद्द कर दिया, इसलिये वह मैदान में नहीं है । सिर्फ दो ही एवार्ड हैं । और अगर ध्यान से देखा जाये तो एक ही एवार्ड है क्योंकि जो शास्त्री एवार्ड था उसके पेश हो जान के बाद देश में एक बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ जो कि बैंक एम्प-लायीज़ ने चलाया और उसमें हमारे लेबर मिनिस्टर साहब ने जो सिम्पैथी ज़ाहिर की उसका नतीज़ा यह हुआ कि गवर्नमेंट को यह बात माननी पड़ी कि इसके बारे में दुबारा जांच की जाये । जैसा कि अशोक मेहता ने कहा कि हमारा उसूल बहुत बड़ा है और वही उसूल इस कमीशन का भी रहा है । लेकिन उनको डर यह है कि जो उसूल हैं कहीं ऐसा न हो कि उन उसूलों के मुताबिक आगे काम न हो । मैं तो समझता हूं कि उसके ऊपर शुबहा करने की आवश्यकता नहीं है । जहां तक इस खास एवार्ड की बात है गवर्नमेंट ने उसको स्वीकार कर लिया है, इसलिये मैं जो वर्तमान लेबर मिनिस्टर हैं उन को बधाई देता हूं और साथ ही साथ में उससे ज्यादा बधाई श्री गिरि को देता हूं, जिन्होंने पहले ही यह देख लिया था कि जो गवर्नमेंट का इंडिफिरेंस है किसी कमीशन के फ़ैसले के ऊपर और खासकर ज्यूडिशल

[श्री सी० के० नायर]

फ़ैसले के ऊपर, वह मुनासिब नहीं है। लेकिन आखिर उस उसूल को हमारी गवर्नमेंट ने मान लिया। इसलिये मैं श्री गिरि को, जो नये मंत्री हैं उनको और जो गवर्नमेंट है उस को बधाई देता हूं। साथ ही साथ हमें बैंक एम्पलायीज़ को भी भूलना नहीं चाहिये और मैं उनको भी बधाई देता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि सब से ज्यादा बधाई के हकदार वही हैं क्योंकि यह सब कुछ तभी हुआ जब उन्हों ने अपनी आवाज बुलन्द की, अपने आपको संगठित किया और एजीटेशन किया। इसलिए इस कमीशन का जो एवार्ड है उस को पूरी तरह स्वीकार करते हुए जो बिल पेश किया गया है, उसका मैं पूरे तौर पर स्वागत करता हूं।

इस बिल का स्वागत करते हुए एक दो बातें हैं जिनकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहली चीज जो श्री गिरि ने कही थी वह मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं। सारी दुनिया भर में एक कनवेनशन है और यह मजदूर तबके का एक प्रिविलेज है कि जो उजरत वह पानी शुरू कर दे उसमें कभी भी कोई कमी नहीं की जा सकती। मुझे यह डर है कि इस एवार्ड में चंद चीजें ऐसी हैं जिन के कारण जो उजरत बैंक एम्पलायीज पा रहे हैं कहीं उसमें कमी न कर दी जाये। इसलिए मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि इस चीज को जरूर ध्यान में रखा जाए कि जिस स्टेज पर भी कोई एम्पलायी अपनी तनख्वाह के पहुंच गया है उसको उससे कम तनख्वाह न मिले। मुझे डर है कि इस एवार्ड के अन्दर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका प्रभाव जो बैंक एम्पलायीज इस वक्त पा रहे हैं उस पर पड़ेगा।

[श्रीमती सुषमा सेन पीठासीन हुईं]

मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबोर्डिनेट स्टाफ को सेन एवार्ड के मुताबिक ६० रुपये दिये गये थे, वह तो एवार्ड खत्म हो गया। शास्त्री एवार्ड में उनको ४०-७२ रुपये के ग्रेड में रखा गया। उसमें दो तीन किस्में थी, चपड़ासी, दफ्तरी और हुंडी प्रिजेंटर। मैं ने सुना है कि पंजाब नेशनल बैंक ने दफ्तरी और हुंडी प्रिजेंटर को ७८ रुपये से लेकर १७९ रुपये तक के ग्रेड में रखा है। जो एवार्ड अब है उसके मुताबिक उनको ४०-७२ रुपये तक ही मिलेंगे। इसका एक नतीजा यह हो सकता है कि उन लोगों को जिनको १५० रुपये इस वक्त मिल रहे हैं उनको एक दम ४० रुपये देना शुरू कर दिया जाये। तो मैं चाहता हूं कि एक एम्पलायी जो तनख्वाह इस वक्त पा रहा है उसको उससे कम तनख्वाह किसी भी सूरत में नहीं मिलनी चाहिये और इस बैंक एवार्ड के कारण उस को किसी किस्म का नुकसान नहीं होना चाहिये। यह एक बहुत बड़ा प्वाइंट ह जो कि गिरि साहब ने पेश किया है और मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं मानता हूं कि हमारे जो वर्तमान श्रम मंत्री हैं वह एक बहुत बड़े ट्रेड यूनियनिस्ट हैं और उन्होंने अपनी सारी जिन्दगी लेबरर्ज की भलाई में गुज़ारी हैं और उन को यह उसूल अच्छी तरह से मालूम है कि जो मजदूर जिस तनख्वाह पर पहुंच गया है उस को उस से कम देना क़ानून के खिलाफ़ है। हमें कोई ऐसा क़ानून नहीं बनाना चाहिये जिस से कि जो सरमायादार है वह उस से फ़ायदा उठा कर मजदूरों को नक़सान पहुंचा सके।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह बहुत जरूरी बात है। पिछले एवार्ड में प्राविडेंट फंड के लिये छः पैसा यानी डेढ़ आना फ़ी रुपया रखा गया था, लेकिन अब उस को पांच पैसा यानी सवा आना फ़ी रुपया कर

दिया गया है । मुझे मालूम होता है कि इस से मजदूरों को—एम्पलाईज़ को—सचमुच नुक़सान पहुंचा है । ओल्ड एज में अगर उन का कोई सहारा है, तो सिर्फ़ यही है । इसलिये इस को कम नहीं करना चाहिये । इस को कम करने का मतलब यह होगा कि एम्पलायर्ज का फ़ायदा हो । हम ने सुना है—और देखा भी है—कि आजकल बैंकर्ज़ बहुत पैसा कमा रहे हैं । इसलिये मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट को उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की क्या ज़रूरत पड़ी है । खास कर जबकि हम लोग सोशलिस्टिक पैटर्न आफ़ सोसायटी की तरफ़ जा रहे हैं, तो हम को ज्यादा से ज्यादा इस तरह का प्राविडेंट फंड वग़ैरह का फ़ायदा मजदूरों को पहुंचाना चाहिये । इस हालत में प्राविडेंट फंड को पांच पैसे करना कोई इन्साफ़ की बात नहीं है । मेरी प्रार्थना है कि इस को छः पैसे ही रखना चाहिये ।

मैं ने पहले ही कहा है कि अलग अलग बैंक वालों ने अपने मुनाफ़े के मुताबिक़ अपना स्टैंडर्ड, अपना स्केल और इन्क्रिमेंट वग़ैरह रखा हुआ है । उस में एवार्ड के कारण कोई इन्टरफ़ीयरेन्स नहीं होनी चाहिये । उन को वैसे का वैसा ही क़ायम रहने दिया जाये और जो फ़ायदा पहुंचा है, उस को दूसरी तरह से रहने दिया जाये ।

इस के बाद में मेडिकल एड के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । सब से पहले इनडेफ़ीनेट फ़ायदा रखा हुआ था । दूसरे एवार्ड के मुताबिक़ ९० रुपये महीना खर्च किया जा सकता है एक एम्पलाई के ऊपर । अब लेटेस्ट यह कर दिया गया है कि ९० रुपये तीन महीने तक एक्यू हो सकते हैं । अगर एक आदमी को ८० रुपये महीने में फ़ायदा हो जाता है, तो उस के दस रुपये बच रहेंगे और अगले महीने १०० रुपये हो जायेंगे और अगर उस में से ५० रुपये खर्च किये जाते हैं, तो ५० रुपये बच रहेंगे और तीसरे महीने १४० रुपये हो जायेंगे । अगर वह आदमी ज्यादा बीमारी की हालत में हो, तो वह १४० रुपये खर्च कर सकता है । अगर वह खर्च हो जाय तो अच्छा है, नहीं तो वह लेप्स हो जाता है । मेरी प्रार्थना है कि उसी तीन महीने वाली शर्त को रखना चाहिये, जिस से कि एम्पलाईज़ को ज्यादा फ़ायदा हो । इस बात को गवर्नमेंट को स्वीकार करना चाहिये और इस प्रिविलेज को कम नहीं करना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का अनुमोदन करता हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस विधेयक के सम्बन्ध में मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहता । वास्तव में इन सभी बातों पर बैंक पंचाट आयोग ने अच्छी प्रकार से विचार किया था और इस के सम्बन्ध में अपना निर्णय दिया है ।

मैं विधेयक के प्रस्तावक महोदय का ध्यान विधेयक की कंडिका ३११ की ओर दिलाना चाहता हूं जिस में लिखा है कि "अन्य बैंकों के अतिरिक्त दो और बैंको —मदुराई के पांडियन बैंक और मद्रास के भ्राता लक्ष्मी बैंक—के कर्मचारियों और स्वामियों में भी क़रार हो गये हैं और उन्हों ने अपने अधिक अभिलेख भेज दिये हैं । बंगलौर के व्यास बैंक तथा सेलम के सेलम बैंक की भी यही स्थिति है । दिल्ली के नारंग बैंक ने भी सूचित किया है कि उसके कर्मचारियों और स्वामियों में क़रार हो गया है, परन्तु उस ने इस के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं भेजे हैं ।

नारंग बैंक के बारे में कही गई बात बिल्कुल ग़लत है । नारंग बैंक का अपने कर्मचारियों से समझौता हो चुका है और

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

उस ने सम्बन्धित पत्र श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के पास भेज दिये हैं। न्यायाधिकरण के सभापति ने आदेश दिया था कि सभी कर्मचारियों को नोटिस भेजे जायें। बैंक ने वैसा ही किया, और फिर क़रार बद्ध कमचारियों ने अपना निर्णय श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के पास भेज दिया। वे सभी पत्र अभी भी न्यायाधिकरण के पास विद्यमान हैं। फिर भी कुछ अपीलीय न्यायाधिकरण का कहना है कि उस के समक्ष कोई विशिष्ट मामला नहीं है और इसलिये वह कुछ करने में असमर्थ है।

उस के उपरान्त जब बैंक आयोग नियुक्त किया गया तो उस ने एक प्रश्नावली बैंकों को भेजी थी। नारंग बैंक ने इस अवसर पर भी यह बताया था कि उस का कर्मचारियों से समझौता हो चुका था। भारत लक्ष्मी बैंक और मदुराई के पांडियन बैंक की भी यही स्थिति थी। अतः मेरी समझ में नहीं आता कि फिर भी प्रतिवेदन की कण्डिका ३११ में ऐसा क्यों लिखा गया है कि नारंग बैंक ने अपने क़रार के समर्थन में सम्बन्धित पत्र नहीं भेजे हैं।

मैं पूछना चाहता हूं कि आप और कौन सा प्रमाण मांगते हैं। क़रार के सम्बन्ध में किया गया संकल्प तथा अन्य सभी प्रमाणीकृत पत्र भेज दिये गये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आयोग द्वारा अन्य दो बैंकों तथा इस नारंग बैंक में भेदभाव क्यों किया गया है जबकि उन दोनों बैंकों की एक जैसी स्थिति है। मुझे तो यही प्रतीत होता है कि वे दोनों बैंक दक्षिण के थे, और यह बैंक दिल्ली का था।

इस मामले में सभी अपेक्षित पत्रादि श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के पास थे और उन का संयुक्त आवेदन और सशपथ वक्तव्य भी था।

वास्तव में इस सम्बन्ध में जो कुछ किया जा सकता था वह इस बैंक द्वारा किया गया था, और इतने पर भी उस पर यह आरोप लगाया गया कि उक्त बैंक ने अपने अभिकथन के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं दिये थे।

यदि बैंक पंचाट आयोग ने बैंक वालों को बुलाया होता और वे न गये होते, तब तो मैं समझता उन का वास्तव में अपराध था। परन्तु जब ऐसा नहीं किया गया है और जब स्वयं रिज़र्व बैंक को मालूम था कि उक्त बैंक ने कर्मचारियों से समझौता कर लिया था तो मैं नहीं समझ सका कि उन के साथ इतना अन्याय क्यों किया गया है। यह विस्थापित बैंक गत कई वर्षों से बड़े व्यवस्थित ढंग से चल रहा था, और उस का कर्मचारियों के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ था इसलिये इस के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिये था।

आयोग ने अपनी सिफारिशों के पृष्ठ १५८ में लिखा है कि इन चार बैंकों ने अपने कर्मचारियों के साथ करार कर लिये हैं :

(१) सलेम बैंक,
(२) वैश्य बैंक ,
(३) भारत लक्ष्मी बैंक.
(४) पांडियन बैंक।

और फिर यह लिखा है कि अन्तिम दो बैंकों के क़रारों को मंजूर कर के लागू कर दिया जाये। मेरा यह निवेदन है कि इन दो बैंकों के साथ ही साथ नारंग बैंक के करार को भी मंजूर कर लिया जाये। उस ने मंजूरी के लिये क़रार सम्बन्धी सभी पत्रादि भेजे हुए थे। बैंक और कर्मचारियों में पारस्परिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं, बैंक उन्हें अच्छे वेतन दे रहा है। इसलिये कोई कारण

नहीं कि इस बैंक के क़रार को मंजू ी न दी जाये ।

आप के पास खण्ड ७ है जिस के अनुसार केन्द्रीय सरकार को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वह औद्योगिक न्यायाधिकरण के द्वारा किसी भी सन्देह अथवा विवाद को ठुकरा सकती है । इसलिये इस बैंक के सम्बन्ध में कोई भी कठिनाई नहीं है । इस ग़लती को आप स्वयं भी सुधार सकते हैं । मैं यह खण्ड ६ को संशोधित कर के ऐसा रूप दिया जाये जिस से कि इस के अनुसार किसी भी गलती अथवा त्रुटि को दूर किया जा सके और यदि कोई प्राविधिक त्रुटि रह गई हो तो वह अपीलीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के द्वारा सुधारी जा सके । मैं तो समझता हूं कि जहां तक नारंग बैंक का सम्बन्ध है इस में जो त्रुटि रह गई है, उस का उत्तरदायी आयोग नहीं है अपितु यह तो एक दफ्तरी ग़लती है । इसलिये मैं यह चाहता हूं कि खण्ड ६ का क्षेत्र इतना व्यापक बना दिया जाये जिस से कि इस के अधीन आयोग को गलतियों का सुधार करने का भी अधिकार प्राप्त हो जाये ।

मैं यही कहना चाहता हूं कि जब इस बैंक ने करार की स्वीकृति के लिये प्रार्थना पत्र भेजे हुए हैं तो अन्य दो बैंकों के समान इस बैंक को भी स्वीकृति क्यों न दे दी जाये ।

श्री अशोक मेहता ने यह कहा है कि सरकार को न्यायाधीश द्वारा की हुई केवल सिफ़ारिशों को ही स्वीकार नहीं करना चाहिये, उसे उस न्यायाधीश द्वारा दिये गए तर्कों को भी स्वीकार करना चाहिये ।

परन्तु सरकार तो केवल सिफारिशों को ही स्वीकार करती है, वह तर्कों की कोई चिन्ता नहीं करती है ।

विधेयक

जहां तक औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा १५(क) का सम्बन्ध है, बैंक पंचाट आयोग के न्यायाधीश ने सुझाव दिया है कि सरकार द्वारा यह शक्ति लोक हित के लिये प्राप्त की गई थी । यह बिल्कुल सत्य है । न्यायाधीश ने यह कहा है कि सरकार को न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये किसी भी निर्णय में किसी कार्यपालिका आदेश के द्वारा परिवर्तन नहीं करना चाहिये । इस के लिये न्यायाधीश ने संविधान के अनुच्छेद १३७ का निर्देश दिया है । इस के बारे में मेरा यह निवेदन है कि जब तक धारा १५ है कोई कारण नहीं है कि सरकार के अधिकारों को सीमाबद्ध किया जाये । सरकार हर मामले में न्यायाधीश के निर्णय को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होनी चाहिये ।

जहां तक गुप्त जानकारी का सम्बन्ध है, संसद् अथवा किसी भी न्यायाधीश को इस बात का अधिकार नहीं है कि वह इस जानकारी को देने के लिये किसी को बाध्य कर सके । जो व्यक्ति अपने आप को बचाना चाहता है उस के लिये यही ठीक है कि वह समस्त गुप्त सूचना उचित प्राधिकारी को दे दे जिस जानकारी का न दिया जाना उस के प्रतिकूल प्रभाव रखेगा । भारतीय आय-कर अधिनियम में भी धारा संख्या ५४ के अनुसार गुप्त जानकारी के संरक्षण की व्यवस्था है । भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी ऐसी ही व्यवस्था है । यदि किसी बैंक के सभी भेद जांच के समय बता दिये जायें तो वे भेद न केवल श्रम के प्रतिनिधियों को अपितु विरोधी बैंकों को भी ज्ञात हो जायेंगे जिस से भयानक हानि होने की संभावना हो सकती है । विधि के अनुसार भी किसी भी व्यक्ति को गुप्त भेद बताने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है । इसलिये जहां तक गुप्त जानकारी को अन्य

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

व्यक्तियों से छिपा कर रखने के सिद्धान्त का सम्बन्ध है, इस में कोई बुराई नहीं ।

मैं भूतपूर्व मंत्री श्री गिरि को इस बात की बधाई देता हूं कि वे इस बात पर दृढ़ रहे हैं और उन्हों ने श्रमिकों के हित को सदा ध्यान में रखा है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं इस प्रश्न को एक भिन्न दृष्टिकोण से लूंगा । अन्य सभी सदस्यों ने बैंक विवाद के प्रश्न को एक सामान्य रूप में लिया है, मैं यह दिखाने का प्रयत्न करूंगा कि इन सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने से बैंक के कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ।

मैं इस विवाद के इतिहास पर प्रकाश नहीं डालना चाहता हूं और न ही श्री गिरि के प्रति श्रद्धांजलि भेंट करने में समय नष्ट करना चाहता हूं । मुझ से पहले बोलने वाले वक्ताओं द्वारा ऐसा किया जा चुका है ।

गत कई वर्षों से बैंक के कर्मचारियों और बैंक के स्वामियों में विवाद चला आ रहा है, और सरकार बैंक स्वामियों की पूर्ण रूप से सहायता करती आ रही है । सरकार ने इस बीच कई अधिनियम बनाये । औद्योगिक विवाद (अस्थायी उपबन्ध) संशोधन अधिनियम, सौमनस्य बोर्ड, दिवेतिया न्यायाधिकरण, शास्त्री न्यायाधिकरण आदि कई प्रकार के अधिनियमों और न्यायाधिकरणों द्वारा श्रमिकों को ही दबाने का प्रयत्न किया जाये परन्तु कर्मचारी कभी भी अत्याचार के सम्मुख नहीं झुके । उन्हों ने संगठित हो कर अत्याचारों का सामना और अपने वेतन के लिये संघर्ष करते आये हैं । परन्तु सरकार ने उन की कभी भी सहायता नहीं की है । सदैव मालिकों की ही सहायता की है ।

यह सत्य है कि इस विवाद को निपटाने के लिये कुछ एक आयोग और न्यायाधिकरण नियुक्त किये गये थे. परन्तु सरकार ने कभी भी सच्चे मन से सहायता नहीं की है । आयोगों ने कर्मचारियों के पक्ष में जो सिफ़ारिशें दी भी हैं, उन्हें सरकार द्वारा कार्यान्वित नहीं किया गया है । उन्हें कार्यान्वित करने में सरकार को किस बात का डर है--यह समझ में नहीं आता । मैं चाहता हूं कि सरकार में इतना साहस होना चाहिये कि वह यह घोषित कर सके कि क्योंकि हम एक समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना करना चाहते हैं, इसलिये हम आयोग की उन्हीं सिफारिशों को लागू करेंगे जिन से कर्मचारियों के वेतन बढ़ सकें और उन सिफ़ारिशों को लागू नहीं करेंगे जिन से उन के वेतन घट जायें ।

यह बात सत्य है कि यह प्रतिवेदन एक अत्यन्त सुयोग्य आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया है, परन्तु उस में कई त्रुटिया रह गई हैं ।

बैंक स्वामियों ने अपने अपने बैंकों के गुप्त अभिलेख न्यायाधिकरण को इसी आधार पर दिखाये थे कि न्यायाधिकरण के सभापति ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वह गुप्त भेद कर्मचारियों को नहीं बताये जायेंगे । उस ने अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ ३६ पर इसे स्पष्टतया लिखा है । यह गुप्त जानकारी वास्तव में अनुचित लाभों के सम्बन्ध में है । मैं इस के समर्थन में कई प्रमाण दे सकता हूं ।

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने विलीनीकरण से पूर्व रिजर्व बैंक अथवा सरकार की अनुमति के बिना ७८ लाख रुपये की राशि अपनी पांडिचेरी शाखा को भेज दी थी, जिस के बारे में रिज़र्व बैंक को बाद में पता लगा ।

मैं दूसरा उदाहरण पंजाब नैशनल बैंक का देता हूं । १९५१ में दस ग्यारह करोड़ रुपये की राशि डालमिया-जैन गुट को अग्रिम धन के रूप में दी गई थी, परन्तु १९५४ में वह राशि केवल ६.५ करोड़

रह गई थी । बैंक ने इस पर चार प्रतिशत ब्याज ली थी जोकि सामान्य दर से बहुत कम है । रिज़र्व बैंक ने अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में इस की ओर स्पष्ट निर्देश किया है । अतः यह बात बिल्कुल सत्य है ।

इसी प्रकार श्री बी० टी० ठाकुर को २५०० रुपये प्रति मास के हिसाब से निवृत्ति-वेतन दिया जाता है जबकि निवृत्ति-वेतन के बारे में कोई भी उपबन्ध नहीं है । इस का वास्तविक कारण यह है कि प्रबन्ध निदेशक बैंकों की सभी गुप्त बातें जानते हैं, और इस डर से कहीं वे भेद खोल न दें निवृत्ति वेतन दे कर उन का मुंह बन्द कर दिया जाता है । परन्तु मंत्री महोदय का यह कथन है कि कर्मचारियों को इन गुप्त बातों या आंकड़ों का बताना संभव नहीं है ।

मैं और अधिक उदाहरण नहीं देना चाहता । इन से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक बैंक में धन का इस प्रकार से ग़बन किया जाता है और उसे बैंक स्वामियों के व्यक्तिगत काम में लाया जाता है साथ ही। ब्याज की दर भी बहुत कम ली जाती है

मेरे पास युनाइटेड कमरशल बैंक के ९ अप्रैल, १९४६ के एक पत्र की फोटो प्रति है । जिसमें लिखा है कि हम आय-कर प्राधिकारियों को ब्याज की अदायगी के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिये तैयार नहीं है ।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : आप इसे पटल पर रखने की कृपा करेंगे ।

सभापति महोदय : यदि माननीय मंत्री ऐसा चाहते हैं तो प्रति को पटल पर रख दिया जाये ।

श्री वी० पी० नायर : मैं ने इस का उल्लेख इसलिये किया क्योंकि माननीय मंत्री का यह कहना है कि इन भेदों का बताना लोक हित में नहीं होगा ।

सभापति महोदय : यदि मंत्री महोदय चाहते हैं तो प्रति उन के पास भेज दी जाये ।

श्री वी० पी० नायर : मेरे पास यहीं है । आप चाहें तो ले सकते हैं । विवाद के प्रारम्भ होने से ले कर इस के निर्णय होने तक पंजाब नेशनल बैंक ने ४० लाख रुपया व्यय कर दिया है । मेरे विचार में यदि उस के कर्मचारियों की मांगें बिना विवाद के स्वीकृत कर ली जातीं तब यह व्यय अधिक से अधिक बीस लाख रुपये हो सकता था ।

अब मैं चतुर्थ श्रेणी के स्थानों की ओर आता हूं । मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आज से पहले किस आयोग ने ऐसी श्रेणियों के बनाये जाने की सिफारिश की हैं । ३०,००० से कम जन संख्या वाले स्थान चतुर्थ श्रेणी में आते हैं । मैं अल्वाय नगर का एक उदाहरण देता हूं जहां की जन संख्या १८,००० है किन्तु जहां बैंकिंग व्यवसाय अन्य कई शाखाओं से अपेक्षा कहीं अधिक है । वहां का निर्वाह-व्यय-देशनांक ३३४ हैं । फिर भी आप का कहना है कि आपने उसे इन चार आधारों पर नहीं लिया गया है कि मितव्ययता ऐसा करने की आज्ञा नहीं देती है । वहां के सभी कर्मचारी स्थानीय हैं । मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके विचार में यह बात आई है कि ऐसे चतुर्थ श्रेणी के स्थानों पर सेवायुक्त अधिकांश व्यक्ति स्थानीय नहीं होते हैं । अखिल भारतीय कर्मचारी संघ के इस ज्ञापन में, जो कदाचित माननीय मंत्री को भी दिया गया है, यह कहा गया है कि ऐसे स्थानों में बैंकों के असफल रहने के कारण कुछ और ही हैं । उस में बैंक परिसमापन जांच समिति का एक उद्धरण दिया गया है । इस में बैंकों के परिसमापित होने के कारणों का निर्देश किया गया है । कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि बैंक मंजूरी दर के

[श्री वी० पी० नायर]

कारण असफल हुए थे । इस के विपरीत ऐसे स्थानों पर बैंकों को लाभ ही होता है, और, ऐसी विधि बनने पर उन्हें अधिक लाभ होता जायेगा । अतएव चतुर्थ श्रेणी के स्थान बनाने का कोई औचित्य नहीं है । जब आप यह घोषणा कर देंगे कि किसी कम जनसंख्या वाले स्थानों में कर्मचारियों के वेतन दूसरे स्थानों की अपेक्षा कम होंगे तो क, ख, ग किस्म के बैंक कार्मिक-संघों के अधिक सक्रिय सदस्यों को तंग करने के लिये उन्हें ऐसे स्थानों पर स्थानान्तरित कर देंगे । आप इस कदाचार को कैसे रोकेंगे ?

अतः मेरा निवेदन है कि जब सरकार ऐसा कोई विधेयक बनाती है तो यदि वह अधिक नहीं दे सकती है तो उसे जो कुछ कर्मचारियों को पहले से मिल रहा होता है उसे भी कम नहीं करना चाहिये । बैंक कर्मचारियों को जो कुछ मिल रहा है उसे देना कोई बड़ी समस्या नहीं है । उन की भावी वतन वृद्धियों से उसे समायोजित किया जा सकता है । उन से कुछ वापस लेना उचित नहीं है ।

जब सरकार ऐसा कोई विधेयक प्रस्तुत करे तो उसे श्रमिकों के दृष्टिकोण के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिये और यह देखना चाहिये कि उन्हें किसी प्रकार से हानि न पहुंचे ।

त्रावनकोर-कोचीन के निकाल दिये जाने के विषय में सरकार को अपने निर्णय पर अवश्य पुनर्विचार करना चाहिये । श्री खंडूभाई देसाई जी को वहां के कर्मचारियों की भावनाओं का भी विचार करना चाहिये । इस विषय में वह स्वयं वहां जा सकते हैं किन्तु उन्हें कोई आयोग नियुक्त कर के अधिक विलम्ब नहीं करना चाहिये । उन्हें इसी अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये ऐसा उपाय और साधन खोज निकालना चाहियें जिस से कि वहां के कर्मचारियों के वेतन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और उन के वेतनों में कोई कटौती न हो ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार (जालंधर) : बैंक के जिस झगड़े के सम्बन्ध में यह बिल हमारे सामने पेश है वह झगड़ा काफी लम्बा हुआ । कहा गया है कि इस में भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है । मेरी राय में अगर इस झगड़े की हिस्टरी को देखा जाय तो गवर्नमेंट ने लगातार, जो भी कानून उस के सामने थे, उन के अनुसार काम किया और उस के अन्दर कहीं पर भी कोई दस्तंदाजी नहीं की । प्रारम्भ में एक ट्रिब्यूनल बैठा और जो फैसला उस ने दिया उस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया उस को गवर्नमेंट ने माना । उस के बाद इस मामले को एक दूसरे ट्रिब्यूनल के सामने पेश किया गया और उस के बाद उस की अपील एपीलेट ट्रिब्यूनल में हुई । इस में भी गवर्नमेंट ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया बावजूद इस बात के कि बैंक एम्पलाईज बार बार यह मांग करते थे कि गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना चाहिये लेकिन गवर्नमेंट ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया । यह बात ठीक है कि एपीलेट ट्रिब्यूनल का जो फैसला हुआ उस के अन्दर उस ने हस्तक्षेप किया । मैं खुद इस बात को अनुभव करता हूं कि गवर्नमेंट के लिये उस समय हस्तक्षेप करने का कोई मजबूत कारण नहीं था । लेकिन अगर यह पोजीशन ली जाय कि कभी भी किसी भी बात में गवर्नमेंट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये यह बात मैं नहीं मानता । जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है और जो दूसरे एक्ट्स हैं उन में प्रोवाइडिड है कि गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर सकती है । मैं जानता हूं कि जो आई० एन० टी० यू० सी० यह

स्टैंड कभी नहीं लिया कि जो झगड़ों के फैसले ट्रिब्यूनल में होते हैं उन में गवर्नमेंट को कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । हम लोग इस बात पर जोर देते रहे हैं और अब भी जोर देते हैं कि जो भी ऐसे फैसले होते हैं गवर्नमेंट को यह देखना चाहिये कि उन से न्याय हुआ है या नहीं । कई बार देखा गया है कि जो ट्रिब्यूनल के या एपीलेट ट्रिब्यूनल्ज के मेम्बर होते हैं वह एक संकुचित कानूनी दृष्टि से विचार करते हैं और उस दृष्टि से विचार करते वक्त वह इस बात को भूल जाते हैं कि यह एक वाइडर सवाल है, एक विस्तृत सवाल है । उन की एक विशाल दृष्टि न होने के कारण, संकुचित दृष्टि से जो फैसले वह करते हैं और उसी दृष्टिकोण से जो वह सोचते हैं और उस की वजह से कभी अन्याय भी हो जाता है या गड़बड़ी पैदा हो जाती है, उस सूरत में गवर्नमेंट को दस्तंदाजी करनी चाहिये । मैं जब ऐसा कहता हूं तो मैं जजिज पर कोई इल्जाम नहीं लगाता हूं । मैं खुद बैंकों के मुलाजिमों की कई मीटिंग्ज में गया हूं और मैं ने देखा कि वहां पर भी यह मांग की गई कि शास्त्री एवार्ड के अन्दर और दूसरे फैसलों के अन्दर गवर्नमेंट को तबदीली करनी चाहिये । खुद बैंक एम्पलाईज ने यह कहा कि शास्त्री एवार्ड में तबदीली होनी चाहिये बावजूद इस के कि वह एक आखरी एवार्ड था । इसलिये यह पोजीशन लेना कि कोई भी एवार्ड हो उस में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये, इस को मैं नहीं मानता हूं । मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की पोजीशन साउंड है । हां मैं यह चाहता हूं कि उसी सूरत में तबदीली होनी चाहिय जबकि बहुत जबर्दस्त कारण मौजूद हों और बहुत जबर्दस्त ग्राउंड्स हों इस में तबदीली करने के और उसी वक्त कोई तब्दीली होनी चाहिये जबकि वह तबदीली करना निहायत जरूरी हो । मुझे याद है कि पहले एक दफा गवर्नमेंट ने चाय के वर्कर्ज के बारे में जो एवार्ड दिया गया था उस के अन्दर तबदीली की थी और सही तबदीली की थी क्योंकि चाय के वर्करों के साथ कुछ अन्याय होता था और इस तरह एवार्ड में तबदीली कर के चाय के वर्कर्ज की मदद की जा सकी ।

हमारी राय थी कि बैंक एवार्ड में गवर्नमेंट जो कुछ तबदीली कर रही है, वह जस्टिफ़ाइड नहीं है, वह उचित नहीं है —इसलिये नहीं कि गवर्नमेंट को एवार्ड में कोई तब्दीली करनी ही नहीं चाहिये, बल्कि इसलिये कि गवर्नमेंट के सामने सही वाकयात नहीं हैं । अगर सही वाकयात को सामने रख कर देखा जाय, तो यह तब्दीली करना नामुनासिब है—यह तब्दीली नहीं करनी चाहिये । मुझे इस बात की खुशी है कि गवर्नमेंट ने कमीशन बिठाया । मैं गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूं कि उस ने लोकमत को सुना और कहा कि अगर यह ख्याल है कि यह तब्दीली फ़ैक्ट्स को मद्दे-नजर रखते हुए जस्टिफ़ाइड नहीं है, तो हम सारे मामले पर ग़ौर करने के लिये एक कमीशन बिठाते हैं । मैं अपने मंत्री महोदय, श्री खंडूभाई देसाई, को मुबारकबाद देता हूं कि उन्हों ने इस आफिस को संभालते ही पहला काम यह किया कि एक कमीशन बिठाया ताकि वह फ़ैक्ट्स को देखें और सोचे कि जो तब्दीली गवर्नमेंट ने की है, उस की कोई सही वजूहात थीं या नहीं, वह तब्दीली जस्टिफ़ाइड है या नहीं । मैं मुबारकबाद देता हूं बैंक एम्पलाईज़ को, कमीशन को और गवर्नमेंट को कि जो फैसला किया गया है, उस से जो हमारी पहली कन्टेन्शन थी कि तब्दीली जस्टिफ़ाइड नहीं है, वह साबित हो गई । गवर्नमेंट का यह काम बहुत काबिले-तारीफ़ है कि उस ने

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

इस फ़ैसले को स्वीकार किया । वह किसी किस्म की ज़िद पर नहीं अड़ी रही कि हम ने यह तब्दीली की है, हम इस फैसले को क्यों मानें ।

हमारे सामने जो स्टेटमेंट आफ़ आब्जेक्ट्स एंड रीज़न्ज़ है, उस में साफ कहा गया है कि गवर्नमेंट ने पहले जो फैसला किया था, वह नामुकम्मल फैक्ट्स की बिना पर किया गया था । अब गवर्नमेंट ने फैक्ट्स की तहकीकात की है और अपने फैसले को माडीफ़ाइ किया है । इसलिये जो बिल इस वक्त यहां पर पेश किया गया है, मैं उस का स्वागत करता हूं । लेकिन जैसा कि मैं ने कहा है, जो कुछ फैसला एपेलेट ट्रिब्यूनल करें या ट्रिब्यूनल करें या कमीशन करें, मैं नहीं मानता कि वह आखिरी फैसला है और उस में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिये । अगर हम यह स्टैंड लें कि जो फैसला हुआ है, हम उस को वैसे का वैसा ही मान लें और उस में कोई तब्दीली न करे, तो उस बात को मैं नहीं मानता हूं । जो फैसला हुआ है, उस में काफ़ी गुंजायश है इम्प्रूवमेंट की और संशोधन की । वह इम्प्रूवमेंट या संशोधन आप कैसे करे, इस सवाल को मैं नहीं छेड़ता हूं । जो बिल पेश किया गया है, मैं उस को स्वीकार करता हूं और उस का समर्थन करता हूं, लेकिन मैं यह ज़रूर कहना चाहता हूं कि हम को यह सिद्धान्त हमेशा अपने सामने रखना चाहिये और उसी के मुताबिक काम करना चाहिये कि जहां पर भी लोगों के साथ अन्याय हो, उस को रोकना चाहिये, जहां भी हम किसी किस्म की एनामिलीज़ या कमियां पायें, उन को दूर करने के उपाय ढूंढना हमारा फ़र्ज़ है । मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस कमीशन के सामने कुछ मर्यादायें थीं । उस ने समझा कि एपेलेट कोर्ट का जो एवार्ड है, वह एक हद है और उस हद से—उस परिधि से—वह बाहर नहीं जा सकता । वह एक सीलिंग है और उस से ज्यादा हम कुछ नहीं दे सकते—अगर हम देना चाहें, तो भी । मैं समझता हूं कि यह एक फैक्ट-फ़ाइंडिंग ट्रिब्यूनल था । उस ने महज़ इस बात पर ग़ौर किया कि मौजूदा हालात में इस बात में कोई जस्टिफ़िकेशन है या नहीं कि ये चीज़ें एम्पलाईज़ को दीं जायें या नहीं । इस परिधि में, इस सीमा के अन्दर रह कर, उस ने विचार किया और ज्यादा बाहर वह जा भी नहीं सकता था । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि बैंक एम्पलाईज़ को एपेलेट ट्रिब्यूनल के एवार्ड के बारें में भी शिकायतें थीं, उस में कुछ कमियां थीं, कुछ एनामलीज़ थीं । अब जबकि हम पांच साल के लिये पाबन्दी लगा रहे हैं, जोकि एक बहुत लम्बी अवधि है, तो कम से कम अब हम को उन कमियों और एनामेलीज़ पर विचार करना चाहिये ।

जिस वक्त ट्रिब्यूनल का काम चल रहा था, उस वक्त कुछ इन्क्रिमेंट्स रोके गये थे । वे दौरान अदालत में रोके गये थे । उन के बारें में कोई फैसला नहीं हुआ और जिन के इन्क्रिमेंट्स रोके गये थे, वे रेस्टोर नहीं हुए । कमीशन के फैसले के मुताबिक जिन के इन्क्रिमेंट्स रद्द हो गये थे, वे वैसे के वैसे पड़े रहे । इसी प्रकार यह अन्याय होगा कि जिन को जो कुछ आजकल मिल रहा है, उस में हम कटौती करे या कुछ वापिस ले लें । हमारी सारी रीज़न—दलील—यह रही है कि क्या बैंकों की स्थिति में करने की है या नहीं । बैंक अब तक जो कुछ अपने मुलाज़मों को दे रहे हैं वह सब देने पर भी उन की आर्थिक स्थिति को कोई खतरा नहीं पहुंचा वे मज़े में चल रहे हैं और समृद्ध हो रहे हैं । —वे बदस्तूर चल रहे हैं हट नहीं गये । हमारी कन्ट्रोल्ड इकानोमी है

और जिस तरह से हम तरक्की कर रहे हैं, उस को देखते हुए हमें यकीन है कि बैंक प्रास्पर करेंगे । क्या वजह है कि अगर बैंक प्रास्पर करें, खूब कमायें, तो उस प्रास्पेरिटी का शेयर वर्कर्ज़ को न मिले ।

मैं चाहता हूं कि उस सिद्धान्त के ऊपर, जोकि मैं ने आप के सामने रखा है, गवर्नमेंट को इस बात का अधिकार है कि जहां पर भी वह एनामेलीज़ देखें, जहां पर भी वह अन्याय होता देखें, वहां वह अपने डिसिज़न में तब्दीली करें । मैं चाहूंगा कि इस तरह की एनामेलीज़, अन्याय और उन शिकायतों के सम्बन्ध में जोकि बैंक एम्पलाईज़ रख रहे हैं, गवर्नमेंट विचार करे और कोई तरीका निकाले, जिस से उन लोगों की शिकायतें दूर हो सकें । मैं यह आशा करता हूं कि इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जायगा ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री एस० एस० मोरे : अपना भाषण प्रारम्भ करने से पहले मैं श्री वी० वी० गिरि की बैंक कर्मचारियों के प्रति की गई सेवाओं की प्रशंसा करूंगा । संस्कृत में शब्द गिरि का अर्थ है पर्वत जिस से अनेकों नदियां निकलती हैं ।

श्री सी० डी० पांडे : यदि श्री वी० वी० गिरि पर्वत हैं तो श्री खंडूभाई उस में से निकलने वाली नदी हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : मेरा विचार है श्री गिरि ऐसे व्यक्ति हैं जिन के कारण उन का पद गौरवान्वित हुआ । श्री गिरि के पश्चात् अब मैं बैंक कर्मचारियों की ओर आता हूं । हम ने एक संविधान बनाया है जिस का उद्देश्य अस्ति और नास्तियों के बीच की खाई को पूरना है । हम ने विशेष रूप से यह घोषणा भी की है कि हम देश की समाजवादी ढांचा बनाना चाहते हैं । परन्तु आज क्या हो रहा है । जो चिलाते हैं, आंदोलन करते हैं उन्हें हम कुछ न कुछ दे देते हैं । मैं श्री खंडूभाई देसाई और उनके सहयोगियों से अनुरोध करूंगा कि वे इस वेतन और पारिश्रमिक के विषय को खंडशः रूप में न लें । हम चाहते हैं कि इस देश के प्रत्येक निवासी के पास एक उत्तम जीवन स्तर बिताने के लिये आवश्यक साधन हों । परन्तु परिस्थिति क्या है ? असंगठित श्रमिकों, भूमिहीन श्रमिकों और कई दूसरे श्रमिक जो आन्दोलन नहीं कर सकते हैं और जिन की सरकार तक कोई पहुंच नहीं है उन की कोई सुनवाई नहीं हो सकती है । क्योंकि बैंक कर्मचारी संगठित थे, उन के हाथ में देश की अर्थ व्यवस्था का केन्द्र था, वे हड़ताल की धमकी दे सकते थे इसलिये सरकार उन के विषय में शीघ्र कार्यवाही करने के लिये तैयार हो गई । हम इस प्रकार के भेदभाव को हटाना चाहते हैं । हम आर्थिक असन्तोष के सभी कारणों को समाप्त करना चाहते हैं । मैं श्री तुलसीदास के इस कथन से, कि औद्योगिक क्षत्र में शान्ति होनी चाहिये, सहमत हूं । किन्तु केवल औद्योगिक क्षेत्र में ही नहीं हम समाज के सभी आर्थिक क्षेत्रों में शान्ति चाहते हैं । उस के लिये शासन को सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजूरी अथवा निर्वाह वेतन की योजना लागू करनी चाहिये । केवल इतना ही नहीं उसे यह भी बताना चाहिये कि एक व्यक्ति अधिकतम कितना वेतन प्राप्त कर सकता है श्री तुलसीदास का कहना है कि चोटी के व्यक्तियों पर अधिक उत्तरदायित्व होता है अतः तदनुसार उन्हें वेतन भी अधिक मिलना चाहिये । मैं पूछना चाहता हूं ये चोटी के व्यक्ति कौन सा उत्तरदायित्व वहन करते हैं ? वास्तव में तो सारा उत्तरदायित्व निम्न कर्मचारी-

[श्री एस० एस० मोरे]

वृन्द पर पड़ता है। यदि कहीं रुपये की कमी पड़ती है तो कैशियर को ही उस की पूर्ति करनी पड़ती है। ऊपर के अधिकारी तो उसे उलटी सीधी सुना सकते हैं और उसे सब की सुननी पड़ती है। मेरा यह निवेदन है कि इस देश में प्रत्येक को उस की आवश्यकतानुसार पारिश्रमिक मिलना चाहिये। हमें यह नहीं कहना चाहिये कि इस पद के लिये इतना वेतन और इतना महंगाई भत्ता है हमें उस पद को धारण करने वाले व्यक्ति की आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिये। इस अभागे देश में जो व्यक्ति इंगलैण्ड हो आते हैं उन्हें अविवाहित होने पर भी पांच पांच सौ, छः छः सौ अथवा एक हजार रुपये तक का प्रारम्भिक वेतन मिलता है क्योंकि उन की शिक्षा-अर्हतायें दूसरों से अधिक होती हैं। यह सारा रुपया या तो बैंकों में जाता है अथवा उन की विलासिताओं पर व्यय होता है। इधर श्रेणी चार के कर्मचारियों को अपनी भारी सामाजिक आवश्यकताओं के होने पर भी अनुपाततः अधिक वेतन नहीं मिलता है। सरकार को भिन्न भिन्न वेतनों वाली चार श्रेणियां बनानी चाहियें। निम्नतम श्रेणी का वेतन १०० रुपये अथवा उस के लगभग होना चाहिये। उस से ऊंची श्रेणी का ३०० रुपये, उस से ऊपर वाली तीसरी श्रेणी का ६०० रुपये और उच्चतम का १००० रुपये, इस के अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति की पत्नी हो तो उसे पत्नी भत्ता दिया जाये। यदि उस का एक बच्चा हो तो तो उसे बच्चे का भत्ता दिया जाये। यदि उस के चार बच्चे हों उसे कुछ और अधिक भत्ता दिया जाये।

इस देश में प्रत्येक व्यवसायी, प्रत्येक बुद्धिजीवी व्यक्ति, यही कहता है कि पूंजी का पारिश्रमिक मिलना चाहिये, बुद्धि का पारिश्रमिक मिलना चाहिये। किन्तु यह कोई नहीं सोचता कि ऐसे भाग्यहीन गृहस्थ की, जिस की आवाज़ दिल्ली तक नहीं आती है, भौतिक आवश्यकतायें कैसे पूरी हों? मैं न्यायाधीश गजेन्द्रगडकर जी के श्रम की सराहना करता हूं, किन्तु उन्हों ने भी अपनी शक्तियों को अत्यन्त सीमाबद्ध कर लिया है।

जहां तक इस सिफारिश का सम्बन्ध है इस से कई प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होने की सम्भावना है। मैं दो उदाहरण देता हूं। सेन पंचाट के पश्चात् कई कर्मचारियों को अधिक वेतन मिलने लगा था। उन्हें अब वह वेतन लौटाना पड़ेगा। जो व्यक्ति ३७७ रुपये ले रहा है उसे सरकार के आदेशानुसार अब २१ रुपये मासिक लौटाना पड़ेगा। इस प्रकार तीन वर्ष तक कटौतियों के पश्चात् मार्च १९५८ में उस का वेतन ३३८ रुपये रह जायेगा। एक निर्धन व्यक्ति के लिये इस प्रकार की कटौती बहुत ही असुविधाजनक सिद्ध होगी। अतः इस प्रकार रुपया वसूल करने की अपेक्षा इस राशि का उसे मिलने वाली वेतन वृद्धियों में समायोजन कर देना कहीं अच्छा होगा। इस में थोड़ी देर अवश्य लग जायेगी। और नियोजकों पर कुछ भार भी बढ़ जायेगा। किन्तु हमें नियोजकों की सुविधाओं की अपेक्षा इन श्रमिकों की घरेलू आवश्यकता तथा देश के आर्थिक हितों का अधिक ध्यान रखना चाहिये।

श्री सी० आर० अय्युण्णि (त्रिचूर) : मैं स्वर्गीय न्यायाधीश श्री राजाध्यक्ष का बड़ा आभारी हूं। आप को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि ५०० बैंकों में से १६० बैंक त्रावनकोर-कोचीन में हैं। मद्रास में १४० से कुछ ही अधिक हैं। ब्रह्मा में ५१ और उत्तर प्रदेश में २५ बैंक हैं। इन स्थानों के और त्रावनकोर-कोचीन के बैंकों में कुछ अन्तर है। त्रावनकोर-कोचीन में इन में से अधिकांश बैंकों की परिदत्त पूंजी बहुत थोड़ी

है । ४०-५० बैंक ऐसे हैं जिन की परिदत्त पूंजी २२,००० रुपये से कम ही होगी । ग्राम्य बैंकिंग जांच समिति का कहना है कि बड़े बैंकों को देश के सभी भागों में अपनी शाखायें स्थापित करनी चाहियें ताकि ग्राम-प्रत्यय बन सके । क्या इम्पीरियल बैंक अथवा उसी की तरह के किसी भी बैंक ने साधारण व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ऐसा किया है ? यह कार्य थोड़ी सी पूंजी वाले छोटे छोटे बैंक ही कर रहे हैं । यद्यपि उन की व्याज दर अधिक होती है । ४० से अधिक बैंक ऐसे हैं जिन्होंने किसी लाभांश की घोषणा नहीं की है । इस विषय में उन की जांच करने के लिये एक आयोग के नियुक्त किये जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

समस्त भारत के बैंकों में जो कुछ नियम लागू होंगे, वे उन पर लागू नहीं किये जा सकते । यदि कोई बैंक पर्याप्त लाभांश देता है तो उस के कर्मचारियों को भी अच्छा वेतन मिलना चाहिये । परन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि चाहे बैंकों को लाभ हो या न हो, उन के कर्मचारियों को अच्छा वेतन अवश्य मिलना चाहिये । आयोग के एक न्यायाधीश का मत है कि उस में बहुत सी विचित्रतायें हैं । बहुत अन्तर है और कोई प्रणाली आदि नहीं है, इसलिये हमें पहले समस्त जानकारी एकत्रित कर के तब इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या ये वेतनक्रम छोटे राज्यों में भी लागू किये जा सकते हैं या नहीं ।

एक विचित्रता यह है कि बड़े बैंकों में चालू निक्षेप अधिक हैं और स्थायी निक्षेप कम हैं, किन्तु यहां इस से बिल्कुल विपरीत स्थिति है । इसलिये आप को अधिक सूद देना होगा । अतः यदि प्रदत्त पूंजी इतनी अधिक है या लाभ इतना अधिक है तो इस के बाद कोई भी बैंक नहीं चलाया जाना चाहिये ।

सभापति महोदय : श्री भागवत झा आज़ाद पांच मिनट के लिये बोलेंगे ।

श्री भागवत झा आज़ाद (पूर्निया व सन्थाल परगना) : मैं इतने थोड़े समय के लिये बोलना नहीं चाहता ।

सभापति महोदय : श्री सी० डी० पांडे ।

श्री सी० डी० पांडे : इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये मैं श्री देसाई और श्री गिरि का, जिन की प्रेरणा से यह विधेयक अब प्रस्तुत हुआ है, बधाई देता हूं ।

पंचाट में कुछ ऐसी असंगतियां हैं, जिन को ठीक करना श्रम मंत्री के लिये संभव होगा । डी (घ) क्षेत्र बनाने का विचार सर्वथा अनावश्यक और अनुचित है । इस का आधार निर्वाह व्यय होना चाहिये । पहाड़ों पर मैदानों की अपेक्षा निर्वाह व्यय अधिक होता है, किन्तु इस विधेयक के अनुसार वेतन निश्चित न हो कर कम किये जायेंगे । मेरे पास नैनीताल बैंक कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मण्डल आया और उन्हों ने कहा कि उन्हें न केवल इस पंचाट के लाभों से वंचित किया जा रहा है अपितु जो लाभ अब तक उन को प्राप्त थे, वे भी छीने जा रहे हैं । मैं इस बात पर जोर देता हूं कि किसी भी स्थान के, विशेष कर पर्वतीय स्थानों के बैंक-कर्मचारियों पर इस पंचाट से कोई हानि या क्षति नहीं होनी चाहिये ।

वहां के बैंकों का वेतन देने का पर्याप्त सामर्थ्य है, किन्तु यह सामर्थ्य का प्रश्न नहीं है । नैनीताल वालों को हल्दवानी वालों की अपेक्षा कम वेतन मिले, यह उचित एवं न्यायसंगत नहीं है । इसलिये इस असमानता को हटाया जाना चाहिये ।

[श्री सी० डी० पांडे]

असंगति या असमानता कठिनाई या सन्देह के कारण होती है और जब न्यायाधिकरण को सौंपने से सन्देह का हल किया जा सकता है तो निश्चय ही मंत्री महोदय इस असमानता को भी दूर कर सकते हैं ।

बंकिंग संगठन (व्यवस्था) में विवाद उठने के कारण उन्हें पंचाट प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । इसी प्रकार बीमा समवायों, या वाणिज्यिक और औद्योगिक समवायों में काम करने वाले लोगों को भी बैंक कर्मचारियों के समान वेतन मिलना चाहिये । यह कहां का न्याय है कि बैंक कर्मचारियों को अपने पड़ोसी बीमा या वाणिज्यिक कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक वेतन मिले । उन की जांच भी आयगी, और उन का वेतन भी समान किया जाना चाहिये ।

मुझे आशा है कि यदि ये दो असमानतायें हटा दी गईं तो हम अपने देशमें इस श्रेणी के काम करने वाले लोगों को पूर्ण संतोष देने में सफल हो सकेंगे ।

डा० जयसूर्य (मेदक) : औद्योगक विवाद अधिनियम के अधीन पंचाट यदि हमारी सरकार के विरुद्ध जाय, तो सरकार उसे स्वीकार करने से इनकार कर सकती है, किन्तु कितनी विचित्र बात है कि वह दोनों दूसरे पक्षों को इसे स्वीकार करने के लिये विवश करती है । इस से यह शिक्षा मिली है कि सरकार गम्भीर न्यायिक निर्णयों के साथ झगड़ा नहीं कर सकती ।

कितने आश्चर्य की बात है कि सरकार और भारत का रिज़र्व बैंक के पास गलत सूचना और तथ्य हैं । फिर हम अन्य विभागों से तो और बड़ी अशुद्धियों की अपेक्षा रख सकते हैं । लोकलेखा और प्राक्कलन समितियों ने कई बार इन त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है इस से सरकार को यह शिक्षा लेनी चाहिये कि जिन मामलों में उन का हस्तक्षेप करने का कोई सरोकार नहीं है, उन में वह हस्तक्षेप न करें ।

गलती इस में है कि यह सेन पंचाट नहीं अपितु शास्त्री पंचाट है जो कुछ छोटे परिवर्तनों के साथ अब लागू हुआ है । लोग सेन पंचाट द्वारा निर्धारित वेतनों से सन्तुष्ट हो गये थे । शास्त्री न्यायाधिकरण में पंजाब नैशनल बैंक के भूतपूर्व महाप्रबन्धक की नियुक्ति पर लोगों को आपत्ति थी । शास्त्री पंचाट सेन पंचाट से कहीं बुरा था । और आज उसी पंचाट को लागू करने का प्रयत्न किया जा रहा है, इस से यह समस्या हल नहीं होगी ।

केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों में भी असमानतायें पाई जाती हैं हैदराबाद राज्य में निर्वाह व्यय देशनांक अधिक होते हुए उसे (ख) श्रेणी में कैसे लाया जा सकता है ? इसलिये इन कृत्रिम भेदभावों को ठीक करना होगा । निर्वाह व्यय के आधार पर इन असमानताओं को दूर करना हमारा कर्तव्य है । यदि ये असमानतायें अकृत्रिम आधार बना कर दूर नहीं की जायेंगी तो फिर झगड़े और मुकद्दमेबाजियां आरम्भ हो जायेंगी और इन विधियों का कोई प्रभाव नहीं रहेगा ।

तीसरी बात यह है वेतनों को पांच वर्ष तक के लिये बांध कर नहीं रखा जा सकता । वैधानिक दृष्टि से यह केवल एक वर्ष के लिये पाबन्दी है । हमें वर्तमान विधि के अनुसार चलना चाहिये और फिर यदि देशनांक में परिवर्तन होगा तो तदानसार विचार किया जा सकता है । यदि सरकार निर्वाह व्यय को नहीं घटा सकती, तो उसे इन के वेतन क्रमों को कम करने का भी कोई अधिकार नहीं है । इसलिये हमें यथार्थ दृष्टिकोण से विचार कर के इस युक्तियुक्त मामले को सुलझाना चाहिये ।

श्री खंडूभाई देसाई : वाद-विवाद को सावधानीपूर्वक सुनते हुए मैं ने यह पाया

कि बैंक पंचाट आयोग को, उस के कार्यों के लिये सभी सदस्यों ने बधाई दी है। उन्हों ने यह भी ठीक ही कहा है कि श्री गजेन्द्र गडकर ने, अध्यवसाय, सच्चाई तथा अधिक कार्य कर के, इस दीर्घकालीन विवाद के प्रश्न पर विचार किया तथा उन्होंने हमारे समक्ष सिफारिशें प्रस्तुत की हैं जोकि इस दीर्घकालीन विवाद के लिये अन्तिम शब्द हैं।

जहां तक न्यायनिर्णय के लिये तथ्यों तथा सूचना आदि का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि इस अन्तिम आयोग के समक्ष, सेन पंचाट, शास्त्री पंचाट, अपीलीय न्यायाधिकरण का पंचाट तथा इस पंचाट पर सरकारी संशोधन थे। इस के अतिरिक्त इस आयोग के समक्ष, दोनों दलों द्वारा इस के सम्मुख प्रस्तुत तथ्यों तथा तर्कों की जांच तथा प्रतिपरीक्षण, भी थे जोकि वैधानिक रूप से न दिये जा कर, धैर्यतापूर्वक दिये गये थे। इस सब के आधार पर, इस न्यायाधीश ने निश्चित निर्णय दिया कि अधिकांश कर्मचारियों को वही पारिश्रमिक तथा उपलब्धियां दी जानी चाहियें जोकि अपीलीय न्यायाधिकरण के पंचाट में दी गई हैं। सब को सुनने के पश्चात् वह इस निर्णय पर आये तथा सिफारिश की कि सरकारी संशोधन के द्वारा ग्राम बैंक व्यापार के हित में बनाया गया चतुर्थ क्षेत्र भी स्वीकार कर लिया जाये। उन्हों ने 'ग' क्षेत्र के बैंकों के प्रश्न पर भी विचार किया तथा सुझाव दिया कि आठ बैंकों पर अपीलीय न्यायाधिकरण पंचाट लागू होना चाहिये जबकि शेष नौ समवायों पर सरकारी संशोधन लागू होना चाहिये।

जहां तक सरकार का सम्बन्ध है उन्होंने आयोग की सभी सिफारिशों को बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिया है जोकि इस विषय पर अन्तिम शब्द हैं तथा जिन के लिये इतनी बधाई दी गई है। सभा के समक्ष, अधिनियमन के लिये प्रस्तुत सभी सिफारिशों को हम ने स्वीकार कर लिया है।

एक प्रश्न किया गया है कि सरकार को अपीलीय न्यायाधिकरण पंचाट का संशोधन नहीं करना चाहिये था। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने इन का संशोधन अगस्त १९५४ में कुछ तथ्यों के आधार पर किया था जोकि जून १९५४ तक की अवधि तक रिज़र्व बैंक ने एकत्रित किये थे। आयोग ने यह कहा था कि सरकार ने भविष्यवाणी पर ध्यान नहीं दिया था इसलिये उस में गलती हो सकती थी परन्तु सरकार ने ठीक ही किया। जैसे ही सरकार को इस की सूचना मिली कि इस की ओर जांच होनी चाहिये, सरकार ने तुरन्त इस सुझाव को स्वीकार का लिया तथा आयोग की नियुक्ति की। सौभाग्यवश बैंकिंग उद्योग का झुकाव इस ओर रहा। आयोग को पिछले एक वर्ष की बैंकों की कार्यप्रणाली प्रस्तुत की गई जिस के द्वारा यह ज्ञात हुआ निक्षेपों की राशि १००० करोड़ रुपये बढ़ गई है। साथ ही साथ आयोग का विचार है कि ये और बढ़नी चाहियें तथा उन्हों ने सिफारिश की है कि बैंकों की स्थिति अच्छी है तथा इसीलिये अपीलीय न्यायाधिकरण पंचाट की सिफारिशों को लागू कर देना चाहिये। अपीलीय न्यायाधिकरण पंचाट के संशोधन के औचित्य के लिये इस समय पर्याप्त है। इस के अतिरिक्त आयोग ने भी इस के औचित्य का समर्थन किया है क्योंकि यह ग्राम्य क्षेत्रों में, जहां मजूरी का न्यून क्रम है, बैंकिंग कारबार के विस्तार के हित में है।

[श्री खंडूभाई देसाई]

कुछ दिन पूर्व (गत सत्र में) सभा म राज्य बैंक विधेयक पारित किया गया था जोकि ग्राम्य क्षेत्रों के लिये हितकर है कि वह इस से ऋण ले सकें तथा साथ ही साथ कुछ बचत भी कर सकें । हम देश में ग्राम्य बैंकिंग को बढ़ाना चाहते हैं तथा वित मंत्री वायदा कर चुके हैं कि वह देश में राज्य बैंक की चार सौ शाखायें खोलने जा रहे हैं । सभा मुझ से सहमत होगी कि संशोधन के मुख्य उद्देश्य का आयोग ने समर्थन ही किया है । संशोधन के सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं ।

अब, एक प्रश्न श्री अशोक मेहता ने प्रस्तुत किया है कि क्या सरकार ने आयोग द्वारा प्रस्तुत सभी तर्कों को स्वीकार किया है । इस में कोई सन्देह नहीं कि जिन तर्कों के आधार पर आयोग ने यह निर्णय किये हैं वे बड़े ही गम्भीर हैं तथा जब भी कभी इस प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हों, चाहे वह न्यायाधिकरण के समक्ष हो अथवा सरकार के अथवा योजना आयोग के, उन्हें उचित महत्व दिया जायेगा । इस प्रश्न के सम्बन्ध म, मैं इतना ही कह सकता हूं ।

तर्क उपस्थित किया गया था कि गजेंद्र गाडकर आयोग की सिफारिशों के परिणाम-स्वरूप बैंक कर्मचारियों का जीवन स्तर गिर जायेगा । कुछ अन्य कठिनाइयां, जो इस से उत्पन्न होंगी, उन का संकेत से वर्णन किया गया । मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि वस्तुतः वे कठिनाइयां नहीं हैं । आयोग ने इस प्रश्न पर ब्यौरेवार विचार किया है तथा इस की सिफारिशों को लागू करने से कोई कठिनाइयां उत्पन्न होने की आशंका नहीं है । परन्तु यह संभव है कि कुछ विशेष क्षेत्रों के बैंकों के कर्मचारियों के मामले में, वेतन क्रम के अनुसार मिलने वाली वार्षिक वृद्धि पर विचार न कर के, कुछ समय के लिये स्तर नीचा हो सकता है । परन्तु सर्वदा एक उपबन्ध रहता है तथा यह उपबन्ध. शास्त्री न्यायाधिकरण ने स्वीकार किया, अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस का समर्थन किया, सरकारी संशोधन में इस को समर्थन प्राप्त हुआ तथा अब आयोग ने भी इस का समर्थन किया है । मैं सभा का ध्यान प्रतिवेदन के पृष्ठ १७७ की ओर आकर्षित करता हूं :

"कर्मचारियों को वर्तमान सेवा की शर्तों के विकल्प के अधिकार का अधिकारी होना चाहिये जिस का समर्थन श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के इस प्रकार की अवधि के विकल्प के निर्णय में वर्णित है तथा इस का पुनर्निर्धारण मेरी सिफारिशों के पश्चात् होना चाहिये तथा मेरे प्रतिवेदन पर अन्तिम सरकारी निर्णय को घोषणा की तिथि से तीन माह तक बढ़ानी चाहिये । जहां किसी बैंक के कर्मचारियों ने, इस धारणा पर कि सरकारी संशोधन का निर्णय लागू रहेगा, विकल्प निर्धारण कर लिया है ; इस प्रकार के विकल्पों में परिवर्तन करने की स्वीकृति मिलनी चाहिये तथा मेरे प्रतिवेदन पर अथवा प्रत्येक बैंक द्वारा दी गई शर्तों पर सरकार के अन्तिम निर्णय (जिस का तथा शीघ्र ही अधिनियमन करने जा रहे है) पर विकल्प के लिये, कर्मचारियों को एक और अवसर दिया जायेगा ।"

जहां तक वर्तमान उपलब्धियों की सुरक्षा का प्रश्न है, बैंक कर्मचारियों को श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय द्वारा समर्थित सेवा की शर्तों के लिये विकल्प का अधिकार होगा परन्तु जहां तक आयोग की सिफारिशों का सम्बन्ध है जोकि अधिकतर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के पंचाट पर आधारित है, उन से और लाभ होगा । कर्मचारी एक मामले में, विकल्प नहीं कर सकते तथा यह नहीं कह सकते कि दूसरे

मामलों में अपीलीय न्यायाधिकरण पंचाट लागू किया जाना चाहिये ।

विकल्प अन्तिम होगा, उस का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है । उस को दोनों में से किसी एक का विकल्प करना है ।

जहां तक वर्तमान जीवन स्तर का प्रश्न है, सभी न्यायालयों को इस का ध्यान रखना चाहिये तथा आयोग ने इस पर विचार किया है कि जहां तक अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा समर्थित सेवा की वर्तमान शर्तों का सम्बन्ध है वे विकल्प कर सकते हैं । यदि कर्मचारियों ने सरकारी संशोधन के लिये गत अगस्त में विकल्प किया है तो आयोग द्वारा संशोधित ऊंचे दरों के लिये विकल्प के लिये उन को तीन माह की अवधि दी गई है, यदि इस को विधि का रूप दे देते हैं तो विकल्प के लिये तीन माह दिये जायेंगे । उन को ही यह निर्णय करना है कि वर्तमान वेतनक्रम उन को लाभदायक है अथवा पुराने वेतनक्रम जो उन को मिल रहे हैं, लाभदायक है । इस संशोधन के सम्बन्ध में, मुझे केवल इतना ही कहना है ।

अब एक प्रश्न क्षेत्रों के तीन श्रेणियों में बांटने के सम्बन्ध में है । सरकारी संशोधन से एक चौथा क्षेत्र और बन गया है । ये क्षेत्र अधिकतर न्यायालयों के निर्णायनुसार तथा जीवन मूल्य को शीघ्र जांचने के लिये बने हैं । तीन क्षेत्रों को पूर्णतः समर्थन प्राप्त है : वेतन आयोग ने भी मेरे विचार से इन तीनों क्षेत्रों पर विचार किया था, वे १९५१ की जनगणना पर आधारित हैं । एक क्षेत्र अथवा दूसरे क्षेत्र, एक नगर अथवा दूसरे नगर के जीवन निर्वाह मूल्यों के देशनांक प्राप्त करने से और विवाद होंगे तथा और कठिनाइयां होंगी । एक स्तर बना दिया गया है तथा उस स्तर को स्वीकार करना बुद्धिमानी होगी ।

डा० जयसूर्य : क्या जीवन मूल्य के देशनांक समय समय पर परिवर्तित नहीं होते हैं ?

श्री खंडूभाई देसाई : वे परिवर्तित होते हैं । परन्तु जहां तक क्षेत्रों का सम्बन्ध है ; ये प्रत्येक नगर की जनसंख्या के आधार पर हैं तथा एक मोटे तौर पर बना लिया गया है । जहां तक इन क्षेत्रों के परिवर्तनों का सम्बन्ध है यह समय समय पर सरकार को निश्चित करना है कि कुछ क्षेत्रों को उच्च श्रेणी दी जाये तथा कुछ क्षेत्रों को निम्न । यह एक सामान्य प्रश्न है ।

त्रावनकोर-कोचीन क्षेत्र के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है । यह सभी ने स्वीकार किया है कि त्रावनकोर-कोचीन क्षेत्र में विशेषतः एक कठिन स्थिति है । इसलिये गजेन्द्रगडकर आयोग ने सिफारिश की है कि त्रावनकोर-कोचीन क्षेत्र की बैंकिंग कार्यवाहियों की जांच के लिये सरकार को एक आयोग नियुक्त करना चाहिये । गजेन्द्रगडकर आयोग ने निश्चित रूप से बताया है कि त्रावनकोर-कोचीन क्षेत्र में बहुत बैंक हैं । ये छोटे छोटे बैंक हैं तथा ये भूमि तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति पर धन ऋण देते हैं । बैंक बहुत छोटे हैं तथा इसलिये नियुक्त किये जाने वाले आयोग का यह कार्य होगा कि त्रावनकोर कोचीन क्षेत्र में बैंकिंग पद्धति को ठीक करने के लिये इन बैंकों का एकीकरण किस प्रकार किया जाये ।

मैं सभा में यह घोषणा करना चाहता हूं कि सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है तथा शीघ्र ही त्रावनकोर कोचीन की बैंकिंग पद्धति के प्रश्न पर वहां की उपलब्धियों के प्रश्न पर, कि जांच के पश्चात, इन व्यक्तियों को, इन श्रेणियों में रखा जा सकता है, विचार करने के लिये एक आयोग नियुक्त करेगी ।

[श्री खंडूभाई देसाई]

कुछ माननीय सदस्यों ने एक प्रश्न उठाया है। श्री गिरि ने भी कहा है कि इस पंचाट को एक वर्ष के लिये लागू करना चाहिये। हम ने विधेयक में इस को १९५९ तक लागू करने की व्यवस्था की है। अप्रैल १९५४ से लगभग डेढ़ वर्ष व्यतीत हो चुका है। हमारा विचार है कि इस विधि को लागू करने से, बैंक मालिकों तथा कर्मचारियों को ७ अथवा ८ वर्षों की कलह तथा कटुता को दूर करने में कुछ समय लगेगा। इसलिये हम ने अधिनियम को ५ वर्ष अर्थात् ३॥ वर्ष और लागू करने की व्यवस्था की है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : यह 'सेन पंचाट' के अन्तर्गत है अथवा मूल योजना के अन्तर्गत ?

श्री खंडूभाई देसाई : सेन पंचाट १९५० में था। ये उन को गत ४ अथवा ५ वर्षों से मिल रहा है। कर्मचारियों को यह विकल्प अपनाना है कि वे अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित वेतन क्रम लेना चाहते हैं। उन को इस का पूर्ण अधिकार है। प्रारम्भिक काल में कुछ कमी हो सकती है परन्तु अन्ततः उन्हें लाभ ही होगा।

जैसा कि मैं ने प्रारम्भिक अभिभाषण में बताया, गजेन्द्रगाडकर आयोग बैंक कर्मचारियों को ५४ लाख अथवा इस से अधिक राशि देने की सिफारिश करता है। इसलिये वह व्यक्ति जिन को कुछ और कोई मिल रही है, उस के लिये विकल्प करेंगे परन्तु सिफारिशों से संचालित व्यक्तियों को विकल्प अपनाने का पूर्ण अधिकार है तथा यह विकल्प करने का अधिकार भी अगले तीन माह तक है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

श्री मोरे ने समस्त देश के लिये तीन वेतन क्रमों का सुझाव दिया है। इस सम्बन्ध में केवल इतना कह सकता हूं कि इस प्रकार के अच्छे सझाव पर जनता उचित समय पर विचार करती है। तथा इस समय यह सुझाव आवश्यक नहीं हैं।

डा० जयसूर्य ने श्री शास्त्री के सम्बन्ध में कुछ कहा। मेरी सूचना के अनुसार श्री शास्त्री किसी बैंक के प्रबन्धक आदि नहीं रहे।

श्री जयसूर्य : मैं ने शास्त्री न्यायकरण के एक अन्य सदस्य के बारे में कहा है जो पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी थे। श्री शास्त्री पर दोषारोपण नहीं किया।

श्री खंडूभाई देसाई : मेरा विचार है मैं ने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। मैं उन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने न्यायाधीश गजेन्द्रगाडकर की सराहना की है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : नारंग बैंक के सम्बन्ध में क्या हुआ है।

श्री खंडूभाई देसाई : नारंग बैंक के सम्बन्ध में आयोग ने बताया है कि वह इस सम्बन्ध में न तो कर्मचारियों का तथा न ही बैंक द्वारा ही समझौते का अनुमोदन किया गया है। उन का यही निष्कर्ष है तथा प्रतीत होता है कि पंडित ठाकुर दास भार्गव यह कहना चाहते हैं कि यह एक ग़लती है। परन्तु आयोग उस को करा नहीं पाया। इसी लिये उन्हों ने इस बैंक को इस से अलग कर दिया तथा यदि कर्मचारियों तथा स्वामियों में कोई समझौता हो गया तो यह उन पर लागू नहीं होगा। यह लागू भी क्यों होना चाहिये ?

कल ही मुझे टेलीफोन पर कलकत्ते से सूचना मिली है 'यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया' ने कर्मचारियों से एक समझौता कर लिया है यह इस विशेष विधेयक के निर्णयों के अनुसार, उन के लिये बड़ा संतोषजनक है। यदि यह समझौता कर्मचारियों के लिये भी सन्तोषजनक होगा तथा अपने आप ही लागू हो जायेगा। इस अधिनियम

में हम ने यही व्यवस्था की है कि इस अधिनियम के अधीन की गई व्यवस्था से यदि यह शर्तें यदि कुछ कम संतोषजनक होंगी तो यह लागू नहीं की जायेंगी । परन्तु यदि आप अधिक देना चाहतें हैं तो आप को ऐसा करने का पूर्ण अधिकार है ।

श्री तुलसीदास : मैं ने खण्ड ६(१) की व्याख्या को सरल बनाने के लिये सुझाव दिया था ।

श्री खंडूभाई देसाई : मेरे विचार से यह मामला अपीलीय न्यायाधिकरण से सम्बन्धित है कि सरकार इस की अपीलीय न्यायाधिकरण को सौंपेगी अथवा एक न्यायाधीश को । मेरे विचार से कोई कठिनाई नहीं होगी ।

इस के उपरान्त उपाध्यक्ष महोदय ने विधेयक के परिचालन सम्बन्धी संशोधन को मतदान के लिये प्रस्तुत किया जो अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बैंक पंचाट आयोग की सिफारिशों के अनुसार और उस पंचाट को तदनुसार क्रियान्वित करने के लिये श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के २८ अप्रैल, १९५४ के विनिश्चय में सुधार की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ३—अपीलीय निर्णय आदि

श्री वी० पी० नायर, श्री गुरुपादस्वामी, श्री श्रीकान्तन नायर तथा पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अपने संशोधन प्रस्तुत किये ।

श्री वी० पी० नायर : मुझे खेद है कि जब मैं ने यहां अजुचित्र (फोटोस्टेट) दिखा कर निश्चित आरोप लगाये थे तो माननीय मंत्री अनुपस्थित थे । उन्होंने मेरी बातों की सर्वथा उपेक्षा कर दी है ।

श्रीमान्, यह बात तो ठीक है कि कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं की जायेगी । परन्तु आशंका है कि उन में से १२,००० कर्मचारियों को वेतन-वृद्धि नहीं होगी । आखिर, वे पांच वर्षों तक क्यों वहीं के वहीं रहें ? श्रम अपीलीय अधिकरण ने बुद्धिमत्तापूर्ण सरकार के आवेदनपत्र को रद्द कर दिया है । संशोधित पंचाट में इस श्रेणी को अभी बनाया गया है तथा श्रेणी ४ के बनाने के लिये सरकार द्वारा दिये गये कारणों का जानना बहुत रुचिकर है । ये कारण ऐसे क्षेत्रों द्वारा स्थानीय व्यक्तियों की भर्ती; कर्मचारियों की आय के अन्य स्रोत, कुछेक क्षेत्रों में निर्वाह-परिव्यय का बहुत अधिक न होना तथा इन क्षेत्रों में कुछेक बैंकों का टूट जाना है । मैं जानना चाहता हूं कि इन में स्थानीय कर्मचारियों की संख्या क्या है ? हम सब जानतें ही हैं कि पहाड़ी स्थानों में शीत जाड़े में कहीं कम व्यक्ति होते हैं .....

श्री खंडूभाई देसाई : पहाड़ी स्थानों में दो प्रकार का भत्ता दिया जाता है ; एक तो पहाड़ी स्थान भत्ता तथा दूसरा ईंधन भत्ता, जिस का पुष्टिकरण अपीलीय न्यायालय तथा गजेन्द्रगादकर आयोग ने किया है ।

श्री वी० पी० नायर : यदि ऐसा है कि किसी बैंक की पहाड़ी स्थान की शाखा तथा नगरीय शाखा में काम करने वाले कर्मचारियों में कोई विभेद नहीं किया जायेगा तो मुझे कुछ नहीं कहना है । परन्तु यदि स्थिति यह नहीं तो मेरा कहना है कि बैंक को पता चलने पर प्रत्येक ऐसे कर्मचारी को निकाला जा सकता है जो और भी काम कर रहा हो । दूसरी बात यह है कि स्वयं मंत्रिमण्डल के कई सदस्य निवृत्ति वेतन भी

[श्री वी० पी० नायर]

पाते हैं और उन्हें मंत्री का वेतन भी मिलता है ।

त्रावणकोर-कोचीन के बारे में माननीय मंत्री ने कहा है कि वहां स्थिति कुछ विचित्र प्रकार की है । आयोग का तर्क यह है कि वहां पर कुछ भू-सुधार की योजनायें चल रही हैं ।

श्री खंडूभाई देसाई : वहां स्थिति कैसी भी विचित्र क्यों न हो, हम इस प्रश्न की किसी व्यक्ति द्वारा, जो स्थिति को हम से कहीं अच्छा जानता है, जांच कराने वाले हैं ।

श्री वी० पी० नायर : बात यह नहीं है । जब आप ७०,००० या ९०,००० व्यक्तियों को कुछ सहायता देने लगे हैं तो उस राज्य को एक और आयोग की नियुक्ति की प्रतीक्षा क्यों करनी पड़े ? माननीय मंत्री निश्चित अवधि भी देने को तैयार नहीं हैं । यह एक बड़ा प्रश्न है जिस से कई सौ व्यक्ति प्रभावित हैं । सरकार ने कई धारणाओं के आधार पर कार्यवाही की है जो वास्तव में विद्यमान नहीं हैं । माननीय मंत्री हमें एक न्यायोचित तिथि बतलायें । मुझे आशा है कि वह अपने उत्तर में इस बात का उल्लेख करेंगे ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : मैं सभा के समक्ष एक दो बातें विचारार्थ रखना चाहता हूं । यहां एक सिद्धान्त का सवाल है कि क्या कर्मचारियों को वेतन सम्बन्धी सहायता देने के प्रयोजन से पंचाट में संशोधन किया जा सकता है ? मैं श्री अशोक मेहता से सहमत हूं कि एक न्यायिक पंचाट में न्यायिक पंचाट द्वारा ही संशोधन होना चाहिये तथा कार्यपालिका की किसी कार्यवाही से नहीं । निस्सन्देह कोई व्यक्ति १२,००० कर्मचारियों की उपलब्धियों में कटौती नहीं करना चाहता । हम औद्योगिक शान्ति के पक्ष में हैं । यदि इस विधेयक को पारित किया गया तो कर्मचारियों में बहुत अशान्ति फैल जायेगी क्योंकि इस का प्रभाव १२,००० कर्मचारियों पर पड़ेगा । मेरे संशोधन में इन कर्मचारियों के वेतन-क्रम को यथापूर्व रखने की चेष्टा की गई है तथा समन्वय को कुछ वर्षों पर फलाने का सुझाव रखा गया है । यह एक महत्वपूर्ण संशोधन है जिससे कोई हानि नहीं हो सकती ।

श्री सी० आर० अय्युण्णि : भारत एक बहुत बड़ा देश है । देश के विभिन्न भागों में स्थित बैंकों के सम्बन्ध में एक ही प्रकार की विधि का लागू करना ठीक नहीं होगा । बीमा समवायों के मामले में एक ही विधि नहीं अपनाई गई है । वही कारण बैंकिंग समवायों के बारे में भी लागू होते हैं ।

त्रावणकोर-कोचीन में १६० बैंक हैं जबकि बैंकों की कुल संख्या ५०० है । वहां थोड़े वेतन पर कर्मचारी मिल जाते हैं और पंचाट के बारे में भी वहां से कोई शिकायत नहीं आई । वहां कोई हड़ताल नहीं हुई हैं । इन सब बैंकों के निक्षेप २६ करोड़ रुपये हैं । इस की तुलना में बम्बई के केवल एक ही बैंक में इतना सरमाया होगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : श्रीमान् मैं अधिक न कहते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि सम्बन्धित पक्षों में २० जनवरी, १९५४ को समझौता हुआ था जिसे ३१ मार्च, १९५४ को अभिलिखित करने की सूचना उन पक्षों को दी गई थी । बाद में उन्हें प्रश्नावली भी भेजी गई । २७ अगस्त को इन महानुभावों ने उप-सचिव को एक पत्र भेजा । भारतीय लक्ष्मण बैंक तथा पांडियन बैंक के बारे में शब्द ये थे कि "इन करारों को अनुमोदित तथा लागू भी किया जाये ।" इन उत्तरों समेत सभी पत्र उस फाइल में हैं । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री मुझे बताय कि क्या नारंग बैंक का मामला भी इन्हीं बैंकों सा है । खण्ड ६

आप के मार्ग में बाधक है । परन्तु एक और निकाय भी है जिसे मामला निर्दिष्ट किया जा सकता है । नारंग बैंक के बारे में स्पष्टतः गलती हुई है । यदि माननीय मंत्री का कहना यह है कि यह 'कठिनाई' के अन्तर्गत आयेगा तो मैं सन्तुष्ट हो जाऊंगा । अन्यथा मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये, क्योंकि स्पष्टतः एक गलती हुई है तथा इस कारण आदेश संख्या ४७, नियम (१) के उपबन्धों के अन्तर्गत जो न्यायाधिकरणों पर भी लागू होते हैं, इस बैंक के मामले को लिया जाये तथा इस पर पुनर्विचार हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभी पुनर्विचारों की विधिक व्याख्या है । जहां कहीं गलती हुई है अभिलेख के आधार पर कोई अतिरिक्त साक्ष्य नहीं लिया जाता । केवल पत्रों को देखने से इस पर पुनर्विचार हो सकता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं केवल यह चाहता हूं कि यदि गलती हुई है तो इसे ठीक किया जाये ।

श्री एस० एल० सक्सेना : मैं बहुत प्रसन्न हूं कि यह लम्बा झगड़ा अब समाप्त होने को है । मेरी प्रार्थना है कि वह इस पर जो एक धब्बा है, उसे भी दूर कर दें । १२००० व्यक्तियों के वेतन कम करने से इस अधिनियम को मंत्री के विरुद्ध उद्धरित किया जायेगा । यह कोई कठिन मामला नहीं है तथा इस में कोई अधिक व्यय नहीं होगा । अतएव उन्हें संशोधन संख्या २ और ४ में से किसी संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये । अभी तक जो अधिक भुगतान हुआ है, उसे बट्टे खाते में डाल दिया जाये । इस से आप को कर्मचारियों की सद्भावना प्राप्त हो जायेगी । प्रायः विद्यमान मजूरी में कटौती स्वीकार्य नहीं हुआ करती ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : श्रीमान्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । क्या सवाल १९५१ से पहले के अ० वा वर्तमान वेतन-क्रम में से किसी को स्वीकार करने का है अथवा कि सेन पंचाट या नये वेतन क्रम में से किसी को स्वीकार करने का ?

मैं ने अपने संशोधन संख्या ४ में खण्ड आई (बी) व खण्ड आई (सी) को लिया है क्योंकि आई (बी) में त्रावणकोर-कोचीन को छट देने को व्यवस्था है । उन मजूरिपों म कोई कटौती नहीं होनी चाहिये । मैं ने इसे रोकने की व्यवस्था अपने संशोधन में की है । इन व्यक्तियों को जो मजूरी मार्च, १९५४ में मिलती थी उस में कमी नहीं होनी चाहिये ।

इस पंचाट ो १९५९ तक ले जाने का अर्थ यह होगा कि इस की अवधि डेढ़ वर्ष न रह कर दस वर्ष हो जायेगी । मेरो माननीय मंत्री से प्रार्थना है कि वह अवधि में केवल दो वर्ष का विस्तार करें ।

श्री खंडूभाई देसाई : मुझे खेद है कि मैं इन में से कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता । मैं कह चुका हूं कि आयोग ने सारे प्रश्न की सविस्तार जांच कर ली है और उस ने हमें अपनी निश्चित सिफारिश प्रस्तुत कर दी हैं । इसी समय, इन संशोधनों में से एक या दो को स्वीकार करने से असमानतायें और जटिलतायें उत्पन्न हो-जायेंगी । मेरा ख्याल है कि आयोग ने कर्मचारियों के अधिकारों को जहां तक वह कर सकता था, सुरक्षित कर दिया है ।

जहां तक विकल्प का सम्बन्ध है, मैं ने विधेयक के विचार क्रम पर भाषण देते समय जिस विकल्प का उल्लेख किया था उस का सम्बन्ध प्रतिवेदन के पृष्ठ १७७ पर पैरा ३ से था । कर्मचारियों को वह विकल्प दें और विकल्प शास्त्री पंचाट द्वारा, अपीलीय न्यायाधिकरण और सरकारी रूप-भेद द्वारा दिया गया है । हम केवल यह परिवर्तन कर रहे हैं कि निर्णय के होते हुए

[श्री खंडूभाई देसाई]

अब से आगामी तीन मासों तक विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है। हम ने केवल यही परिवर्तन किया है।

श्री वी० पी० नायर : प्रश्न यह था कि क्या विकल्प १९५० के पहिले की वेतन दरों में और वर्तमान पंचाट में निर्धारित वेतन में है ?

श्री खंडूभाई देसाई : जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, सारा प्रश्न स्पष्ट है। इन विधियों में हम गजेन्द्रगाडकर आयोग की सिफ़ारिशें, वे जो भी हैं, कार्यान्वित कर रहे हैं। मेरा कोई सूचना देना न तो आयोग के प्रति और न सभा के प्रति उचित होगा। यदि कोई कठिनाई है तो वह न्यायाधिकरण को भेजी जायेगी। मैं केवल यही कह सकता हूं। मुझे खेद है कि मैं कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरे संशोधनों का क्या हुआ ?

श्री खंडूभाई देसाई : उन के संशोधनों के बारे में मेरा यह विचार है कि उन्होंने जिस कठिनाई का उल्लेख किया है, वह अब भी प्रस्तुत है। यदि वह सरकार को कठिनाइयां बता सकें, तो हम उन्हें न्यायाधिकरण को भेज देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खंड ३ के सभी संशोधन (संख्या २, ४, १० और ११) मतदान के लिये सभा के समक्ष रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ४—(पंचाट अवधि)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री कामत अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री कामत : जी हां। मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

पृष्ठ २, पंक्ति १७ में, १९५९ के स्थान पर "१९५७" रखा जाये।

यदि सरकार को भूतकाल के अनुभवों पर चलना है, तो मेरा सुझाव है कि श्री गिरि द्वारा व्यक्त किया गया विचार, जो इस संशोधन के भी अभिप्राय के अनुकूल है, सरकार द्वारा किया जा सकता है। यदि सरकार इसे अस्वीकार करती है तो मुझे आशंका है इतिहास की पुनःवृत्ति होगी। इस के अतिरिक्त, इस प्रश्न के इस अंग पर अवश्य विचार किया जाना चाहिये कि बैंक पंचाट आयोग के प्रतिवेदन के पृष्ठ १५३ पर पैरा २९३ में कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम पंच वर्षीय योजना का देश में बैंक व्यापार पर समान रूप से पूर्णतया विचार नहीं किया है, इस से सरकार का दृष्टिकोण निर्बल जान पड़ता है। मुझे विश्वास है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में बैंक व्यापार प्रगति करेगा। यह और भी अधिक इस का कारण है कि यह संचय १९५९ तक क्यों न जारी रहे। १९५७ में या यदि सम्भव हो तो उस से पहले होने वाले निष्कासन का विचार अवश्य होना चाहिये। मेरा विचार था कि १९५६ बहुत पहिले रहेगा। और इसी कारण मैं ने सुझाव दिया था कि निष्कासन मार्च १९५७ में होना चाहिये। द्वितीय पंच वर्षीय योजना आगामी अप्रैल में आयेगी और हो सकता है कि १९५९ तक हम समाज की नई व्यवस्था की ओर कुछ अधिक आगे बढ़ जायें। १९५९ तक इस पंचाट का विद्यमान रहना अनुचित होगा।

अन्य बात यह है कि जनसंख्या एक महत्वपूर्ण बात है। डी० श्रेणी के बैंक के बारे में, मैं केवल यह कहूंगा कि यह अनुचित

वर्गीकरण है । क्योंकि १९५१ की जनगणना के अनुसार जिस स्थान की जनसंख्या ३०,००० थी, आज वह कहीं अधिक होगी । उन्हें इस श्रेणी से हटा देना चाहिये और इन क्षेत्रों में इन शाखाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ अधिक उचित व्यवहार होना चाहिये । यदि सरकार वास्तव में बैंक कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार करना चाहती है, तो वे मेरे संशोधन को स्वीकार कर सकती है जिस में यह सुझाव है कि यह १९५७ तक कार्यान्वित रहे न कि १९५९ तक ।

श्री खंडूभाई देसाई : मुझे खेद है कि मैं संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता और स का कारण मैं पहले बता चुका हूं । डेढ़ वर्ष व्यतीत हो चुका है । यह साढ़े तीन वर्ष लागू रहेगा । यदि इस बीच में बैंकों और उन के कर्मचारियों में समझौता हो जाता है, जो मजदूरों के अधिक पक्ष में हो, तो वह विवर्जित नहीं होता । इस विधि में कहा गया है कि यदि यह अधिक हित में न हो, तो सरकार को यह विचार करना चाहिये कि क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू होगा या नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड ४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ६—(कठिनाइयां हटाने का अधिकार)

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

पृष्ठ २ पर—

(१) पंक्ति २२ में "if any difficulty or doubt arises" (यदि कोई कठिनाई या सन्देह उत्पन्न होता है) शब्दों के स्थान पर "if in the opinion of the Central Government any difficulty or doubt has arisen" (यदि केन्द्रीय सरकार के विचारानुसार कोई कठिनाई या सन्देह उत्पन्न हो गया है) शब्द रखे जायें ।

(२) पंक्ति २४ और २५ में :—

"the Central Government" (केन्द्रीय सरकार) के स्थान पर "it" (यह) रखा जाये ।

कारण यह है कि आरम्भ में खंड को इस आधार पर बनाने की इच्छा थी, परन्तु मूल खंड इस रूप में बनाया गया जैसा कि मुद्रित विधेयक में प्रकट है । संशोधन का दूसरा भाग आनुषंगिक ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

पृष्ठ २, पंक्ति २६ में :—

"arisen to" (के सम्बन्ध में उठे) के बाद "a single member of" (के एक सदस्य) शब्द जोड़े जायें ।"

अभिप्राय: यह है कि इन सन्देहों या कठिनाइयों को श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के पास न भेजा जाये, बल्कि अपीलीय न्यायाधिकरण के एक सदस्य के पास भेजा जाये । इस से फैसले जल्दी होंगे, और मुझे आशा है कि यह स्वीकार किया जायेगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं संशोधन संख्या १२ का प्रस्ताव करता हूं । माननीय मंत्री ने यह कहने की कृपा की है कि मैं ने उन्हें जो मामला बताया है वह भेजा जायेगा, और मैं उन्हें इस के लिये बधाई देता हूं ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

इस के साथ ही, हो सकता है कि अन्य मामले भी हों, कौन जानता है । अतः मैं ऐसे मामले के लाभ के लिये यह संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं कि धारा ३ के पश्चात "या सिफ़ारिश में कोई प्रत्यक्ष भूल हो, आदि" जोड़ दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :–

पृष्ठ २ पर—

(१) पंक्ति २२ में "if any difficulty or doubt arises" (यदि कोई कठिनाई या सन्देह उत्पन्न होता है) शब्दों के स्थान पर "if in the opinion of the Central Government any difficulty or doubt has arisen" (यदि केन्द्रीय सरकार के विचारानुसार कोई कठिनाई या सन्देह उत्पन्न हो गया है) शब्द रखे जायें ; और

(२) पंक्ति २४ और २५ में–– "the Central Government" (केन्द्रीय सरकार) शब्दों के स्थान पर "it" (यह) शब्द रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :—

पृष्ठ २, पंक्ति २६ में

"arisen to (के सम्बन्ध में उठे) शब्दों के बाद "a single member of" (के एक सदस्य) शब्द जोड़े जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड ६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १, अधिनियमन सूत्र तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री खंडूभाई देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूं : —

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

श्री एस० एल० सक्सेना : यदि हम हिसाब लगायें तो १२,००० कर्मचारियों के लिये एक वर्ष के लिये २० लाख रुपये की राशि कोई अधिक नहीं थी, किन्तु माननीय मंत्री ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया है, इस का मुझे खेद है ।

वास्तव में यह श्री गिरि को बधाई देने का उचित अवसर है, जिन्होंने सिद्धान्त की रक्षा के लिये मंत्री पद से त्यागपत्र दे कर एक उदाहरण हमारे सामने रखा है ।

मैं समझता था कि मज़दूर संघ का कोई प्रसिद्ध नेता उस पद को स्वीकार नहीं करेगा । परन्तु यह व्यक्तिगत मामला है कि किसी ने स्वीकार कर लिया है । तथापि हमें देश में ऊंचे आदर्श स्थापित रखने चाहियें ।

सात वर्ष के झगड़े के बाद इस को अब निर्णय हुआ है । इतने लम्बे विलम्बों को रोकने की लिये श्रम विवादों का निपटारा करने वाली संस्थापना में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है ।

बैंक कर्मचारियों ने संगठित होने और बड़े भारी उद्योग पर नियंत्रण रखने के

[श्री एस० एल० सक्सेना]

कारण अपनी मांगें पूरी करवा ली हैं । परन्तु सरकार को इस से यह शिक्षा लेनी चाहिये कि सुसंगठित न होने और भारी उद्योग पर नियंत्रण न रखने वाले लोगों के प्रति भी न्याय किया जाना चाहिये ।

दूसरे, सरकार को न्यायिक निर्णयों को रद्द नहीं करना चाहिये । सरकार ने सेन पंचाट और अपीलीय न्यायाधिकरणों को रद्द किया ।

श्री खंडूभाई देसाई : सरकार ने 'सेन' पंचाट को रद्द नहीं किया था ।

श्री एस० एल० सक्सेना : यदि सरकार चाहती तो अध्यादेश के द्वारा इसे लागू कर सकती थी । इसलिये सरकार को चाहिये कि मजदूरों को न्याय के लिये प्रतीक्षा न करनी पड़े, क्योंकि न्याय में विलम्ब करना न्याय से इनकार करना है । उच्चतम न्यायालय द्वारा निकाली गई टैक्निकल गलतियों को दूर कर के यदि सेन पंचाट अध्यादेश द्वारा लागू कर दिया जाता, तो इतना बड़ा यह विवाद उत्पन्न नहीं हो सकता था । सरकार को यह बड़ी भारी शिक्षा लेनी चाहिये और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में सरकार किसी भी व्यक्ति के प्रति न्याय करने में विलम्ब या आनाकानी नहीं करेगी ।

इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए सभा द्वारा इस की स्वीकृति की आशा करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा के सामने बहुत अधिक काम है, इसलिये सभा सोमवार को ६ बजे तक बैठेगी ।

इस के पश्चात् सभा सोमवार, २६ सितम्बर, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।